इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक | India Post Payments Bank

कृतज्ञता से प्रेरित
समृद्धि

उद्देश्य समर्पित लाभ

2022-23

वार्षिक रिपोर्ट

निवेशक दीदी अभियान का शुभारंभ
भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर, डल झील,श्रीनगर,जम्मू और कश्मीर में।

प्रस्तावना

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को 30 जनवरी 2017 को रांची, झारखंड और रायपुर, छत्तीसगढ़ में पायलट लॉन्च किया गया था ताकि उन स्थानों पर डिजिटल बैंकिंग के शुरुआती बीज बोए जा सकें जो वास्तव में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा १ सितंबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। आईपीपीबी अपनी स्थापना के बाद से ही भारत में हर घर तक आधुनिक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के मिशन के साथ आगे बढ़ते हुए पूरे भरत्वर्ष में आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। 'सभी के लिए बैंकिंग' की थीम पर आधारित, आईपीपीबी देश के आम लोगों की सेवा करने के लिए अपनी निरंतर प्रतिबद्धता पर कृत संकल्प और दृढ़ है।

2022-23 आईपीपीबी के लिए कई मायनों में ख़ास और विशेष रहा है। वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सह-निर्माण एवं फिन-टेक स्टार्टअप के साथ सहयोग के लिए 'फिनक्लुवेशन' की स्थापना से लेकर, आईईपीएफए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) के सहयोग से 'निवेशक दीदी' जैसी कई नई सफल पहलों को चिह्नित करना, इनमें से एक है। 'निवेशक दीदी' महिलाओं द्वारा, महिलाओं के लिए अपनी तरह की वित्तीय साक्षरता पहल है। इसकी शुरुआत श्रीनगर की डल झील पर भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर के तौर पर की गयी है, जो नवाचार नवपरिवर्तन के साथ वित्तीय समावेशन अभियान के संलयन सम्मिश्रण का प्रमाण बन गया- इस पहल की माननीय प्रधान मंत्री ने अपने व्यक्तिगत हैंडल से एक ट्वीट के माध्यम से सराहना की है। इसके अलावा, आईपीपीबी ने वित्त वर्ष 2022-2023 में अपना पहला पहला लाभ 20.16 करोड़ रुपये कमाया, जो पांच साल से भी कम समय में बैंक द्वारा हासिल की गई एक सराहनीय उपलब्धि है।

वर्ष 2022-23 के दौरान ग्राहकों को दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं में व्यापकता लाने के दौरान कई नए उत्पाद और सेवाएं लॉन्च की गई। आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप का उपयोग करके डाक/ग्रामीण डाक जीवन बीमा ग्राहकों के लिए डिजिटल प्रीमियम भुगतान की सुविधा प्रदान करने से लेकर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीयए संस्थाओं के सहयोग से ऋण उत्पाद रेफरल सेवा प्रदान करने की सुविधा स्थापित करने तक, आईपीपीबी का दृष्टिकोण हमेशा ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने का रहा है। व्हाट्सएप बैंकिंग जैसे बैंकिंग के नए चैनल को ग्राहकों की सुविधा और उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव के लिए जोड़ा गया है। आईपीपीबी लोगों की सेवा करने और उन्हें उनके दरवाजे पर बहुत आसानी से समसामयिक द्वार - बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहा है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) एक डिजिटल प्रमुख व्यवस्था है जिसने प्रौद्योगिकी डाकिया की प्रौद्योगिकी और डाकिया वितरण नेटवर्क का लाभ उठाकर अपने ग्राहकों और गैर-ग्राहकों को समान रूप से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के तरीके में क्रांति ला दी है। डिजिटलीकरण के युग में, आईपीपीबी मानता है कि मौलिक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हर व्यक्ति का अधिकार बन गई है, चाहे वह समाज के आखिरी छोर पर खड़ा व्यक्ति हो या डिजिटल दुनिया का मूल निवासी, जिसकी वजह से प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसे अंतिम मील तक अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिल रही है। आईपीपीबी भारत को एक प्रगतिशील आकार देने में एक अपरिहार्य योगदानकर्ता बनने के लिए प्रयासरत है, जहां प्रत्येक नागरिक का औपचारिक बैंकिंग की दुनिया में स्वागत किया जाता है।

संख्याएँ जो बैंक को परिभाषित करती हैं

650
जिले

37
राज्य एवं संघ शासित देश

138,000+
बैंकिंग एक्सेस प्वाइंट (डाकघर)

1 शाखा
649 अधिकारीयुक्त बैंकिंग आउटलेट

6.63 करोड़
ग्राहक

189,000+
डाकिये एवं जीडीएस

₹ 766 करोड़
कुल आय

₹ 6,292 करोड़
कुल जमा

30.76%
पूंजी पर्याप्तता अनुपात

₹ 479 करोड़
लेन-देन संबंधी राजस्व

सूची

विषय	पृष्ठ सं.
▪ **अध्यक्ष का संदेश**	05
▪ **एमडी एवं सीईओ का संदेश**	06
▪ **निदेशक मंडल**	07
▪ **एक नज़र में आईपीपीबी**	08
▪ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में	08
▪ विजन और मिशन	10
▪ उत्पादों और सेवाओं का व्यापक सेट	11
▪ ग्राहक खंड	12
▪ फुटप्रिंट का विस्तार	13
▪ **प्रमुख व्यावसायिक विशेषताएँ**	14
▪ **विकास और परिवर्तन के पदचिह्न छोड़ना**	15
▪ **प्रमुख मील के पत्थर और उपलब्धियाँ**	16
▪ **कार्यात्मक विशेषताएँ**	17
▪ मार्केटिंग	18
▪ उत्पाद	20
▪ ग्राहक सेवा	22
▪ मानव संसाधन एवं प्रशासन	24
▪ सूचना एवं साइबर सुरक्षा	26
▪ सूचना प्रौद्योगिकी	28
▪ जोखिम प्रबंधन	29
▪ अनुपालन	31
▪ सतर्कता प्रशासन	32
▪ वितरण	34
▪ **पुरस्कार, मान्यता और प्रमुख आयोजन**	35
▪ **प्रमुख मीडिया कवरेज**	39
▪ **वैधानिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण**	42
▪ निदेशक की रिपोट	43
▪ स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट	57
▪ 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष का वार्षिक लेखा	69
▪ सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट	115
▪ सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	117

अध्यक्ष का संदेश

मैं इस अवसर पर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष में हासिल की गई प्रभावशाली वृद्धि के लिए अपनी सराहना व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं। इंडिया पोस्ट के विशाल शाखाओं वाले नेटवर्क पर एंकरिंग करते हुए, आईपीपीबी ने सभी के लिए सुलभ बैंकिंग के सपने को साकार करने में योगदान करते हुए एक प्रभावशाली सफर तय किया है। मैं भारतीय डाक के डाक कर्मियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने भारत में डोरस्टेप बैंकिंग की महत्वाकांक्षा को वास्तविकता बनाने के लिए निस्वार्थ रूप से हाथ मिलाया है।

वित्तीय समावेशन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप, आईपीपीबी हमारे देश के सुदूर कोनों तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वार्षिक रिपोर्ट इस दिशा में की गई उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाती है, जो भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना प्रत्येक नागरिक की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के समर्पण को उजागर करती है। आईपीपीबी ने बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग प्रदान करने और समाज के कम प्रतिनिधित्व वाले वर्ग के लिए आशा की किरण बनने की अपनी अथक प्रतिबद्धता साबित की है।

प्रभावशाली सेवाओं और पेशकशों की सराहना करते हुए, मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि आईपीपीबी ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान अपना प्रथम लाभ अर्जित किया है, जो इसकी बैंकिंग यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

भारतीय डाक के सर्वव्यापी नेटवर्क और क्षेत्र में लगन से काम करने वाले 1,89,000 से अधिक डाक कर्मियों/ डाकियाओं का लाभ उठाते हुए, आईपीपीबी भारत के सुदूर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। प्रत्येक राज्य में बैंकिंग सेवाओं की यह उत्कृष्ट वृद्धि आबादी वाले और गतिशील राज्यों की विविध वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आईपीपीबी के समर्पण की भावना प्रदर्शित करता है।

विभिन्न हितधारकों के साथ आईपीपीबी के सहयोग, नवीन डिजिटल पहल और ग्राहक संतुष्टि पर अटूट फोकस ने वित्तीय सशक्तिकरण के लिए पसंद के अनुसार बैंकर के रूप में इसकी मान्यता का मार्ग प्रशस्त किया है। इस रिपोर्ट में उल्लेख किए गए उत्पादों, साझेदारियों और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण की विविध श्रृंखला देश भर में लाखों लोगों के लिए बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आईपीपीबी के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है।

विनीत पांडे
सचिव (डाक) एवं अध्यक्ष,
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

एमडी एवं सीईओ का संदेश

मुझे वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है और पिछले वर्ष हमने जो उल्लेखनीय प्रगति की है, उसके लिए मैं हार्दिक सराहना करता हूं।

आकांक्षाओं और अवसरों के बीच अंतर को पाटते हुए, इंडिया पोस्ट के सर्वव्यापी नेटवर्क का लाभ उठाते हुए, अत्याधुनिक तकनीक और बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए अपने पास मौजूद हर संसाधनों का उपयोग करते हुए, प्रत्येक वर्ष हम अपनी सफलता की कहानी में नई प्रगति कर रहे हैं, प्रत्येक पत्रक में गौरवशाली कारनामे से सुसज्जित हैं।

बैंक ने 20.16 करोड़ रुपये का पहला लाभ अर्जित किया, जो आईपीपीबी की पांच साल से भी कम यात्रा में एक प्रभावशाली उपलब्धि है, जो दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहार्यता के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाता है। बैंक ने राजस्व में 66.12% की समग्र वृद्धि देखी, जो 17.36% के समग्र परिचालन व्यय में वृद्धि से अधिक है। ये प्रभावशाली विकास रेखाएं आईपीपीबी के ग्राहक-केंद्रित और लागत प्रभावी-बैंकिंग मॉडल को रेखांकित करती हैं।

आईपीपीबी भारत में आम लोगों के लिए सबसे किफायती, सुलभ और भरोसेमंद बैंक के रूप में अपना कद मजबूत कर रहा है। यह दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्क, इंडिया पोस्ट के दुर्जेय नेटवर्क, जिसमें 155,000 डाकघर (ग्रामीण क्षेत्रों में 135,000) और 300,000 डाक कर्मचारियों के समर्पित प्रयास शामिल हैं, का उपयोग करके संभव बनाया गया है। एक मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के साथ पूरक इस व्यापक नेटवर्क ने आईपीपीबी को ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग सेवाएं सीधे दरवाजे पर पहुंचाने में सक्षम बनाया है।

बैंक द्वारा हासिल की गई वित्तीय सफलता के अलावा, आईपीपीबी के लिए एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर दिसंबर 2022 में 5000 करोड़ की सीएएसए (चालू खाता और बचत खाता) जमा शामिल है। हमारा आउटरीच समावेशन और सशक्तिकरण के प्रति हमारे समर्पण का प्रमाण है। हमने एक मजबूत और सुरक्षित डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करते हुए 99% खातों को सफलतापूर्वक आधार से जोड़ा है, और हमें यह कहते हुए गर्व है कि हमारी 49% लाभार्थी महिलाएं हैं।

इसके अलावा, हमने कई महत्वपूर्ण मेट्रिक्स में प्रभावशाली वृद्धि देखी। वित्तीय वर्ष के दौरान, हमने डिजिटल वित्तीय लेनदेन में 93% की आश्चर्यजनक वृद्धि, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) लाभार्थियों में 47% की वृद्धि, कुल जमा में 70% की वृद्धि और डाकघर बचत खाते (पीओएसए) में 18% की वृद्धि देखी। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप हमारे ग्राहक आधार में 26% की वृद्धि हुई है, जो अब 5.26 करोड़ से बढ़कर 6.63 करोड़ हो गया है।

अंत में, हम समाज के सभी वर्गों को सस्ती दर पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में उत्कृष्टता के प्रति हमारे समर्पण की मान्यता में अर्जित किए गए कई सम्मानों और प्रशंसाओं के लिए अपनी कृतज्ञता और विनम्रता व्यक्त करना चाहते हैं।

जे वेंकटरामू

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

निदेशक मंडल

(31 मार्च 2023 तक)

श्री विनीत पांडे
सचिव (डाक) एवं अध्यक्ष,
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

श्री जे.वेकटरामू
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री संजय प्रसाद
नामित निदेशक

श्री श्रीकांत नामदेव
नामित निदेशक

श्री पवन कमार सिंह
नामित निदेशक

डॉ जतीन कुमार मोहंती
स्वतंत्र निदेशक

श्री विनेय गानू
स्वतंत्र निदेशक

श्री नवनीत कक्कड़
स्वतंत्र निदेशक

श्री कालीयानन
स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती जयश्री विराजलाल दोषी
स्वतंत्र निदेशक

कंपनी सचिव	:	श्रीमती प्रियंका भटनागर
सांविधिक लेखापरीक्षक	:	पी के चोपड़ा और कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
साचिविक लेखापरीक्षक	:	वीएपी एंड एसोसिएट्स
मुख्य वित्तीय अधिकारी	:	श्री अनूप ई एस

पंजीकृत कार्यालय : स्पीड पोस्ट सेंटर, भाई वीर सिंह मार्ग, मार्केट रोड, नई दिल्ली -110001

आईपीपीबी एक नज़र में

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के बारे में

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 30 जनवरी 2017 को रांची, झारखंड और रायपुर, छत्तीसगढ़ में पायलट शाखाओं के साथ की गई थी। इसकी स्थापना माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित डिजिटल इंडिया पहल के दृष्टिकोण पर की गई थी। IPPB ने 1 सितंबर 2018 को इसे राष्ट्रव्यापी लॉन्च किया और पूरे देश में 1 शाखा, 649 अधिकारीयुक्त बैंकिंग आउटलेट और 138000+ बैंकिंग एक्सेस प्वाइंट के साथ अंतिम छोर तक डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। देश भर में मजबूत उपस्थिति के साथ, आईपीपीबी अपने ग्राहकों की विविध वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई सेवाओं का एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2022-2023 संगठन के लिए उल्लेखनीय वर्ष साबित हुआ क्योंकि इसने 20.16 करोड़ रुपये का पहली बार लाभ दर्ज किया, जो बैंकिंग यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था।

आज के डिजिटलीकरण के युग में, आईपीपीबी सस्ती और त्वरित वित्तीय सेवाओं के महत्व को स्वीकार करता है, और इसके लिए पहुंच के विभिन्न चैनल प्रदान करता है। ग्राहक व्हाट्सएप, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं जैसे डिजिटल चैनलों के माध्यम से अपने खातों तक आसानी से पहुंच सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि बैंकिंग सेवाएं बस कुछ ही क्लिक की दूरी पर हैं। हालाँकि, आईपीपीबी इंटरनेट पहुंच के अभाव में भी व्यक्तियों के लिए बैंकिंग की सुविधा प्रदान करके आगे बढ़ता है। एसएमएस बैंकिंग, फोन बैंकिंग, या मिस्ड कॉल बैंकिंग का उपयोग करके, लाभार्थी अपनी उंगलियों पर परेशानी मुक्त बैंकिंग सेवाओं का अनुभव कर सकते हैं। केवल एक एसएमएस या मिस्ड कॉल भेजकर लेनदेन कर सकते हैं, शेष राशि की जांच कर सकते हैं और फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे इंटरनेट पर निर्भरता खत्म हो जाएगी।

आईपीपीबी के उत्पाद पोर्टफोलियो में बचत खाते और चालू खाते शामिल हैं। बचत खाता श्रेणी में, ग्राहकों के पास कई विकल्पों में से चुनने की लचीलापन है - प्रीमियम बचत खाता, नियमित बचत खाता, मूल बचत खाता और डिजिटल बचत खाता। आईपीपीबी ने अपने उत्पादों के समूह में बीमा और ऋण रेफरल सेवाओं को भी जोड़ा है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर अपने ग्राहकों को वित्तीय जरूरतों में सहायता मिल सके।

आधार सक्षम भुगतान सेवाओं (एईपीएस) ने धन हस्तांतरण और लेनदेन में पूरी तरह से क्रांति ला दी है, जिससे ग्राहक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से अपने फिंगरप्रिंट इंप्रेशन प्रदान करके अपने आधार-लिंक्ड खातों के साथ बुनियादी वित्तीय लेनदेन करने में सक्षम हो गए हैं। यह सेवा एक माइक्रो एटीएम के रूप में काम करती है, जो लाभार्थियों को उनके दरवाजे पर नकदी सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, आईपीपीबी समाज के हर वर्ग को अन्य सेवाएं भी प्रदान करता है। पेंशनभोगियों को उनके घर पर पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी), ऑनलाइन बिल भुगतान और फंड ट्रांसफर, किसानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), घर पर बच्चों के आधार से जुड़ने के लिए चाइल्ड लाइट क्लाइंट (सीएलईसी) सेवाएं, और शहरी प्रवासियों के लिए घरेलू धन हस्तांतरण (डीएमटी) बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ वित्तीय सेवाएं हैं।

इसके अलावा, आईपीपीबी व्यापारियों के लिए एक मंच भी प्रदान करता है, जो उन्हें डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं से सशक्त बनाता है। व्यापारी आसानी से आईपीपीबी के साथ चालू खाता खोल सकते हैं और विभिन्न लाभों का आनंद लेने के लिए 'डिजिटल दुकानदार' बन सकते हैं। यूपीआई क्यूआर आधारित डिजिटल भुगतान सुविधा का उपयोग करके वे सीधे अपने बैंक खातों में स्थानांतरित लेनदेन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने में सक्षम होंगे। 6.63 करोड़ ग्राहक आधार आईपीपीबी की वित्तीय समावेशिता के प्रति समर्पण और आम लोगों के दिलों में पैदा हुए विश्वास का प्रमाण है। आईपीपीबी समतावादी और सुलभ वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी है। इसकी व्यापक पहुंच, व्यापक उत्पाद पेशकश और विभिन्न उपभोक्ता वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के प्रति समर्पण इसे पूरे भारत में लाखों लोगों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार बनाता है।

विजन

आम आदमी के लिए सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना

मिशन

बैंकिंग सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए बाधाओं को दूर करके एवं लागत को कम करके वित्तीय समावेशन का विस्तार करना।

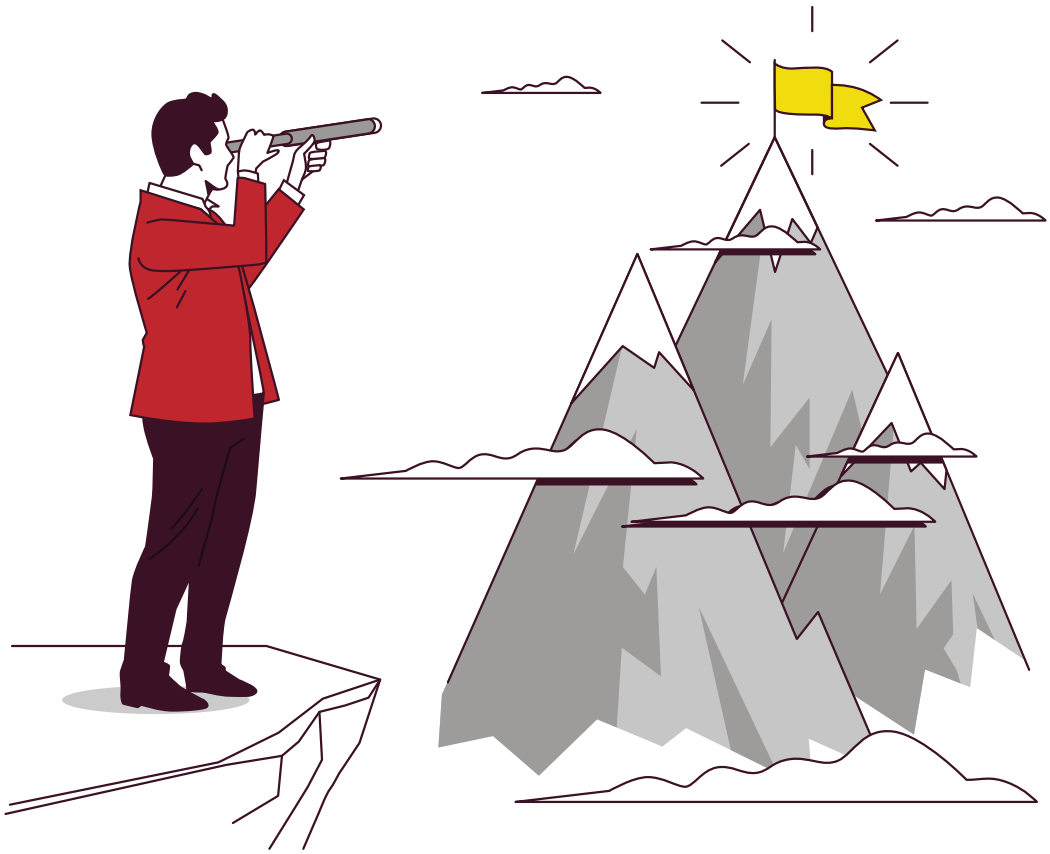

उत्पादों और सेवाओं का व्यापक सूची

आईपीपीबी की अटूट प्रतिबद्धता ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग सेवाओं और समृद्ध ग्राहक आधार में परिलक्षित होती है। लाभार्थियों की अनेक आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद सेवाओं की एक श्रृंखला के साथ, आईपीपीबी बैंकिंग यात्रा में मूल्य लाने और उसे निर्बाध रूप से परिष्कृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे व्यापक उत्पादों और सेवा लाइनअप में बचत खाता, चालू खाता, मनी ट्रांसफर, उपयोगिता बिल भुगतान, क्यूआर आधारित भुगतान सुविधा, डोरस्टेप-पेंशन सेवाएं, डोरस्टेप कैश सुविधा, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, वर्चुअल डेबिट कार्ड, सरकार से नागरिक सेवाएं आदि शामिल हैं।

बैंकिंग सेवांए

- बचत खाता
- चालू खाता
- निधि हस्तांतरण
- बिल भुगतान
- रूपै वर्चुअल डेबिट कार्ड
- भीम - यूपीआई
- ग्रामीण डाकघर काउन्टर में डिजिटल भुगतान
- स्वीप - इन/आउट सुविधा
- मर्चेंट बैंकिंग

सार्वभौमिक सेवाएं

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
- डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र
- आधार-मोबाइल नंबर अपडेट
- बाल आधार नामांकन
- आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस)
- घरेलू धन अंतरण (डीएमटी)
- डाकपे यूपीआई पीएसपी ऐप
- बिल भुगतान के लिए नकद
- पीएमजेजेबीवाई

धन प्रबंधन सेवाएं

- जीवन बीमा (टर्म, एन्यूटी और इंडोमेंट)
- सामान्य बीमा (मोटर, स्वास्थ्य, समूह दुर्घटना)
- म्यूचुअल फंड्स

पोस्टल पेमेंट सेवाएं

- आईपीपीबी-पोसा लिंकेज
- डाकघर योजनाओं के लिए डिजिटल भुगतान (पीएलआई/एलएआरडी, एसएसए, पीपीएफ, एलऐआरडी)

ऋण रेफरल सेवाएँ

- गृह ऋण
- वाहन ऋण
- व्यक्तिगत कर्ज़
- गोल्ड लोन

ग्राहक अनुभाग

आईपीपीबी अपने विविध ग्राहक आधार की सेवा के लिए अनुरूप सेवाएं प्रदान करता है। आईपीपीबी वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) सेवाएं प्रदान करता है, जिससे उनके लिए अपने दरवाजे पर पेंशन राशि प्राप्त करना आसान हो जाता है। पेंशन राशि के वितरण के लिए डीएलसी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और हमने वित्त वर्ष 2022-2023 में 15 लाख प्रमाणपत्र जारी किए हैं। छोटे व्यवसाय के मालिक बैंक के डिजिटल दुकान और यूपीआई क्यूआर कोड भुगतान समाधान से लाभान्वित होते हैं, जिससे कैशलेस लेनदेन सक्षम होता है और परिचालन दक्षता बढ़ती है। त्वरित और पारदर्शी वित्तीय सहायता सुनिश्चित करते हुए, किसान आईपीपीबी के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से आसानी से सरकारी सब्सिडी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय सीमाएं छात्रों की शैक्षणिक प्रगति में बाधा न बनें, आईपीपीबी छात्रवृत्ति संवितरण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है।

गृहणियां आईपीपीबी की ऑनलाइन बिल भुगतान और फंड ट्रांसफर सेवाओं का उपयोग करके कुशलतापूर्वक वित्त का प्रबंधन कर सकती हैं। इसके अलावा, चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट (सीईएलसी) सेवाओं की मदद से, लाभार्थी अपने 5 साल तक के बच्चों को आसानी से अपने घर पर आधार-सीड करवा सकते हैं। इसके अलावा, आईपीपीबी प्रेषण और फंड ट्रांसफर, एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) और तत्काल भुगतान सेवाएं (आईएमपीएस) सहित कई सेवाएं प्रदान करता है। आईपीपीबी अपने ग्राहकों और गैर-ग्राहकों को समान रूप से सेवा प्रदान करता है, उन्हें डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा से सशक्त बनाता है।

किसी को भी पीछे न छोड़ने के अपने मिशन में, बैंकिंग सुविधा से वंचित और कम बैंकिंग सुविधा वाले लोगों को बैंकिंग प्रदान करते हुए, आईपीपीबी घरेलू मनी ट्रांसफर(डीएमटी) और आधार सक्षम भुगतान सेवाएं(एईपीएस) प्रदान करता है, जो पूरे भारत में बिना बैंक खाते वाले लोगों को धन हस्तांतरण में मदद करता है। इस सेवा ने विशेष रूप से शहरी प्रवासियों को लाभान्वित किया है, जिससे लाखों बैंक रहित नागरिक जरूरत के समय नियमित धन हस्तांतरण के माध्यम से अपने परिवारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हुए हैं। एईपीएस एक माइक्रो एटीएम सुविधा की तरह काम करता है, जो किसी को भी उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों से घर के दरवाजे पर नकदी निकालने की सुविधा प्रदान करता है। वॉक-इन ग्राहक (जिनके पास आईपीपीबी में खाता नहीं है) भी फंड ट्रांसफर (खाते में नकदी) सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

पदचिह्न का विस्तार

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4 करोड़ से अधिक लाभार्थियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भौगोलिक इलाकों को पार करते हुए, अखिल भारतीय पहुंच के साथ पारंपरिक बैंकिंग उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के तेजी से विकास के बीच, भारत का वित्तीय परिदृश्य अभूतपूर्व बदलावों से गुजर रहा है। आईपीपीबी 1 शाखा, 649 अधिकारीयुक्त बैंकिंग आउटलेट और 138,000 से अधिक बैंकिंग एक्सेस प्वाइंट और इंडिया पोस्ट के मजबूत नेटवर्क का उपयोग करके इस परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। एक मजबूत भौतिक उपस्थिति और डिजिटल कौशल के साथ, हम देश के दूर-दराज के कोनों तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए नवीन तरीकों का नेतृत्व कर रहे हैं।

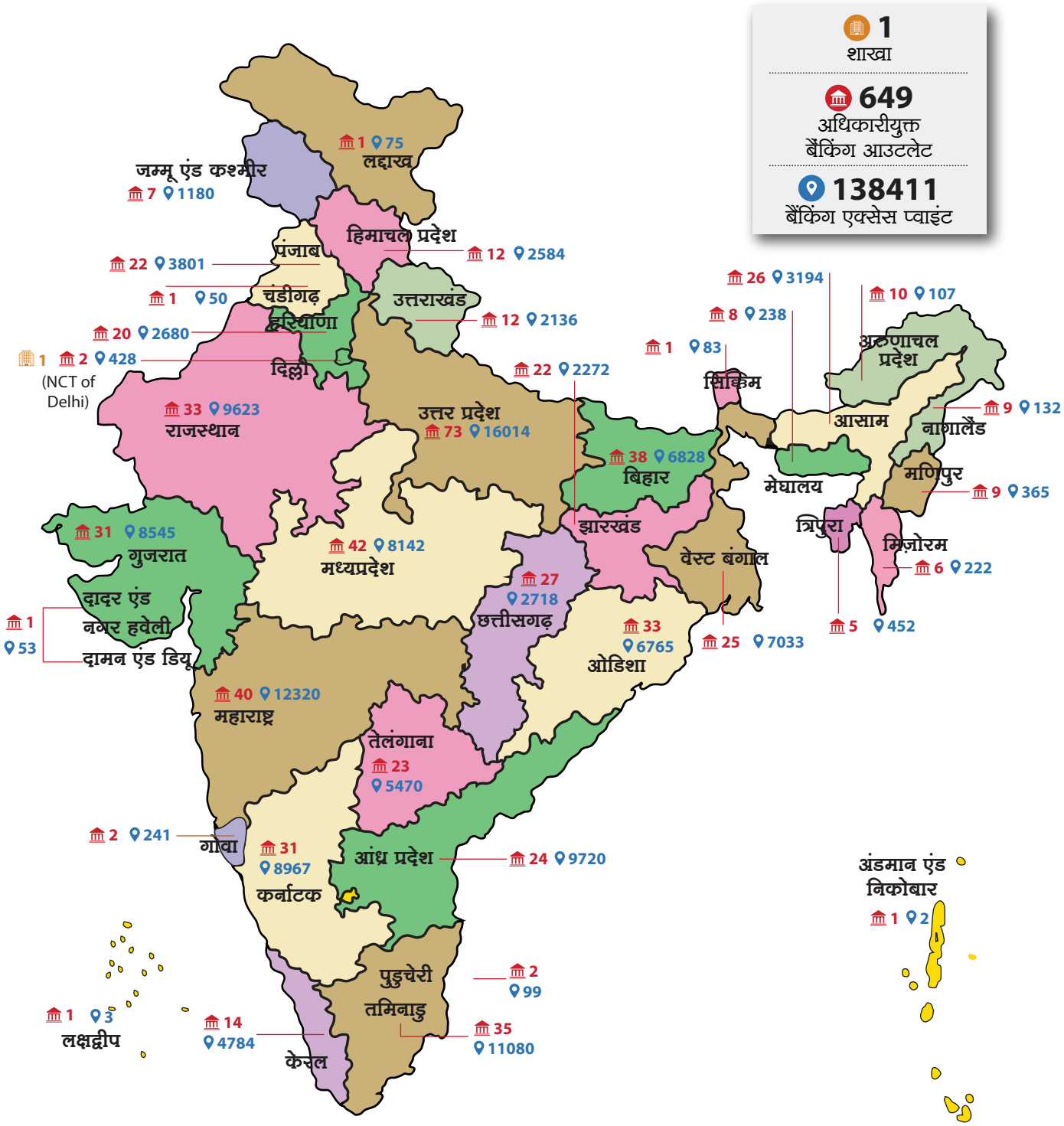

प्रमुख व्यावसायिक विशेषताएँ

	31, मार्च, 2022 तक	31, मार्च, 2023 तक	दर प्रतिवर्ष प्रगति % में
ग्राहकों की कुल संख्या (करोड़ में)	5.26	6.63	26%
कुल जमा (करोड़ रुपये में)	3,691	6,292	70%
डिजिटल वित्तीय लेनदेन का मूल्य (करोड़ रुपये में)	1,54,367	3,20,579	108%
डिजिटल वित्तीय लेनदेन की संख्या (करोड़ में)	83.84	162	93%
एईपीएस लेनदेन का मूल्य (करोड़ रुपये में)	20,939	27,443	31%
कुल डीबीटी लाभार्थी (करोड़ में)	1.06	1.56	47%
डीओपी बचत योजनाओं (पीपीएफ/ एसएसवाई/आरडी/ एलएआरडी पीएलआई/ आरपीएलआई) के लिए डिजिटल	5,416	9,072	68%
मोबाइल ऐप डाउनलोड की संख्या (लाख में)	1.34	1.99	49%
इंटरऑपरेबल बैंकिंग को सक्षम करने वाले पोसा से जुड़े आईपीपीबी खातों की संख्या (लाख में)	28.68	33.85	18%

विकास और परिवर्तन के पदचिह्न छोड़ना

01
49%
महिला खाता धारक

02
98%
माइक्रो-एटीएम का उपयोग करके ग्राहक के दरवाजे पर खाते खोले गए

03
57%
महिला खाताधारकों को **डीबीटी मिलता है**

04
90%
ग्रामीण क्षेत्रों से आए ग्राहक

05
99%
आधार सक्षम खाते

06
95.60 लाख
रूपे वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी किए गए

07
15 लाख
डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी किए गए

08
28.88 लाख
जीवन बीमा किये गये

मुख्य मील के पत्थर और उपलब्धियाँ

मार्च 2023

1. 20.16 करोड़ रुपये का लाभ हासिल हुआ।
2. वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करने की संख्या 90 लाख से अधिक हो गई।
3. बैंक ने 50 लाख प्रीमियम खाता अधिग्रहण को पार किया।
4. टाई-अप में जीटीएस (ग्रुप टर्म लाइफ) बीमा का शुभारंभ

फरवरी 2023

1. एक आंतरिक 'प्रोजेक्ट रिवाइव' लॉन्च किया गया बैंक के मौजूदा निष्क्रिय/निष्क्रिय और शून्य बैलेंस खातों के पोर्टफोलियो को पुनर्जीवित और पुनर्जीवित करने के लिए बैंक स्तरीय अभियान।

जनवरी 2023

1. अल्पावधि असुरक्षित तत्काल व्यक्तिगत ऋण रेफरल के लिए अर्ली सैलरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (फाइब) के साथ साझेदारी।

दिसम्बर 2022

1. कासा बैलेंस 5000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

नवम्बर 2022

1. 6 करोड़ ग्राहकों को पार करने का मील का पत्थर हासिल किया।
   एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर जीवन बीमा की पेशकश के लिए समझौता।

अक्टूबर 2022

1. एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर जीवन बीमा की पेशकश के लिए समझौता।
2. BYOD (अपनी खुद की डिवाइस लाओ) योजना का शुभारंभ और डिवाइस खरीद में उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करना
3. रेफरल मोड में ऋण सेवाओं के लिए एक्सिस बैंक के साथ गठजोड़ करें

सितम्बर 2022

1. रेफरल मोड में ऋण सेवाओं के लिए महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड के साथ गठजोड़ करें

अगस्त 2022

1. बेंगलुरु में एटीएम इकाई 1 अगस्त 2022 से चालू हो गई

जुलाई 2022

1. आईपीपीबी ग्राहकों और गैर-ग्राहकों के लिए नकद-आधारित भुगतान के लिए नकद से बिल भुगतान सुविधा का शुभारंभ।
2. नियामक दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए आईआईबीएफ बीसी प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया गया
3. रेफरल मोड में ऋण सेवाओं के लिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ गठजोड़

जून 2022

1. रेफरल मोड में ऋण सेवाओं के लिए होमफर्स्ट फाइनेंस के साथ गठजोड़।
2. रेफरल मोड में ऋण सेवाओं के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ गठजोड़।

मई 2022

1. आधार से जुड़े खातों की संख्या 2 करोड़ के पार। कासा बैलेंस 4000 करोड़ रु. तक पहुंच गया.
2. आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप का उपयोग करके
3. पीएलआई/ आरपीएलआई ग्राहकों के लिए डिजिटल प्रीमियम भुगतान का शुभारंभ।

अप्रैल 2022

1. डीओपी और आईपीपीबी की एक संयुक्त पहल, फिनक्लुवेशन का शुभारंभ। वित्तीय समावेशन के लिए तकनीकी-समाधान बनाने के लिए फिनटेक स्टार्ट-अप के लिए एक मंच।

कार्यात्मक उपलब्धियां

मार्केटिंग

वित्त वर्ष 2022 मार्केटिंग विभाग के लिए काफी मजबूत था और हमने कई नई पहल और अपडेट देखे। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

घोषणाएँ

- 1000 करोड़ के पार जिंगल का शुभारंभ - सेल्सकर्मियों के बीच उत्साह बढ़ाने और संगठन को चालू वर्ष के व्यावसायिक लक्ष्य के अनुरूप रखने के लिए, 3 जून 2022 को '1000 करोड़ के पार' के वार-क्राई के विषय पर एक ऑडियो विजुअल जारी किया गया था।
- 28 जून 2022 को शुरू किए गए विभिन्न आईपीपीबी उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए पुश नोटिस।
- 27 मई 2022 को आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा प्रीमियम के लिए डिजिटल भुगतान सुविधा का शुभारंभ।

आईपीपीबी वेबसाइट पर लीड जनरेशन फॉर्म का प्रायोगिक परीक्षण

आईपीपीबी के साथ विभिन्न सेवाओं/अवसरों के लिए लीड जनरेट करने के लिए, आईपीपीबी वेबसाइट पर लीड जनरेशन फॉर्म का पायलट परीक्षण किया गया था। लीड जनरेशन फॉर्म वर्तमान में हमें व्यक्तिगत व्यवसाय संवाददाताओं के रूप में शामिल होने के लिए अनुरोध, इंटर्नशिप के लिए नामांकन, फिनटेक द्वारा हमारे साथ भागीदारी के माध्यम से भागीदारी और बैंक द्वारा पेश किए जाने वाले तीसरे पक्ष के उत्पादों में रुचि रखने वाले ग्राहकों के लिए डोरस्टेप अनुरोध प्राप्त करने में सक्षम है। इस प्रकार प्राप्त लीड को बंद करने के लिए फील्ड टीम के साथ साझा किया जाता है। अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक, 18.44 लाख लीड को शेयर फील्ड टीमों के साथ साझा किया गया है।

कू के साथ समझौता ज्ञापन

आईपीपीबी ने 12 सितंबर 2022 को एक बहुभाषी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आईपीपीबी और कू दोनों के तालमेल को एक साथ लाना है ताकि उपयोगकर्ताओं के बीच वित्तीय समावेशन और साक्षरता को चलाया जा सके। श्री जे वेंकटरामू, एमडी और सीईओ, आईपीपीबी और श्री अप्रमेय राधाकृष्णन, सह-संस्थापक और सीईओ, कू की उपस्थिति में हस्ताक्षरित, यह समझौता ज्ञापन बड़े ग्राहक आधार तक पहुंचने और देश भर में कू के अद्वितीय भाषा समुदायों के माध्यम से बहुभाषी कू (एमएलके) सुविधाओं का उपयोग करके संवाद करने में मदद करेगा। दोनों संगठन निम्नलिखित को चलाने के लिए संयुक्त रूप से काम करेंगे:

अ. टियर 2, टियर 3 और दूरदराज के शहरों और भीतरी इलाकों में वित्तीय समावेशन और साक्षरता को बढ़ावा देना।
इ. देश भर में कू के अद्वितीय भाषा समुदायों और बहुभाषी कू (एमएलके) सुविधाओं के माध्यम से आउटरीच और संचार के माध्यम से नए ग्राहक अधिग्रहण। बीटीपीएल दृश्यता बढ़ाने के लिए तंत्र का प्रस्ताव और कार्यान्वयन करेगा।
उ. कू की शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से आईपीपीबी उपयोगकर्ताओं के लिए ग्राहक संबंध
ऊ ऑफ़लाइन (पीओ नेटवर्क) और डिजिटल टचप्वाइंट पर आईपीपीबी ग्राहकों तक कू की पहुंच।

एक्सेस प्वाइंट में डिजिटल सामग्री का प्रदर्शन

ऐसे कई वॉक-इन ग्राहक हैं जो अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए एक्सेस प्वाइंट पर जाते हैं। उन्हें शामिल करने और उन्हें हमारी पेशकशों के बारे में जागरूक करने के लिए, दिल्ली सर्कल के सभी एक्सेस प्वाइंट पर डिजिटल सामग्री प्रदर्शित की गई है। पूरे भारत में जहां भी डिजिटल संपत्ति उपलब्ध है, वहां सभी एक्सेस प्वाइंट पर डिजिटल सामग्री चलाने की योजना बनाई गई है। हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए सामग्री पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है जबकि स्थानीय भाषा की सामग्री शीघ्र ही जारी की जाएगी।

सोशल मीडिया अभियान

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र, व्यक्तिगत व्यवसाय संवाददाताओं, प्रीमियम खाता, यूपीआई और अन्य उत्पादों और सेवाओं के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया अभियान चलाए गए।

धोखाधड़ी अलर्ट पर क्रिएटिव सभी आईपीपीबी हैंडल पर भी पोस्ट किए गए थे। इसके अलावा, सभी त्योहारों/महत्वपूर्ण दिनों के क्रिएटिव भी पोस्ट किए गए। सभी अभियानों ने अच्छी भागीदारी अर्जित की और जागरूकता पैदा की।

ईमेल अभियान

विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर निम्नलिखित ईमेल अभियान चलाए गए-

- डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान- लगभग 1.25 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित किया गया। सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए आईपीपीबी वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर पुनर्निर्देशन के लिए क्लिक करने योग्य लिंक के साथ डीएलसी क्रिएटिव भेजा गया था।
- साइबर सुरक्षा अभियान- यह एक जागरूकता अभियान था और लगभग 10 लाख ग्राहकों तक भेजा गया।
- डिजिटल एसबी खाते के रूपांतरण के लिए अभियान- डिजिटल एसबी खातों के रूपांतरण को बढ़ाने के लिए, एक अभियान शुरू किया गया और इसमें लगभग 4.5 लाख ग्राहकों को शामिल किया गया।
- एइपीएस अभियान- एइपीएस सेवाओं को लोकप्रिय बनाने का अभियान शुरू किया गया।

डाकपे लोगो का नवीनीकरण

इसे सौंदर्यपूर्ण और आधुनिक बनाने के लिए, डाकपे लोगो को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में नया रूप दिया गया है।

DakPay डाकपे

व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने 31 मार्च 2023 को 88007 56000 पर व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की। यह सुविधा हमारे ग्राहकों को उनकी सुविधानुसार बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी। इसका उद्देश्य डिजिटल युग में अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाना है। इस सेवा के लॉन्च के साथ, बैंकिंग जरूरतों को सुरक्षित और उपयोग में आसान मैसेंजर प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

हमारे ग्राहक अब कुछ ही क्लिक से कभी भी, कहीं भी हमारे उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब कोई भी इस सेवा का उपयोग घर बैठे बचत खाता खोलने, खाते की शेष राशि, मिनी स्टेटमेंट, ऋण रेफरल सेवाएं, सरकार से ग्राहक (जी2सी) सेवाएं, बीमा, अपने नजदीकी डाकघर का पता लगाने आदि के लिए कर सकता है।

उत्पाद

नए लॉन्च किए गए उत्पाद और सेवाएँ

प्रीमियम खाता: आईपीपीबी का नवीनतम फ्लैगशिप उत्पाद 2022-23 में लॉन्च किया गया है। प्रीमियम खाता ग्राहकों को निःशुल्क सेवाएँ और रोमांचक कैशबैक प्रदान करता है। ग्राहकों को मुफ्त डोरस्टेप बैंकिंग, मुफ्त नकद जमा और निकासी और विभिन्न कैशबैक जैसे लाभ मिल रहे हैं। प्रीमियम बचत बैंक खाता नए ग्राहकों द्वारा खोला जा सकता है। मौजूदा ग्राहक भी इस उत्पाद को अपग्रेड कर सकते हैं। बैंक ने 2022-23 में 55 लाख प्रीमियम ग्राहक बनाए हैं।

भारत बिल भुगतान सेवाएँ: आईपीपीबी ने भारत बिल भुगतान सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) में एक परिचालन इकाई के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। आईपीपीबी ने हाल ही में बिल भुगतान में कई मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए बीबीपीएस का उन्नत संस्करण लॉन्च किया है। बीबीपीएस उत्पादों में हाल ही में मूल्यवर्धन इस प्रकार हैं:

- आईपीपीबी को एनपीसीआई द्वारा बीओयू-बिलर ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में प्रमाणित किया गया है ताकि नए बिलर्स को बीबीपीएस इकोसिस्टम में अंक द्वारा और सक्षम बनाया जा सके। बैंक द्वारा बीबीपीएस इको सिस्टम में बिलर्स।
- आईपीपीबी पहुंच बिंदुओं के माध्यम से नकद में बिल एकत्र करने के लिए कई मौजूदा बीबीपीएस बिलर्स के साथ जुड़ना।

नकदी प्रबंधन समाधान: नकदी प्रबंधन कई व्यवसायों के लिए एक प्रमुख परिचालन मुद्दा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाले व्यवसायों के लिए। आईपीपीबी ने थोक ग्राहकों को एक मजबूत नकदी प्रबंधन समाधान प्रदान करने के लिए डोप की भौतिक नकदी प्रबंधन क्षमता को अपनी स्केलेबल और उन्नत प्रौद्योगिकी बैकबोन के साथ जोड़ा है। आईपीपीबी ने हमारे बैंकिंग एक्सेस प्वाइंट और डाक सेवा प्रदाताओं के माध्यम से नकदी प्रबंधन और संग्रह सेवाएं प्रदान करने के लिए शेयर माइक्रो फाइनेंस, आधार हाउसिंग फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता किया है। देश भर में डाकघरों की अद्वितीय पहुंच के साथ, आईपीपीबी के पास एकल केंद्रीय गठजोड़ के माध्यम से इस सेवा की पेशकश करने की क्षमता है।

आईपीपीबी शाखा में रिया मनी ट्रांसफर: आईपीपीबी ने आरबीआई की मनी ट्रांसफर सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत आवक विदेशी प्रेषण के भुगतान की सुविधा के लिए रिया मनी ट्रांसफर के साथ समझौता किया है। इससे भारत में लाभार्थियों को निजी उपयोग के लिए विदेश में अपने रिश्तेदारों से धन प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। यह सेवा वर्तमान में रिया द्वारा उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर 630 पहचाने गए आईपीपीबी बैंकिंग आउटलेट्स पर लॉन्च की गई है। अगले वित्तीय वर्ष में इसे माइक्रो एटीएम तक विस्तारित किया जाएगा।

आईपीपीबी के माध्यम से डाक जीवन बीमा (पीएलआई)/ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) प्रीमियम भुगतान: यह सेवा पूरे भारत में ग्राहकों की एक प्रमुख आवश्यकता थी और इसे लॉन्च करके आईपीपीबी ने कई ग्राहकों की इच्छाओं को पूरा किया है। अब पीएलआई/आरपीएलआई प्रीमियम भुगतान आईपीपीबी चैनलों के माध्यम से पल भर में आसानी से किया जा सकता है। तदर्थ प्रीमियम भुगतान के साथ, आईपीपीबी ने पीएलआई/आरपीएलआई प्रीमियम भुगतान के लिए ऑटो-भुगतान (स्थायी निर्देश) स्थापित करने की सुविधा भी शुरू की है। इसके साथ कोई भी आईपीपीबी खाताधारक आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से या आईपीपीबी एक्सेस प्वाइंट(सीबीएस/एमएटीएम) पर जाकर या डोरस्टेप सेवाओं (एमएटीएम) का उपयोग करके पीएलआई/आरपीएलआई भुगतान के लिए प्रीमियम का भुगतान/स्थायी निर्देश स्थापित कर सकता है।

तमिलनाडु के वृद्धावस्था पेंशनभोगियों के लिए आदेश: आईपीपीबी अब राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत तमिलनाडु के वृद्धावस्था पेंशनभोगियों को मुफ्त में नकद निकासी सेवाएं प्रदान करके उनके दरवाजे पर सेवा प्रदान कर रहा है। ऐसे सभी पेंशनभोगी अब आईपीपीबी खाता खोल सकते हैं और अपने दरवाजे पर मुफ्त में नकद निकासी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इन खातों में मासिक पेंशन प्राप्त होती है जिसे बाद में पेंशनभोगियों को उनकी आसानी से वितरित किया जा सकता है।

आधार पे: यह आईपीपीबी का एक डिजिटल भुगतान स्वीकृति समाधान है जो व्यापारी को ग्राहक के बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) को प्रमाणित करके आधार को किसी भी बैंक खाते से लिंक करने वाले ग्राहकों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है।

उन्नत मोबाइल ऐप सुरक्षा सुविधाएँ: अपने उपयोगकर्ताओं को धोखेबाजों द्वारा उनके मोबाइल बैंकिंग ऐप तक अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए, हमने पंजीकरण के दौरान ओटीपी पढ़ने जैसी कुछ सुरक्षा सुविधाएँ लागू की हैं। हमने फिंगरप्रिंट (एंड्रॉइड) और फेस आईडी (आईओएस) का उपयोग करके लॉगिन भी शुरू किया है।

बेलिक ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस: हमने टर्म सेगमेंट में अपनी वर्तमान पेशकश का विस्तार किया है और ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद को फिर से पेश किया है - तत्काल और दीर्घकालिक वित्तीय आश्वासन प्रदान करने के लिए एक नॉन-लिंक्ड नॉन-पार्टिसिपेटिंग ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्लान। यह उत्पाद हमारे ग्राहकों को बहुत सस्ती कीमतों पर जीवन बीमा प्रदान करता है।

ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए न्यूनतम और अधिकतम बीमा राशि क्रमशः 5 लाख और 10 लाख है। आईपीपीबी और डाक विभाग के वित्तीय समावेशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्लान आईपीपीबी के बैंक स्टाफ और डीओपी के ग्रामीण डाक सेवकों/डाकियों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। सभी पॉलिसियाँ वास्तविक समय के आधार पर जारी की जाती हैं।

शाखा डाकघरों में भुगतान का सक्षम यूपीआई मोड: डाक विभाग (डीओपी) बीओ में डाक संचालन के लिए आरआईसीटी हैंडहेल्ड डिवाइस एप्लिकेशन का उपयोग कर रहा है। आईपीपीबी ने डिजिटल इंडिया अभियान के अनुरूप शाखा कार्यालयों में भुगतान के यूपीआई मोड पेश किए हैं। 1,25,000 शाखा कार्यालय नागरिकों को डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए भुगतान स्वीकार करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा विकसित यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान मोड का उपयोग कर रहे हैं।

पोसा सेवा - ईपासबुक का लॉन्च: उंगलियों पर सुविधा लाने के लिए, ग्राहक अब आईपीपीबी सक्षम सेवाओं का उपयोग करके पूरे दिन किसी भी समय पीओएसबी/अन्य डीओपी खातों के खाते की शेष राशि और मिनी-स्टेटमेंट देख सकते हैं।

नए चैनल पर विकास: व्यक्तिगत बीसी व्यक्तिगत बीसी बैंक ने माइक्रो एटीएम के माध्यम से एईपीएस, कार्ड+पिन लेनदेन, डीएमटी जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत बीसी को शामिल किया है।

बैंक ने व्यक्तिगत बीसी के माध्यम से पहले से ही उत्पादन में शामिल घरेलू मनी ट्रांसफर सेवाओं - एईपीएस और कार्ड+पिन सेवाओं को सक्षम किया है। इससे बैंक को डाक नेटवर्क से परे अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। 31 मार्च 2023 तक 26K+ एजेंट शामिल हो गए।

टीएक्सएन टाइप	काउंट	डीएमटी शुल्क एकत्रित	डीएमटी प्रोत्साहन भुगतान
डीएमटी टीएक्सएन	9545	3.2 लाख	1.46 लाख

एईपीएस आईएसओ से एक्सएमएल माइग्रेशन 17 नवंबर 2022 को सफलतापूर्वक पूरा हो गया, जिसमें कोई बड़ी उत्पादन समस्या/शो स्टॉपर नहीं था और माइग्रेशन के बाद एईपीएस तकनीकी गिरावट में पर्याप्त सुधार हुआ।

ग्राहक सेवा

आईपीपीबी ने समाज के व्यापक वर्ग तक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करके वित्तीय समावेशन के मैन्डेट में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आईपीपीबी लगातार नवीन उत्पादों और अत्याधुनिक प्लेटफार्मों में निवेश करता है जो बैंकिंग को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाते हैं।

रणनीति के मूल में नए उत्पाद की पेशकश और ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता के साथ, आईपीपीबी ग्राहकों को निर्बाध बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है और आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनाने के दृष्टिकोण का लगातार पालन करता है। इन वर्षों में, बैंक ने लगातार ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है, प्रत्येक बातचीत में आनंददायक ग्राहक अनुभव पर ध्यान केंद्रित करते हुए ईमानदारी और शासन के उच्चतम मानकों पर भरोसा किया है।

बैंक की शीर्ष ग्राहक सेवा समितियां ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों और फीडबैक का लगातार मूल्यांकन करती हैं और समाधान की दक्षता बढ़ाने और किसी भी सेवा सुधार के लिए प्रक्रिया में बदलाव के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान करती हैं।

आईपीपीबी ने वित्त वर्ष 2022-23 में ग्राहक सेवा के क्षेत्र में विभिन्न पहल की हैं जिनमें शामिल हैं:

- आईपीपीबी ने अपने मजबूत और स्केलेबल ऑपरेटिंग ढांचे के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं का सर्वोत्तम-इन-क्लास गुलदस्ता तैयार किया है जिसमें अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाएं और डोरस्टेप सेवाएं शामिल हैं।
- ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के प्रयास में, कॉमन सर्विस सेंटर जिसमें बैंकिंग संवाददाता और व्यापारी शामिल हैं। वास्तविक समय की बैंकिंग सेवाओं और बीमा उत्पादों को आसानी से प्रदान करने के लिए बैंकिंग आउटलेट ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बैंक विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को रणनीतिक रूप से विस्तारित और गहरा पैठ बनाने की योजना बना रहा है।
- बैंक ने गुणवत्ता स्कोर कार्ड में निरंतर सुधार दिखाया है, जो ग्राहकों की संतुष्टि को मापने के लिए प्रमुख मेट्रिक्स है।
- आईपीपीबी संपर्क केंद्र नोएडा, चेन्नई और कोलकाता केंद्रों के माध्यम से अपने ग्राहकों को 24*7*365 सहायता प्रदान करना जारी रखता है जो आईवीआर और इनबाउंड और आउटबाउंड कॉलिंग (हिंदी, अंग्रेजी और अन्य 11 स्थानीय भाषाओं) के माध्यम से 13 भाषाओं का समर्थन करता है। यह अनधिकृत डेबिट लेनदेन और वर्चुअल डेबिट कार्ड ब्लॉकिंग जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए सुसज्जित है, पूछताछ के लिए समर्पित नंबर 18008899860 और अन्य शिकायतों के लिए 155299 उपलब्ध किया गया है।
- विकसित हो रहा डिजिटल परिदृश्य एक प्रमुख चालक है जो ग्राहकों के अपनबैंकों के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल रहा है। डोरस्टेप बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को ग्राहकों और गैर-ग्राहकों के लिए पीएसपी एप्लिकेशन और अन्य सेवाओं के माध्यम से मौजूदा कई बार उपयोग किए जाने वाले विकल्पों और कार्यक्षमताओं के साथ उपलब्ध कराया गया है। बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए पीएसपी एप्लिकेशन और मौजूदा मोबाइल एप्लिकेशन को नई कार्यक्षमताओं के साथ बढ़ाया जा रहा है।
- दृष्टिकोण के अनुरूप, आईपीपीबी ने व्हाट्सएप बैंकिंग (8800756000), मिस्ड कॉल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों को नवीनतम ग्राहक-अनुकूल और सुरक्षित तकनीकी समाधान की सुविधा प्रदान करके उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना जारी रखा है।
- नियामक निर्देशों और आदर्श वाक्य के अनुरूप, बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के सुरक्षित उपयोग पर ग्राहक शिक्षा और कार्यशालाएं आयोजित की हैं जो प्रभावी और कुशल ग्राहक सेवा प्रदान करने में ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ संरेखित होती हैं।
- इस वर्ष प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या 16780 है (अर्थात 01.04.2023 तक 822 शिकायतें बकाया थीं, 31 मार्च, 2023 तक शिकायतकर्ता की संतुष्टिक 16229 शिकायतों का समाधान किया गया) ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त शिकायतें

शिकायतों की स्थिति और बैंकिंग लोकपाल के लागू न किए गए निर्णयों का खुलासा				
क्र. सं.		विवरण	वर्तमान वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
बैंक को अपने ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त हुई				
1		वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	271	259
2		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	16780	20170
3		वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	16229	20158
	3.1	जिनमें से बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या है	295	219
4		वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	822	271
बैंक को ओबीओ से प्राप्त रखरखाव योग्य शिकायतें				
5		बैंक को ओबीओ से प्राप्त रखरखाव योग्य शिकायतों की संख्या	205	115
	5.1	5 में से 5 शिकायतों का निपटारा बॉस द्वारा बैंक के पक्ष में किया गया	200	115
	5.2	5 में से, शिकायतों की संख्या बॉस द्वारा जारी सुलह/ मध्यस्थता/ सलाह के माध्यम से हल की गई	5	-
	5.3	बैंक के खिलाफ बीओ द्वारा पुरस्कार पारित करने के बाद 5 में से 5 शिकायतों का समाधान किया गया	-	-
6		निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए पुरस्कारों की संख्या (अपील किए गए पुरस्कारों के अलावा)	-	-

टिप्पणीः

- आज तक सभी खुली 822 शिकायतें बंद हो चुकी हैं।
- बैंक के लेनदेन की संख्या कई गुना बढ़ गई है और वित्त वर्ष 22-23 के दौरान बैंक द्वारा नए उत्पाद लॉन्च किए गए हैं।

आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनने की अपनी पहुंच में बैंक ने ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और सर्वोत्तम श्रेणी के वित्तीय समाधानों के एक व्यापक सूट पर ध्यान केंद्रित किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सभी ग्राहक संपर्क बिंदुओं पर सेवा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में अपना अभियान जारी रखे हुए है। बैंक अपने आदर्श वाक्य 'प्रत्येक ग्राहक महत्वपूर्ण है, प्रत्येक लेनदेन महत्वपूर्ण है और प्रत्येक जमा मूल्यवान है, चाहे मूल्य कुछ भी हो,' के प्रति सच्चा रहने का प्रयास करता है।

मानव संसाधन एवं प्रशासन

21 जून 2022 को कॉर्पोरेट कार्यालय दिल्ली और सीपीसी कार्यालय में 'मानवता के लिए योग' के केंद्रीय विषय के साथ योग दिवस मनाया गया। योग सार्वभौमिक है - इसका अभ्यास कहीं भी, किसी भी समय और उम्र, लिंग, संस्कृति या राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना कोई भी कर सकता है।

कार्यस्थल पर कर्मचारियों और सहकर्मियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए यौन उत्पीड़न रोकथाम (पॉश) प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य सुरक्षित, सशक्त और संतोषजनक स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करना था।

सम्मानित बोर्ड सदस्यों द्वारा 23 फरवरी 2023 को कॉर्पोरेट कार्यालय दिल्ली में महिला कक्ष का उद्घाटन किया गया।

22 मार्च 2023 को सीपीसी और जीएम फाइनेंस परिसर में आईपीपीबी कॉर्पोरेट कार्यालय में अग्निशमन अभ्यास आयोजित किया गया।

आईपीपीबी ने आईआईबीएफ के सहयोग से 6 मार्च 2023 को बैंक की सभी महिला अधिकारियों के लिए 'अधिकारी विकास कार्यक्रम' का आयोजन किया।

नेतृत्व कौशल, विजयी दिमाग विकसित करना, लक्ष्य निर्धारण और कैरियर योजना, कार्य जीवन संतुलन-व्यक्तिगत और व्यावसायिक चुनौतियाँ, तनाव प्रबंधन और योग्यता बनाम दृष्टिकोण को कवर करने वाले विषयों के साथ। यह सभी प्रतिभागियों के लिए एक ही मंच पर एक साथ आने और अपने सामान्य मुद्दों और चिंताओं पर चर्चा करने का एक अनूठा अनुभव था, जिससे देश के हर कोने में फैली बैंक की महिला अधिकारियों के बीच संबंध निर्माण को बढ़ावा मिला।

सूचना एवं साइबर सुरक्षा

आईपीपीबी में तैनात सूचना सुरक्षा नियंत्रणों का उद्देश्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करना और साइबर खतरों को रोकने और प्रतिक्रिया देने, कमजोरियों को कम करने और विभिन्न सुरक्षा/साइबर घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए क्षमताओं का निर्माण करना है। 2018 में बैंक की स्थापना के बाद से, यह सुनिश्चित करने पर निरंतर ध्यान दिया गया है कि सूचना और साइबर सुरक्षा प्रथाएं उद्योग मानकों के अनुरूप हों।

साइबर सुरक्षा

आईपीपीबी में, गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता की तिकड़ी बैंक द्वारा कार्यान्वित सूचना सुरक्षा ढांचे के केंद्र में है। ग्राहकों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, बैंक साइबर सुरक्षा समाधानों को लागू करने में 'गहराई से रक्षा' दृष्टिकोण अपनाता है। यह दृष्टिकोण बैंक को उपकरणों और तकनीकों के संयोजन का उपयोग करके बहुस्तरीय रक्षा तंत्र का उपयोग करके अपने डेटा की सुरक्षा करने में सक्षम बनाता है जो एक दूसरे के पूरक और संवर्धित होते हैं।

बैंक फ़िशिंग से सुरक्षा, अनुकूली प्रमाणीकरण, जागरूकता पहल और सबसे ऊपर उपयोग में आसान सुरक्षा और ग्राहकों के हाथों में जोखिम कॉन्फ़िगरेशन क्षमता जैसे ग्राहक तत्वों पर भी जोर देता है।

सूचना सुरक्षा और साइबर जोखिम प्रबंधन

आईपीपीबी के ऑर्गेनोग्राम में निगरानी के लिए एक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) की भूमिका बनाई गई है सुरक्षा वास्तुकला/बुनियादी ढांचे और सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों के समन्वय के लिए।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा नीति लागू है जो विभिन्न साइबर सुरक्षा संबंधी पहलों पर दिशानिर्देश प्रदान करती है। साइबर खतरे को कम करने की दिशा में रणनीति, दिशा और रोडमैप प्रदान करने के लिए बैंक के पास साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) भी है। साइबर सुरक्षा प्रशासन बैंक के सूचना सुरक्षा ढांचे का हिस्सा है।

आईपीपीबी ने सिस्टम इंटीग्रेटर के साथ समन्वय में यह सुनिश्चित किया है कि सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) द्वारा निरंतर 24x7 निगरानी की जाती है और यह उभरते साइबर खतरों की नवीनतम प्रकृति पर नियमित रूप से अपडेट रहता है। बैंक वास्तविक समय आईटी वातावरण में सुरक्षा घटनाओं या घटनाओं की पहचान, निगरानी, रिकॉर्डिंग और विश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सुरक्षा घटना और इवेंट प्रबंधन निगरानी उपकरण का उपयोग कर रहा है।

किसी भी प्रकार के साइबर हमले को प्रबंधित करने के लिए, बैंक ने उन्नत सुरक्षा समाधान पेश किए हैं और विभिन्न दुर्भावनापूर्ण हमलों से निपटने के लिए एंटी-एडवांस्ड लगातार खतरा समाधान, सर्वर सुरक्षा समाधान, नेटवर्क सुरक्षा समाधान आदि लागू किए हैं। आईटी प्रणालियों में कमजोरियों, यदि कोई हो, का आकलन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन कमजोरियों को कम किया जाए और जोखिमों का प्रबंधन किया जाए, त्रैमासिक भेद्यता मूल्यांकन अभ्यास किया जाता है।

आईपीपीबी के पास पूरी तरह से सुसज्जित आपदा रिकवरी सेट-अप है जो समय-समय पर आपदा रिकवरी अभ्यास की जाती है। इसके अलावा, नए अनुप्रयोगों को शामिल करते समय कड़े नियंत्रणों का पालन किया जाता है।

बदलते साइबर सुरक्षा खतरे के परिदृश्य के आधार पर, बैंक ने एक साइबर-बीमा पॉलिसी खरीदी है जिसकी हर साल समीक्षा और नवीनीकरण किया जाता है और यदि आवश्यक समझा जाता है तो नए जोखिम क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। बैंक अपने प्रतिक्रिया तंत्र को लगातार बेहतर बनाने के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास भी आयोजित करता है और उसमें भाग लेता है।

कर्मचारियों को नवीनतम सुरक्षा खतरों और सर्वोत्तम सुरक्षा प्रथाओं के बारे में अद्यतन रखा जाता है। बैंक अपने कर्मचारियों के ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल/लर्निंग पोर्टल वेबसाइट/आदि जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से नियमित आधार पर साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रदान करता है।

सीआईएसओ कार्यालय और सिस्टम इंटीग्रेटर जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए घनिष्ठ कार्य संबंध बनाए रखते हैं। बैंक नियमित रूप से अपने सुरक्षा दृष्टिकोण की जांच करने और अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए विशिष्ट विषयगत असाइनमेंट और नियामकों के माध्यम से आंतरिक और बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी सुरक्षा के कई मूल्यांकन से गुजरता है।

सूचना प्रोद्योगिकी

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक विभिन्न चैनलों पर नवीन उत्पादों की निरंतर आपूर्ति के साथ डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र में सबसे आगे बना हुआ है। इसमें एक मल्टी-चैनल डिलीवरी मॉडल है, जो ग्राहकों को विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

अपनी नवीन विरासत और सर्वोत्तम ग्राहक अनुभव को जारी रखने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने चपलता और जोखिम संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

सिस्टम इंटीग्रेटर का परिवर्तन

बैंक की स्थापना के बाद से, सिस्टम और उसके रखरखाव का प्रबंधन इसके सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) मेसर्स डीएक्ससी टेक्नोलॉजीज द्वारा किया जा रहा है। अपनी आईटी क्षमता और सर्वोत्तम ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए, आईपीपीबी ने एकल एसआई आधारित मॉडल से एक से एक एप्लिकेशन-आधारित विक्रेता ऑनबोर्डिंग की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है, जिससे बैंक की आईटी क्षमताओं में सुधार होगा और बाजार की जरूरतों के अनुसार अधिक नवीन और त्वरित विकास के लिए क्षेत्र ग्राहकों की उम्मीदों के अनुसार खुल जाएगा।

नेटवर्क और आईटी अवसंरचना में सुधार

बैंक की आईटी टीम लगातार बढ़ते लेनदेन और एप्लिकेशन परिदृश्य का समर्थन करने के लिए दोनों नेटवर्क और कंप्यूटिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। बैंडविड्थ और कंप्यूट में समय-समय पर विभिन्न सुधार किए गए हैं। इसके अलावा, एप्लिकेशन तक पहुंचने वाले स्थानों की गंभीरता को देखते हुए अनावश्यक लिंक का भी प्रावधान किया जा रहा है।

इसके अलावा, सुरक्षा पैच के साथ बैकएंड सॉफ़्टवेयर का प्रबंधन और उन्नयन समय-समय पर किया जा रहा है। नेटवर्क डिवाइस एक्सेस नियंत्रण के लिए विशेष एक्सेस नियंत्रण तंत्र लागू किया जा रहा है।

एम-एटीएम, एम-बैंकिंग और सीबीएस

बैंक ने जोखिम को कम करने और हमारे एम-एटीएम अंतिम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा करने और ग्राहक खातों में अनधिकृत लेनदेन को रोकने के लिए माइक्रो एटीएम लॉगिन के दौरान एम-एटीएम लॉगिन नियंत्रण और डिवाइस बाइंडिंग को सक्षम किया है। इसके अलावा, बैंक ने धोखेबाजों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए एम-बैंकिंग ऐप में सिम बाइंडिंग को भी सक्षम किया है।

मूल्यवान ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रीमियम खाता, अंत्योदय योजना जैसी नई कार्यक्षमता का रोलआउट अब अंतिम उपयोगकर्ता के लिए एम-एटीएम ऐप पर उपलब्ध है। आधार फुटप्रिंट को कम करने के लिए आधार वॉल्ट को एक नियामक आवश्यकता के रूप में पेश किया गया है।

पीओएसबी और पीएलआई के लिए आईपीपीबी प्रौद्योगिकी सूचना का उपयोग

कैबिनेट आदेश के अनुसार, आईपीपीबी संरचना का उपयोग डीओपी के बैंकिंग और अन्य वित्तीय उत्पादों के लिए एकल प्रौद्योगिकी मंच के रूप में किया जाना है। कैबिनेट के निर्देशों के अनुरूप, आईपीपीबी अब इसका प्रबंधन कर रहा है।

- डीओपी डेटा सेंटर सुविधा (डीसीएफ) और नेटवर्क इंटीग्रेटर (एनआई) अनुबंध 01.04.2022 से प्रभावी।
- डीओपी एटीएम परियोजना 01.07.2022 से प्रभावी
- डीओपी फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर (एफएसआई) यानी कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (सीबीएस) और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (पीएलआई) परियोजनाएं क्रमशः 30.08.2022 और 01.10.2022 से प्रभावी।

जोखिम प्रबंधन

आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, आईपीपीबी ने जोखिम की पहचान करने, मापने, निगरानी करने और कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने और बैंक की समग्र जोखिम उठाने का माद्दा/सहनशीलता स्तर के अनुरूप नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने के लिए विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियां और रणनीतियां तैयार की हैं। ऐसे जोखिमों को संबोधित करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा तैयार और अनुमोदित प्रमुख नीतियां हैं ट्रेजरी निवेश नीति, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, आउटसोर्सिंग नीति, व्यापार निरंतरता नीति, आईसीएएपी नीति, तनाव परीक्षण नीति, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति, सूचना सुरक्षा नीति और साइबर सुरक्षा नीति आदि।

कुशल जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक के पास जोखिम प्रबंधन के लिए एक बहुस्तरीय ढांचा है मूल रूप से निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:

परिचालन जोखिम प्रबंधन

बैंक को परिचालन जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आंतरिक प्रक्रियाओं, कर्मियों, या सिस्टम विफलताओं या अनियंत्रित बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरूप नुकसान होने की संभावना। बैंक ने परिचालन जोखिम को प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने के लिए सहायक ढांचे के साथ-साथ एक परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है

क. हानि डेटा प्रबंधन (एलडीएम) ढांचा

ख. उत्पाद एवं परिवर्तन अनुमोदन ढाँचा

ग. जोखिम और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए)

घ. जोखिम संबंधी मुद्दों (केआरआई) की निगरानी के लिए प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई)।

प्रचालन जोखिम प्रबंधन नीतियां और हानि डेटा जैसे सहायक ढांचे

बाजार जोखिम और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

बैंक बाजार जोखिम के संपर्क में है, यानी परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) से संबंधित जोखिमों जैसे कि बैंकिंग बुक में तरलता और ब्याज दर जोखिम के अलावा बाजार चर में बदलाव के कारण होने वाले नुकसान की संभावना। आईपीपीबी ने भुगतान बैंकों और कार्यकारी स्तर की समितियों को नियंत्रित करने वाले आरबीआई नियमों और परिचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन, एएलएम और निवेश नीति बनाई है। निवेश समिति और परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), जो रोजमर्रा के मामलों, संबंधित मुद्दों/चिंताओं, यदि कोई हो, से व्यापक तरीके से निपटने में आरएमसीबी का समर्थन करती है।

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

बैंक रोजमर्रा की बैंकिंग में उच्चतम नैतिक और व्यावसायिक मानकों को बनाए रखने के लिए समर्पित है। धोखाधड़ी पर आरबीआई के दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए, बैंक ने एक धोखाधड़ी जोखिम नीति बनाई है। इस नीति का उद्देश्य एक ऐसा ढाँचा प्रदान करना है जो बैंक को धोखाधड़ी की शीघ्र पहचान करने, उचित अधिकारियों को रिपोर्ट करने और त्वरित और सुधारात्मक कार्रवाई करने, जैसे कर्मचारियों की जवाबदेही पर ध्यान देने और कुशल धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन करने की अनुमति देगा।

आईपीपीबी ने अपने कर्मचारियों को साप्ताहिक धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन श्रृंखला भेजकर अपने धोखाधड़ी रोकथाम प्रयासों को इस विश्वास के साथ पूरक किया है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। बैंक अपने ग्राहकों और व्यापक जनता के बीच धोखाधड़ी जोखिम जागरूकता के बारे में जानकारी सोशल मीडिया पर होस्ट करके और ग्राहकों को भेजे जाने वाले ई-स्टेटमेंट में शामिल करके प्रसारित करता है।

एंटी मनी लॉन्ड्रिंग

बैंक अपने ग्राहक को जानें, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) आवश्यकताओं, आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी), और पीएमएलए, 2002 के तहत बैंकों के दायित्वों पर आरबीआई की व्यापक सिफारिशों का पालन करता है।

मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण, या कानून द्वारा अनुमत किसी अन्य गतिविधि के लिए आपराधिक तत्वों द्वारा बैंक को जानबूझकर या अनजाने में इस्तेमाल करने से रोकने के उद्देश्य से, बैंक ने केवाईसी और एएमएल उपायों पर एक उचित नीति ढांचा विकसित किया है। इस नीति ढांचे की सहायता से, आईपीपीबी अपने ग्राहकों के वित्तीय लेनदेन को समझने और अपने जोखिमों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के बारे में बेहतर ढंग से सुसज्जित है।

पूंजी पर्याप्तता की आवश्यकता

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, आईपीपीबी ने जोखिम भारित संपत्तियों की पूंजी की गणना के लिए क्रेडिट जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए), परिचालन जोखिम के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) और बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) को अपनाया है। अनुपात (सीआरएआर)। बैंक नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप सीआरएआर और लीवरेज अनुपात (एलआर) की गणना भी कर रहा है और निर्धारित आवृत्ति पर नियामक को इसकी सूचना दी जाती है।

अन्य पिलर II जोखिम

आरबीआई/बेसल पूंजी पर्याप्तता ढांचे के पिलर II दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए, आपके बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) पर एक नीति भी बनाई है और बैंक के सामने आने वाले सभी भौतिक जोखिमों के मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन के लिए एक नीति भी बनाई है। ऐसी प्रक्रियाएँ जो उन जोखिमों को प्रबंधित करने और कम करने के लिए और ऐसे जोखिमों के अनुरूप इसकी पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए स्थापित की जाती हैं। आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप और बैंक की तनाव परीक्षण नीति के अनुसार, बैंक तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम और परिचालन जोखिम जैसे विभिन्न जोखिमों पर निर्धारित आवृत्ति पर तनाव परीक्षण विश्लेषण करता है और पूंजी पर्याप्तता और लाभप्रदता पर प्रभाव का आकलन करता है।

अनुपालन

वित्त वर्ष 2022-23 में अनुपालन विभाग द्वारा की गई प्रमुख पहल

सतर्कता प्रशासन

सतर्कता विभाग की स्थापना:

बैंक का सतर्कता विभाग मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की अध्यक्षता में कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थापित किया गया है, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग(सीवीसी) के परामर्श से कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा नियुक्त किया जाता है। सीवीसी)। सीवीओ सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में एमडी और सीईओ के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। वह बैंक और सीवीसी/सीबीआई के बीच एक लिंक भी प्रदान करता है।

2022-23 के दौरान सतर्कता विभाग की पहल:

- आईपीपीबी प्रबंधन के सहयोग से बैंक में संवेदनशील पदों की पहचान।
- 'नैतिकता और अच्छी प्रथाओं' पर सीवीसी पुस्तिका पर आधारित सभी कर्मचारियों के लिए 'सतर्कता जागरूकता मासिक श्रृंखला' का प्रसार।
- मासिक आधार पर आईपीपीबी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सतर्कता संबंधी जानकारी/नैतिकता और मूल्यों आदि वाले संदेश/ग्राफिक्स का प्रसार।
- शाखाओं द्वारा आयोजित शिविरों में भागीदारी के साथ-साथ सर्कल कार्यालय और शाखा कार्यालयों का निरीक्षण।
- सीवीओ/आईपीपीबी ने अक्टूबर-२०२२ के दौरान सार्वजनिक खरीद पर विशेष मुद्दे से संबंधित सीवीसी के न्यूज़लेटर 'विज्ञेय वाणी' में 'सार्वजनिक खरीद में विवाद समाधान तंत्र' पर एक लेख का योगदान दिया।
- विभिन्न मंचों पर बैंक कर्मचारियों के लिए सतर्कता जागरूकता/नैतिकता एवं मूल्य सत्र का आयोजन।
- रिकॉर्ड प्रबंधन और रोस्टर रजिस्टरों के रखरखाव, आंतरिक व्हिसल ब्लोअर नीति में संशोधन, कर्मचारियों द्वारा विदेश यात्रा यात्राओं के संबंध में अनुमति के लिए अनुरोध, उपहार नीति का निर्धारण, निविदा समिति के गठन के क्षेत्रों में प्रणालीगत सुधार की सलाह दी गई - सदस्य सीधे दूसरे सदस्य को रिपोर्ट करेगा। समिति, समिति में बड़ी संख्या में सदस्य, निविदा समिति के कार्यवृत्त- लिए गए निर्णयों के कारणों की उचित रिकॉर्डिंग, खरीद का उचित अनुमान बजट आदि।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022: (30 अक्टूबर 2022- 05 नवंबर 2022)

क्र.सं.	दिनांक	स्पर्धा
1.	31 अक्टूबर'22	कॉर्पोरेट कार्यालय, सर्कल कार्यालयों और इसके 650 शाखाओं में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।
2.	1 नवंबर'22	सीवीओ/आईपीपीबी ने 'सतर्कता जागरूकता' पर ऑनलाइन मोड में कॉर्पोरेट कार्यालय, सर्कल कार्यालय तथा 650 शाखाओं के लिए एक प्रेजेन्टेशन दिया।
3.	2 नवंबर'22	आईपीपीबी स्टाफ के बीच ऑनलाइन स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका प्रमुख विषय था 'आईपीपीबी, भारत, विकास, धन और कर्तव्य'
4.	3 नवंबर'22	ऑनलाइन अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन अंग्रेजी में विषय – "Be the change you want to see in the world" and "Workplace Ethics and Values § और हिन्दी में 'स्वयं में वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं' और 'कार्यस्थल नैतिकता और मूल्य'।
5.	4 नवंबर'22	अखिल भारतीय एमसीक्यू क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें 'सतर्कता, नैतिकता और सामान्य जागरूकता' विषय पर 50 प्रश्न शामिल थे।
6.	5 नवंबर'22	सीवीओ द्वारा 'कहानी कहने के माध्यम से नैतिकता और मूल्य' पर ऑनलाइन इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2022 के दौरान, आईपीपीबी ने शाखाओं में बैनर और पोस्टर प्रदर्शित करने, वित्तीय साक्षरता शिविरों में पर्चे वितरित करने, इंटरैक्टिव सत्र आयोजित करने और कार्यशालाओं की मेजबानी करने जैसी गतिविधियों का आयोजन किया। स्कूल, कॉलेजों, ग्राम सभाओं और शाखाओं और डीओपी परिसरों में आयोजित कार्यशालाओं/संवेदीकरण कार्यक्रमों में। सभी आईपीपीबी स्टाफ सदस्यों ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली। श्री राहुल राय चौधरी, वरिष्ठ प्रबंधक को 2021-22 के दौरान किए गए उनके निवारक कार्यों के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 के दौरान सीवीसी द्वारा 'प्रशंसा प्रमाणपत्र' से सम्मानित किया गया था।

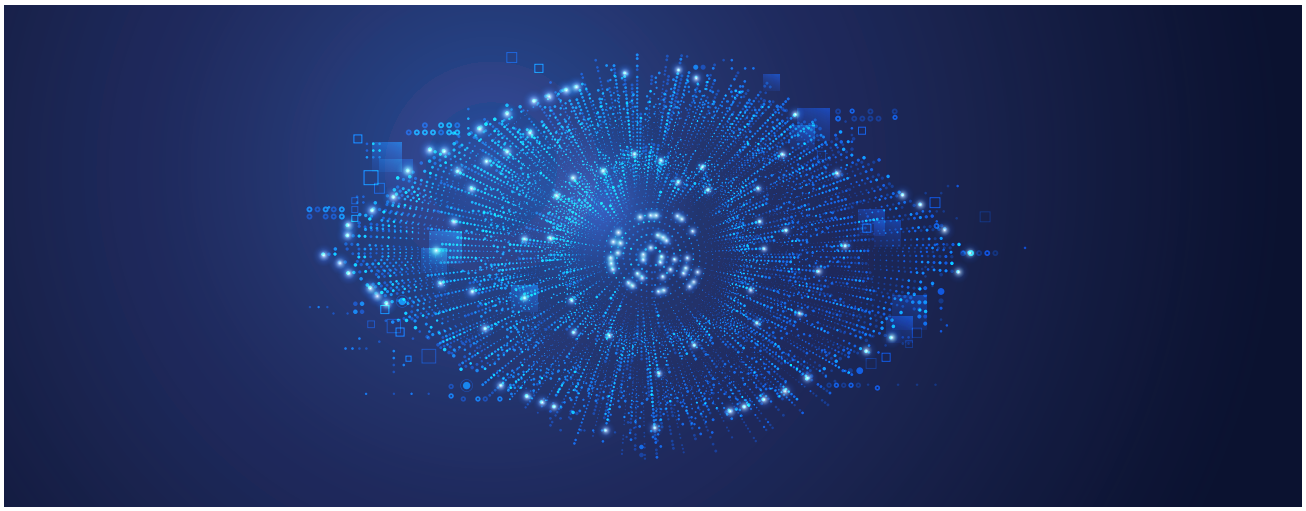

वितरण

निवेशक दीदी - वित्तीय जागरूकता फैलाने की एक पहलः 'महिला के लिए, महिला द्वारा'

- देश भर में महिला जीडीएस/पोस्टमैन ग्रामीण जनता को नागरिकों की निवेश और सुरक्षा जरूरतों पर मार्गदर्शन कर रही हैं, जिससे उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता के लक्ष्यों में मदद मिल रही है।
- निवेशक दीदी वित्तीय साक्षरता/जागरूकता शिविर निवेशक शिक्षा और जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- महिला डाकिया विशेष रूप से इन शिविरों के दौरान खरीदी गई आईपीपीबी-आईईपीएफए सह-ब्रांडेड जैकेट पहनती हैं और उन्हें निवेशक दीदी के रूप में ब्रांड किया जाता है। यह एक्स-फैक्टर को सामने लाता है और इन शिविरों को विशेष रूप से उजागर करता है क्योंकि निवेशक दीदी गांव के सबसे भरोसेमंद व्यक्तियों में से एक हैं और इन शिविरों के लिए विशेष चालक हैं।
- निवेशक दीदी इन शिविरों में उपलब्ध स्थानीय महिला उपस्थित लोगों से बातचीत करने के साथ-साथ उन्हें 'महिला के लिए, महिला द्वारा' संदेश फ्फैलाने के लिए प्रशिक्षित भी करती हैं। इससे लोगों और निवेशक दीदी के बीच गहरा जुड़ाव पैदा हुआ है, अंततः वह भविष्य की सभी वित्तीय/बैंकिंग सहायता के लिए संपर्क का एकल बिंदु बन गई हैं।
- कुल 5539 प्रशिक्षित और प्रमाणित निवेशक दीदियाँ उपलब्ध हैं और 31.03.2023 तक 18 शिविर आयोजित कर चुकी हैं।
- जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रव्यापी लॉन्च (अक्टूबर, 2022) से लेकर डल झील में भारत के पहले फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर से लेकर इस साल की शुरुआत में उत्तर-पूर्व मिजोरम (फरवरी 2023) में विशेष लॉन्च इवेंट तक, वित्तीय साक्षरता पर शिविर आयोजित करने के साथ-साथ निवेशक दीदियां। जनता के बीच सामाजिक और आर्थिक महत्व के मजबूत संदेश दे रही हैं।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग आउटलेट्स द्वारा नाबार्ड वित्तीय और डिजिटल साक्षरता शिविर

- १.नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों के बीच वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के प्रमुख उद्देश्य से शिविर गतिविधियों को वित्त पोषित किया है। बैंक का ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा प्रदर्शन है और आईपीपीबी ने नाबार्ड अधिकारियों के साथ समन्वय में शिविर गतिविधियों का प्रदर्शन किया। नाबार्ड अधिकारियों द्वारा कई शिविरों का दौरा किया गया है और उन्होंने व्यवसाय के संचालन के प्रति अपनी संतुष्टि दिखाई है।

- नाबार्ड वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) का उपयोग आवश्यक वित्तीय समावेशन बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के साथ-साथ बहुत आवश्यक वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए किया जाता है। सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी और ठोस प्रयासों से, नाबार्ड शिविरों ने दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, अर्थातब वित्तीय जागरूकता पैदा करना और वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी।

31 मार्च 2023 तक

पुरस्कार एवं मान्यता

आईपीपीबी के एमडी और सीईओ, श्री जे वेंकटरामू को बीएफएसआई क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए **'एफई विज़नरी लीडरशिप अवार्ड'** से सम्मानित किया गया।

- आईपीपीबी को **'सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन पहल'** श्रेणी के तहत तीसरे वार्षिक बीएफएसआई प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार में विजेता घोषित किया गया।

- श्री गुरशरण राय बंसल, सीएसएमओ को **'बैंकिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर'** पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

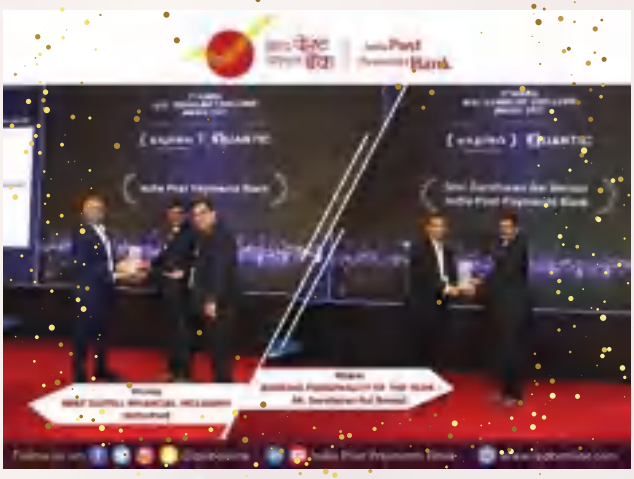

- आईपीपीबी ने क्रिप्टन ग्रुप द्वारा बीएफएसआई लीडरशिप अवार्ड्स में **'मोस्ट फ्यूचर रेडी बैंक ऑफ द ईयर 2022'** का खिताब जीता।

- एलेट्स **बीएफएसआई टेक इनोवेशन अवार्ड 2023**- आईपीपीबी को **'उत्कृष्ट भुगतान समाधान प्रदाता'** श्रेणी के तहत एलेट्स बीएफएसआई इनोवेशन अवार्ड 2023 में विजेता घोषित किया गया। श्री ईश्वरन वी, सीओओ ने 10 फरवरी 2023 को मुंबई में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया।

- **उत्कर्ष पुरस्कार-** आईपीपीबी ने डिजिटल भुगतान उत्सव 2023 में डिजिटल भुगतान लेनदेन का पहला उच्चतम प्रतिशत हासिल करने के लिए 'उत्कर्ष पुरस्कार' जीता। एमडी और सीईओ, आईपीपीबी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेलवे के माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से पुरस्कार प्राप्त किया।

प्रमुख आयोजन

फिनक्लुवेशन, वित्तीय समावेशन के लिए विघटनकारी और अभिनव समाधान बनाने हेतु फिनटेक स्टार्ट-अप समुदाय के साथ सहयोग करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और डाक विभाग की एक संयुक्त पहल, माननीय रेलवे संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव तथा माननीय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक २१ अप्रैल २०२२ को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में लॉन्च की गई थी।

आरोहण 4.0: डाक विभाग (डीओपी) और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) का चौथा संस्करण 'सिनर्जी मीट' 26-27 मई 2022 को शिमला में आयोजित किया गया था। बैठक का विषय 'साझा दृष्टिकोण, परस्पर निर्भरता, सहयोगात्मक गठबंधन और विश्वास एवं संचार' था।

मीट के दूसरे दिन देश में वित्तीय समावेशन अभियान को और गहरा करने और भारत के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग समाधान प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए डीओपी और आईपीपीबी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी। डीओपी और आईपीपीबी ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और ग्राहक-अनुकूल तरीके से देश के हर कोने में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को लाने के लिए प्रधान मंत्री की डिजिटल इंडिया पहल के दृष्टिकोण पर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2022 समारोह- आईपीपीबी ने अपने सभी कार्यालयों में आईडीवाई 2022 मनाया। सुश्री सीमा सिंह, मुख्य मानव संसाधन अधिकारी ने योग सत्र आयोजित किया जिसका सभी कार्यालयों में सीधा प्रसारण किया गया। कर्मचारियों ने सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया और सभी प्रतिभागियों ने योग के महत्व को स्वीकार किया।

डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 में भागीदारी- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने गांधीनगर, गुजरात में MeitY और एनसीपीआई द्वारा आयोजित डिजिटल इंडिया सप्ताह समारोह में भाग लिया। डिजिटल भुगतान क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंडप बनाया गया था। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में आईपीपीबी का एक स्टॉल था जहाँ एईपीएस, डीएलसी, सीईएलसी, डोरस्टेप बैंकिंग सर्विसेज और मोबाइल ऐप आदि जैसी अपनी पहलों का प्रदर्शन किया।

आईपीपीबी के एमडी और सीईओ के साथ प्रेस बातचीत- आईपीपीबी के एमडी और सीईओ श्री जे वेंकटरामू ने प्रेस (इकोनॉमिक टाइम्स और हिंदुस्तान) के साथ बातचीत की और मीडिया को वर्तमान और भविष्य की परियोजनाओं के बारे में सलाह दी। डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं और व्हाट्सएप बैंकिंग पहल के साथ वित्तीय समावेशन पर विस्तार से चर्चा की गई।

आईपीपीबी की चौथी वर्षगांठ समारोह- आईपीपीबी ने 1 सितंबर 2022 को अपने सभी कार्यालयों में उत्साह और उमंग के साथ राष्ट्रीय लॉन्च की चौथी वर्षगांठ मनाई। एक टाउनहॉल का आयोजन किया गया और इस अवसर पर एमडी और सीईओ, आईपीपीबी और वरिष्ठ प्रबंधन ने स्टाफ सदस्यों को संबोधित किया। कार्यक्रम का आईपीपीबी यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण किया गया। एमडी और सीईओ ने पिछले साल व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और बैंक को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए स्टाफ सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने स्टाफ सदस्यों से इस अवसर पर आगे बढ़ने और इस वर्ष 1000 करोड़ का राजस्व पार करने का आग्रह किया।

जम्मू और कश्मीर में 'निवेशक दीदी' का शुभारंभ- आईपीपीबी ने आईईपीएफए के सहयोग से 27 और 28 अक्टूबर 2022 को जम्मू और कश्मीर में 'निवेशक दीदी' का शुभारंभ किया था, एक पहल जहां गहन सामाजिक जुड़ाव वाली महिला डाकिया वित्तीय साक्षरता लक्ष्यीकरण पर जागरूकता गतिविधियों का संचालन करेंगी। ग्रामीण और शहरी आबादी. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री और विशिष्ट अतिथि डॉ. फारूक अब्दुल्ला, संसद सदस्य (श्रीनगर) उपस्थित थे और आईईपीएफए, डाक विभाग, सीएससी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।-गवर्नेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। निवेशक दीदी का शुभारंभ डल झील, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में भारत के पहले फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर के आयोजन से किया गया था।

हडल ग्लोबल 2022 में भागीदारी- आईपीपीबी ने 'केरल स्टार्टअप मिशन, सरकार' द्वारा आयोजित एक प्रमुख स्टार्टअप सम्मेलन, हडल ग्लोबल में भाग लिया। केरल', 15 से 16 दिसंबर 2022 तक कोवलम, केरल में। इस कार्यक्रम में 5000 से अधिक स्टार्टअप शामिल हुए।

डिजिटल भुगतान उत्सव में भागीदारी- आईपीपीबी ने फरवरी 2023 के महीने में एनपीसीआई के समन्वय में MeitY द्वारा आयोजित 'डिजिटल भुगतान उत्सव' में भाग लिया। भारत की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में एक मील का पत्थर चिह्नित करने के लिए हर साल डिजिटल भुगतान उत्सव मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति रही।

यह कार्यक्रम 9 फरवरी 2023 से अक्टूबर 2023 तक की अवधि के लिए G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप (DEWG) कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में, देश भर में, विशेष रूप से दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और लखनऊ शहरों में डिजिटल भुगतान की श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था।

इसके अलावा, डिजिटल भुगतान और धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए माननीय मंत्री द्वारा डिजिटल संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। आईपीपीबी ने एक ब्रांडेड वाहन के साथ भाग लिया जिसे पूरी दिल्ली में चलाया गया।

प्रमुख मीडिया कवरेज

https://www.zeebiz.com/india/news-cabinet-decision-rs-820-crore-approved-for-india-post-payments-bank-financial-inclusion-183650

https://www.news18.com/news/business/savings-and-investments/govt-mulls-tie-up-between-india-post-payments-bank-and-whatsapp-see-whats-on-cards-5395315.html

IPPB's collaboration with WhatsApp with the aim of WhatsApp banking.

https://www.news18.com/news/business/savings-and-investments/keeping- money-in-post-office-know-new-service-fee-by-india-post-payments-bank-5376067.html

Informing customers how to deposit money with IPPB in detailed steps. Also informing about additional services like Virtual Debit Cards

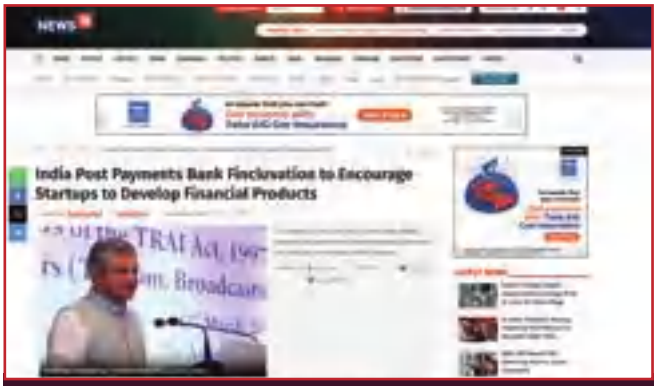

https://www.news18.com/news/business/savings-and-investments/keeping-money-in-post-office-know-new-service-fee-by-india-post-payments-bank-5376067.html

Launch of Fincluvation in the august presence of Hon'ble Cabinet Minister, Shri Ashwin Vaishnaw.

https://www.goodreturns.in/classroom/how-to-book-doorstep-banking-services-online-with-ippb-1244958.html

Step by Step guide for booking Doorstep Banking services with IPPB.

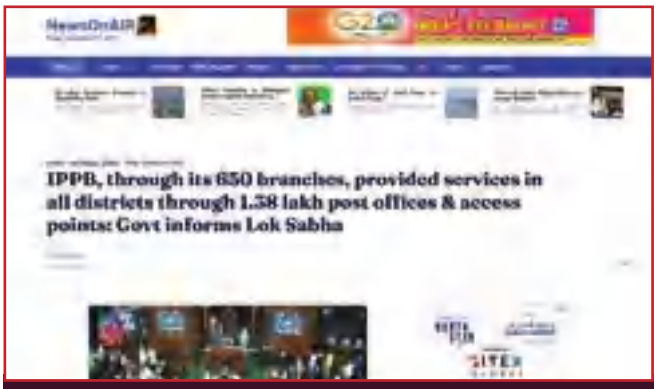

https://newsonair.com/2023/03/15/ippb-through-its-650-branches-provided-services-in-all-districts-through-1-38-lakh-post-offices-access-points-govt-informs-lok-sabha/

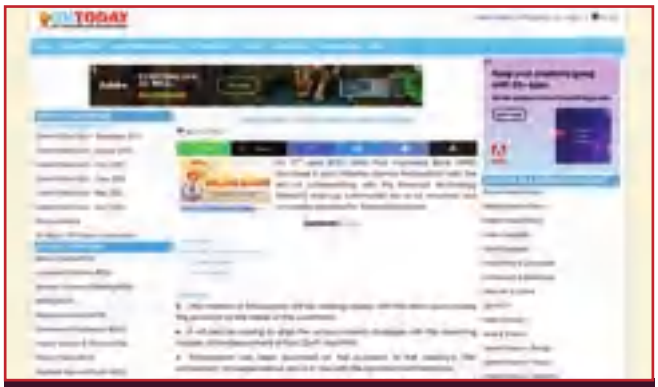

https://www.gktoday.in/fincluvation-ippbs-new-fin-tech-initiative/

Explaining the workings of Fincluvation and how one can benefit from it.

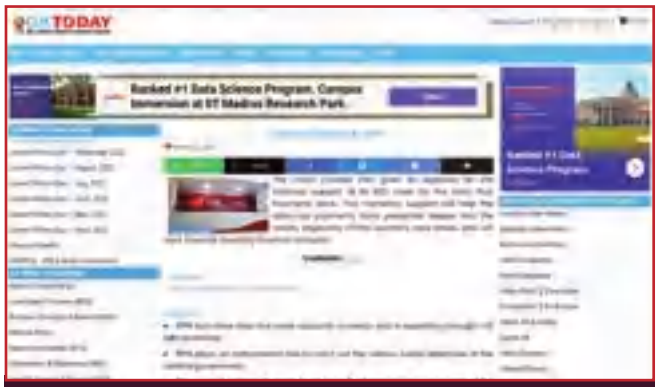

https://www.gktoday.in/financial-support-to-ippb/

https://www.gktoday.in/rbih-ippb-collaboration-for-innovation/

Collabration with RBHI and what the joint initiative signifies.

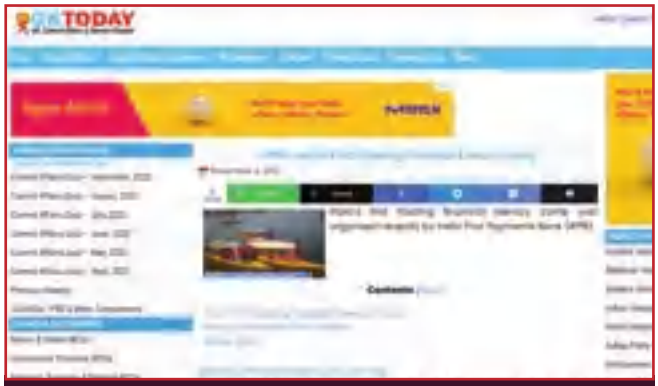

https://www.gktoday.in/ippb-indias-first-floating-financial-literacy-camp/

On the launch of Niveshak Didi in Srinagar, J&K.

https://www.abplive.com/business/india-post-payments-bank-ippb-alert-its-customers-from-cyber-fraud-now-details-2278824

Precautionary measures for the customers.

https://www.tv9marathi.com/utility-news/from-lending-to-banking-facilities-now-at-your-doorstep-india-post-payments-bank-has-launched-the-service-but-the-work-needs-to-be-done-au152-897423.html

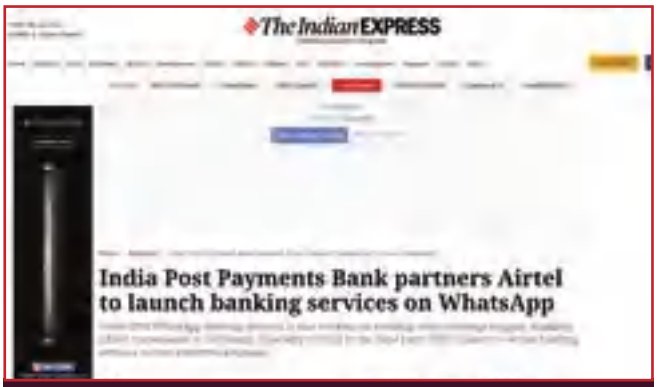

https://indianexpress.com/article/business/india-post-payments-bank-partners-airtel-to-launch-banking-services-on-whatsapp-8531222/

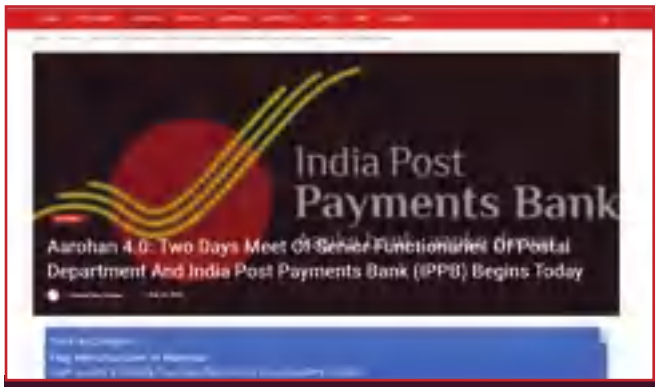

https://indianexpress.com/article/business/india-post-payments-bank-partners-airtel-to-launch-banking-services-on-whatsapp-8531222/

https://www.fortuneindia.com/enterprise/india-post-payments-bank-rbih-join-hands-for-financial-product-services/110123

वैधानिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण

सेवा में
सदस्य,

'आपके निदेशक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी की सातवीं वार्षिक रिपोर्ट ('आईपीपीबी') प्रस्तुत करते हैं, साथ ही लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की समीक्षा भी इस रिपोर्ट में शामिल है।'

वित्तीय परिणाम

पिछले वर्ष के आंकड़ों के साथ समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन निम्नलिखित है:

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2023	वित्तीय वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2022
कुल जमा	6292.36	3691.72
कुल संपत्ति/देनदारियाँ	7619.87	4501.11
कुल आय	766.15	461.20
कुल व्यय	745.99	620.82
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/शुद्ध हानि	20.16	-159.62
निवल मूल्य	506.11	277.76
भारत सरकार की शेयरधारिता (%)	100.00	100.00
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) (%)	30.76	40.83
टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	30.62	40.83
प्रति शेयर आय - मूल/मिश्रित (रुपये में)	0.13	-1.22

निष्पादन विशेषताएं और विहंगालोकन

इस अवधि के दौरान, कंपनी ने 766.15 करोड़ रुपये का कुल राजस्व और 745.99 करोड़ रुपये का कुल व्यय दर्ज किया है। वर्ष के दौरान कुल शुद्ध लाभ रुपये 20.16 करोड़ है। पिछले वर्ष कंपनी को 159.62 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

जनता की जमा राशियाँ

एक बैंकिंग कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और 74 के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(v) और (VI) के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण आपकी कंपनी पर लागू नहीं है।

लाभांश

कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया था।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशक सदस्यों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि समीक्षाधीन वर्ष के वित्तीय विवरण पूरी तरह से कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

निदेशक इसकी पुष्टि करते हैं:

- वार्षिक खाते लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किए गए हैं;
- सुसंगत आधार पर चुनी और लागू की गई लेखांकन नीतियां, कंपनी के मामलों और वित्तीय वर्ष के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देती हैं;
- कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखा गया है और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पता लगाने के लिए पर्याप्त ध्यान रखा गया है।
- वार्षिक खाते चालू संस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं;
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

सांविधिक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक, मेसर्स पीके चोपड़ा और सीओ, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (एफआरएन - 06747एन) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है और लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उठाए गए बिंदु स्वतः स्पष्ट हैं।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और परिशिष्ट रिपोर्ट तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां बोर्ड की रिपोर्ट में संलग्न हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए मेसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी, नई दिल्ली को नियुक्त किया है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रबंधन उत्तर के साथ सचिवीय लेखा परीक्षा की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी अधिनियम 2013 की अपेक्षा के अनुसार जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़ें, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित प्रासंगिक डेटा निर्धारित प्रारूप में दिया गया है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

कॉर्पोरेट की सामाजिक उत्तरदायित्व

19 जनवरी, 2017 को निदेशक मंडल द्वारा कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति को मंजूरी दी गई थी। सीएसआर प्रावधान अभी तक कंपनी पर लागू नहीं हैं।

निदेशक मंडल

बैंक का निदेशक मंडल व्यापक आधार वाला है और इसका संविधान कंपनी अधिनियम 2013 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। बोर्ड सीधे तौर पर और साथ ही बैंक के महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में केंद्रित प्रशासन प्रदान करने के लिए गठित विभिन्न बोर्ड समितियों के माध्यम से कार्य करता है।

निदेशकों के बीच परस्पर संबंध

आपके बैंक के बोर्ड में कोई भी निदेशक प्रत्याक्ष या अप्रत्याक्ष रूप से किसी भी अन्य निदेशक से संबंधित नहीं है।

बोर्ड बैठकों के लिए कोरम

बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम कुल संख्या का एक तिहाई या दो निदेशकों से होगा, जो भी अधिक हो, बशर्ते कि कम से कम एक निदेशक केंद्र सरकार द्वारा नामित हो।

मार्च 2023 तक कंपनी का निदेशक मंडल:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद का नाम	प्रभाव सहित अधिभोग की अवधि
1.	विनीत पांडे	अध्यक्ष एवं निदेशक	09/06/2021
2.	पवन कुमार सिंह	नामिती निदेशक	15/12/2021
3.	जे वेंकटरामू	एमडी एवं सीईओ	29/10/2020
4.	संजय प्रसाद	नामिती निदेशक	05/12/2018
5.	डॉ. जतिन कुमार मोहंती	स्वतंत्र निदेशक	11/09/2022
6.	जयश्री व्रजलाल दोशी	स्वतंत्र निदेशक	28/09/2022
7.	कलियानन ए.	स्वतंत्र निदेशक	11/09/2022
8.	वीनय गानू	स्वतंत्र निदेशक	11/09/2022
9.	नवनीत कक्कड़	स्वतंत्र निदेशक	11/09/2022
10.	श्रीकांत नामदेव	नामिती निदेशक	18/01/2023

रिपोर्ट की वर्ष के दौरान/पिछले एजीएम की तरीख से अब तक निम्नलिखित व्यक्तियों को निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नियुक्त किया गया था:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद का नाम	प्रभाव सहित अधिभोग की अवधि
1	श्रीकांत नामदेव	नामिती निदेशक	18/01/2023

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान/अंतिम एजीएम की तिथि से आज तक निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक/केएमपी नहीं रहे:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद का नाम	अपॉइंटमेंट की तिथि	त्यागपत्र की तिथि
1	अनिंदिता सिन्हाराय	नामिती निदेशक	28/07/2020	15/12/2022

रिपोर्ट अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को केएमपी के रूप में नामित किया गया था:

क्र. सं.	व्यक्ति का नाम	पद का नाम	प्रभाव सहित अधिभोग की अवधि
1.	जे वेंकटरामू	एमडी एवं सीईओ	29/10/2020
2.	अनूप एस	मुख्य वित्तीय अधिकारी	01/04/2022
3.	प्रियंका भटनागर	कंपनी सचिव	16/01/2017

बोर्ड बैठक

वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की आठ (08) बैठकें हुईं:

47वीं बोर्ड बैठक 18 अप्रैल 2022	**48वीं** बोर्ड बैठक 30 जून, 2022	**49वीं** बोर्ड बैठक 29 सितंबर, 2022	**50वीं** बोर्ड बैठक 12 नवंबर, 2022
51वीं बोर्ड बैठक 26 नवंबर 2022	**52वीं** बोर्ड बैठक 07 दिसम्बर, 2022	**53वीं** बोर्ड बैठक 13 दिसंबर, 2022	**54वीं** बोर्ड मीटिंग 23 फरवरी, 2023

बोर्ड बैठक में निदेशक की उपस्थिति

निदेशक का नाम	आपके बैंक की बोर्ड बैठकों में उपस्थिति (आयोजित बैठकों की कुल संख्या - 08)
विनीत पांडे	08 में से 07
संजय प्रसाद	08 में से 03
पवन कुमार सिंह	08 में से 08
जे वेंकटरामू	08 में से 08
अनिंदिता सिन्हाराय	07 में से 01
श्रीकांत नामदेव	01 में से 01
नवनीत कक्कड़	05 में से 05
कलियानन ए.	05 में से 05
वीनय गानू	05 में से 05
जयश्री व्रजलाल दोशी	05 में से 05
डॉ. जतिन कुमार मोहंती	05 में से 04

समितियाँ

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट प्रशासन और जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में रणनीतिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों को देखने के लिए निदेशकों और/या कार्यकारी अधिकारियों की विभिन्न उप-समितियों का गठन किया है। महत्वपूर्ण समितियाँ इस प्रकार हैं:

1) बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

2) बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

3) बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

4) बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

5) बोर्ड की मानव संसाधन स्टीयरिंग समिति (पहले भर्ती सलाहकार समिति के नाम से जानी जाती थी)

6) बोर्ड की आईटी रणनीति समिति

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी की ऑडिट समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। समिति में छह सदस्य हैं और स्वतत्र निदेशक श्री नवनीत कक्कड अध्यक्ष हैं। ऑडिट समिति बैंक के लेखांकन, ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग प्रथाओं की गुणवत्ता और अखंडता की देखरेख और कानूनी और अन्य नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन की जिम्मेदारी में बोर्ड की सहायता करती है। समिति का उद्देश्य कंपनी की लेखांकन और वित्तीय प्रक्रिया की देखरेख करना और बैंक के त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय खातों की समीक्षा करना है। वर्ष 2022-23 के दौरान छह (06) लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

26वीं लेखापरीक्षा समिति 29 जून, 2022	**27वीं** लेखापरीक्षा समिति 19 सितंबर, 2022	**28वीं** लेखापरीक्षा समिति 12 नवंबर, 2022
29वीं लेखापरीक्षा समिति 06 जनवरी, 2023	**30वीं** लेखापरीक्षा समिति 22 फरवरी, 2023	**31वीं** लेखापरीक्षा समिति 20 मार्च, 2023

ऑडिट समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार हैं। समिति की कार्यों में अन्य कुछ फंक्शनों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1) कंपनी के लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक के लिए सिफारिशें;

2) लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;

3) वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच;

4) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन का अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन;

5) अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की जांच;

6) जहां भी आवश्यक समझा जाए, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;

7) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;

8) सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाए गए धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करना।

9) बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौंपी जाने वाली कोई अन्य जिम्मेदारियां।

सतर्कता तंत्र

कंपनी ने व्हिसिल ब्लोअर नीति के रूप में एक निगरानी तंत्र स्थापित किया है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को शिकायतें करने और की गई किसी भी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करना है और कर्मचारियों को आश्वस्त करना है कि उन्हें उत्पीड़न और उनके द्वारा अच्छे विश्वास में किए गए किसी भी मुखबिरी से बचाया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य कंपनी के कर्मचारियों को किसी समस्या को नज़रअंदाज़ करने या उसे बाहरी रूप से संभालने के बजाय संगठन के भीतर गंभीर मामलों को उठाने के लिए प्रोत्साहित करना और सक्षम बनाना है।

कंपनी पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही के उच्चतम संभव मानक के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय शामिल हैं जो सद्भावना के साथ कोई चिंता व्यक्त करके सतर्कता तंत्र का उपयोग करता है। यदि व्हिसिल ब्लोअर चाहे तो कंपनी व्हिसिल ब्लोअर की पहचान की रक्षा करती है। हालाँकि, व्हिसिल ब्लोअर को शिकायत की जांच के लिए आवश्यक किसी भी अनुशासनात्मक सुनवाई या कार्यवाही में भाग लेने की आवश्यकता हो सकती है। तंत्र एक विस्तृत शिकायत और जांच प्रक्रिया प्रदान करता है।

यदि परिस्थितियां आवश्यकता हो, तो कर्मचारी सीधे लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से शिकायत कर सकता है। कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रबंध निदेशक तक सीधी पहुंच के लिए एक मंच भी प्रदान करती है। उल्लंघनों की रिपोर्ट करने वालों की गोपनीयता बनाए रखी जाती है और उन पर कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है।

जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 28 जून, 2017 को किया गया था। समिति में श्री वीनय गानू सहित छह सदस्य हैं। विनय गानू, स्वतंत्र निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं। कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है जिसका उद्देश्य जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन बनाना है। इसमें कंपनी के व्यवसाय में जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन शामिल है। नीति के अनुसार निरंतर आधार पर निगरानी और सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। समिति के पास बैंक के संपूर्ण जोखिम के प्रबंधन, बाजार और परिचालन जोखिमों सहित उपयुक्त जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने, जोखिम एकीकरण, सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन, विभिन्न जोखिम सीमाएं स्थापित करने और बैंक की साइबर सुरक्षा की समीक्षा करने की समग्र जिम्मेदारी है। कंपनी ने जोखिम प्रबंधन नीति को विधिवत लागू किया है। वर्ष 2022-23 के दौरान पाँच (05) जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

12वीं आरएमसी 13 मई, 2022	13वीं आरएमसी 23 जून, 2022	14वीं आरएमसी 19 सितंबर, 2022	15वीं आरएमसी 5 जनवरी, 2023	16वीं आरएमसी 22 मार्च, 2023

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी की नामांकन पारिश्रमिक समिति का गठन 28 जून, 2017 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार किया गया था। समिति में पांच सदस्य हैं और सुश्री जयश्री व्रजलाल दोशी, स्वतंत्र निदेशक इसकी अध्यक्ष हैं। बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की ''फिट और उचित मानदंड'' की स्थिति निर्धारित करने के लिए समिति का गठन किया गया है। आगे, सरकार दिनांक 30.08.2019 की अधिसूचना में आरबीआई मास्टर डायरेक्शन दिनांक 02.08.2019 द्वारा निर्दिष्ट संरचना के साथ नामांकन और पारिश्रमिक समिति दोनों के कार्यों को पूरा करने के लिए एक एकल नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान दो (02) समिति की बैठक आयोजित की गई।

04था एनआरसी 29 सितंबर, 2022	05वां एनआरसी 21 मार्च, 2023

ग्राहक सेवा समिति

बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के लिए कंपनी की ग्राहक सेवा समिति का गठन 28 जून, 2017 को किया गया था। समिति में पांच सदस्य हैं, जिनमें डॉ. जतिन कुमार मोहंती, स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष और प्रमुख ग्राहक सेवा अधिकारी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान दो (02) समिति बैठकें आयोजित की गईं।

08वीं ग्राहक सेवा समिति 29 सितंबर, 2022	09वीं ग्राहक सेवा समिति 22 मार्च, 2023

मानव संसाधन स्टीयरिंग समिति (पूर्व नाम - भर्ती सलाहकार समिति)

मानव संसाधन स्टीयरिंग कंपनी की समिति का गठन 01 दिसंबर, 2017 को किया गया था। समिति में तीन सदस्य हैं और सुश्री जयश्री व्रजलाल दोशी, स्वतंत्र निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं और मुख्य मानव संसाधन अधिकारी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान तीन (03) मानव संसाधन स्टीयरिंग समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

18वाँ एचआरएससी 19 सितंबर, 2022	19वाँ एचआरएससी 07 जनवरी, 2023	20वाँ एचआरएससी 21 मार्च, 2023

आईटी संचालन समिति

बोर्ड की आईटी संचालन समिति का गठन 05 दिसंबर, 2018 को किया गया था। समिति में छह सदस्य हैं और श्री कलियानन ए. स्वतंत्र निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं। सीटीओ समिति का स्थायी आमंत्रित सदस्य है। बोर्ड की आईटी संचालन समिति के व्यापक कार्य इस प्रकार हैं:

1. प्रबंधन ने एक प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया लागू की है, इसको जांचने के उपरांत आईटी रणनीति और नीति की मंजूरी देना।
2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईपीपीबी प्रौद्योगिकी संगठन संरचना व्यवसाय मॉडल का पूरक है, प्रतिभा सोर्सिंग पर समर्थन देने के साथ-साथ दिशा-निर्देश प्रदान दें।
3. सर्वोत्तम अभ्यास प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन पर केंद्रित सिस्टम आर्किटेक्चर के निर्माण में प्रबंधन का मार्गदर्शन करें।
4. नई प्रौद्योगिकी विकल्पों और लागत पर विचार के साथ-साथ जोखिम और लाभ का संतुलन सुनिश्चित करते हुए नीचे दिए गए व्यावसायिक मापदंडों पर प्रौद्योगिकी में निवेश को मंजूरी देना:
    - नई राजस्व लाइनें
    - ग्राहक अनुभव को बढ़ाना
    - विनियामक अनुपालन
    - निर्माण प्रक्रिया दक्षता

वर्ष 2022-23 के दौरान पांच (05) आईटी स्टीयरिंग समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

12वीं आईटीएससी 23 जून, 2022	13वीं आईटीएससी 13 दिसंबर, 2022	14वीं आईटीएससी 06 जनवरी 2023
15वीं आईटीएससी 23 फरवरी, 2023	16वीं आईटीएससी 21 मार्च, 2023	

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है कि वह कंपनी अधिनियम की धारा 149 की उप-धारा (6) में निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है और बोर्ड की राय में वे अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 जिसे कम्पनी अधिनियम 2014 के नियम 5(2) के साथ पठित, के तहत जानकारी

आईपीपीबी एक सरकारी कंपनी है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान और प्रासंगिक नियम भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 05.06.2015 के मद्देनजर लागू नहीं होंगे। फंक्शनल निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा तय की जाती हैं। आईपीपीबी के कंपनी सचिव, केएमपी की नियुक्ति का वेतन, नियम और शर्तें कंपनी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के तहत अपने स्वयं के प्रदर्शन और इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के बोर्ड द्वारा किए गए औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में विवरण

आईपीपीबी एक सरकारी कंपनी है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधान और प्रासंगिक नियम भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 05.06.2015 के मद्देनजर लागू नहीं होंगे।

संबंधित पार्टी संव्यवहार

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई संबंधित पार्टी अनुबंध, व्यवस्था या लेनदेन नहीं किया गया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) के फॉर्म एओसी 2 में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंध/व्यवस्था के विवरण का कोई खुलासा नहीं किया गया है।

होल्डिंग एवं सहायक कंपनी

कोई होल्डिंग या सहायक कंपनी नहीं है.

कंपनी की अधिकृत और भुगतान शेयर पूंजी में परिवर्तन

(I) अधिकृत पूंजीः 1,85,50,00,000 रुपये के इक्विटी शेयर रु. 10/- प्रत्येक

(II) प्रदत्त पूंजीः 1,65,50,00,000 इक्विटी शेयर रु.10/- प्रत्येक

सामान्य शेयरों का राइट्स ईश्यू

कंपनी ने शेयरधारकों की मौजूदा शेयरधारिता के अनुपात में मौजूदा इक्विटी शेयरधारक, डाक विभाग के सचिव के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को 20,00,00,000 सामान्य शेयरों का राइट्स इश्यू किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत दिए गए ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया था और इसलिए, उक्त प्रावधान लागू नहीं है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धता

इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005। सूचना प्राप्त करने में नागरिकों की सहायता और सुविधा के लिए, आईपीपीबी की वेबसाइट पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं, जिसमें आरटीआई अधिनियम, 2005 की प्रक्रिया बताई गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने अधिनियम के तहत सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने और प्रथम अपील दायर करने के अधिकार के तहत प्राप्त अनुरोधों से निपटने के लिए पूरे संगठन में एक विस्तृत तंत्र स्थापित किया है। अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अनुरूप आईपीपीबी की वेबसाइट पर सक्रिय खुलासे किए गए हैं, जिससे विभिन्न श्रेणियों की जानकारी का प्रसार किया जा सके ताकि नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिनियम का सहारा लेने की कम से कम आवश्यकता हो।

राजभाषा (कार्यालयीन भाषा)

राजभाषा हिंदी के प्रसार और प्रचार-प्रसार के लिए ठोस प्रयास करती है। भारत सरकार की राजभाषा नीति/अधिनियम/नियम/आदेशों के अनुसरण में सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में प्रयास जारी हैं। वर्ष के दौरान इस संबंध में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में से हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया था। यानी लिखित रूप में सरल और बोलचाल के शब्दों का उपयोग करके रोजमर्रा के आधिकारिक पत्राचार में हिंदी के उपयोग बढ़ाया जा सके। कंपनी की वेबसाइट अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क्यू) के तहत जानकारी, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 8(5)(viii) के साथ पठित

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली परिचालन दक्षता, संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण, वित्तीय रिपोर्टिंग में सटीकता और तत्परता और कानूनों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावकारिता की समीक्षा करने के लिए एक आंतरिक ऑडिट प्रक्रिया द्वारा समर्थित किया जाता है, जिसमें इसके सिस्टम और प्रक्रियाएं और नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन शामिल है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर प्रबंधन के साथ चर्चा की जाती है।

निदेशकों द्वारा वैधानिक प्रकटीकरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार आपकी कंपनी का कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है। आपके निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के तहत आवश्यक खुलासे किए हैं।

औद्योगिक संबंध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्रबंधन और कर्मचारियों/कर्मचारियों के बीच संबंध अत्याधिक सौहार्दपूर्ण थे। कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण और उत्पादकता में सुधार जैसी मानव संसाधन पहल कंपनी के कर्मचारियों के विकास के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्र थे।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत खुलासा

कंपनी एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए इसे बर्दाश्त नहीं करती है किसी भी रूप में कोई भेदभाव और/या उत्तपीड़न। कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप एक यौन उत्पीड़न विरोधी नीति अपनाई है। यौन उत्तपीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की गई है। इस नीति के अंतर्गत सभी महिला कर्मचारी (स्थायी, संविदा, अस्थायी, प्रशिक्षु) शामिल हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

आपके निदेशक आगे बताते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार।

धारा 143 (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण, जो केंद्र सरकार के लिए रिपोर्ट योग्य हैं

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों, समवर्ती लेखा परीक्षकों और सचिवीय लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

सचिवीय मानक

निदेशकों का कहना है कि कंपनी पर लागू सचिवीय मानकों का कंपनी द्वारा विधिवत पालन किया गया है।

लागत लेखापरीक्षा के बारे में खुलासा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 14 के तहत दिए गए प्रावधान वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय/बहिर्वाह

अनुलग्नक - 'क'

पावती

निदेशक मंडल भारत सरकार, विशेष रूप से संचार मंत्रालय (डाक विभाग), वित्तीय संस्थानों, बैंकों, ग्राहकों और अन्य सभी हितधारकों से प्राप्त सहयोग के लिए की गई सराहना को गहराई से स्वीकार करता है। निदेशक मंडल सी एंड एजी और वैधानिक लेखा परीक्षकों और सचिवीय लेखा परीक्षकों से प्राप्त मूल्यवान सहयोग के लिए धन्यवाद देता है। निदेशक इस अवसर पर प्रत्येक कर्मचारी के बहुमूल्य योगदान, कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बोर्ड को विश्वास है कि कर्मचारियों के निरंतर और समर्पित प्रयासों से, आपकी कंपनी नई चुनौतियों का सामना करने और बेहतर प्रदर्शन हासिल करने में सक्षम होगी।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

विनीत पांडे
अध्यक्ष
डीआईएन - 09199133
बी2 टावर 5,
न्यू मोती बाग,
नई दिल्ली

वी. ईशरन
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन - 08055728
बी 101, पोलारिस गैलेक्सी
एलबीएस मार्ग, मुलुंड (पश्चिम),
मुंबई - 400080

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 01/12/2023

अनुलग्नक - 'क'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा 3 के खंड (एम)
और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के अनुसार

(क) ऊर्जा का संरक्षण:

ऊर्जा संरक्षण हेतु उठाए गए कदम	कंपनी की नीति है कि कार्यालय समय के बाद जब कर्मचारी आफिस में न रहें तब बिजली बंद कर दिया जाए। कंपनी ऊर्जा संरक्षण के लिए एयर कंडीशनिंग तापमान उसी अनुपाल में भी बनाए रखती है। कंपनी अपने ऊर्जा उपयोग में किफायती करने हेतु अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है।
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए उठाए गए कदम	कंपनी के पास ऊर्जा का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है।
ऊर्जा वार्तालाप पर पूंजी निवेश	ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए जब भी आवश्यक समझा जाता है, समय-समय पर निवेश पर विचार किया जाता है।

(ख) प्रौद्योगिकी समावेशन:

(i) प्रौद्योगिकी समावेशन की दिशा में किए गए प्रयासः **शून्य**

(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे प्राप्त लाभः **शून्य**

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित): **लागू नहीं**

(क) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण

(ख) आयात का वर्ष

(ग) क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया गया है

(घ) यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुआ है, तो वे क्षेत्र जहां अवशोषण नहीं हुआ है, और उसके कारण; और

(iv) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्ययः **शून्य**

(ग) विदेशी मुद्रा आय और आउटगो:

प्रयुक्त विदेशी मुद्राः रु. शून्य

अर्जित विदेशी मुद्राः रु. शून्य

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

के स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (''बैंक'') की संलग्न एकल वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2023 के अनुसार तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और तसंबंधी समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और अन्य विवेचनात्मक सूचना सहित एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल हैं।

   हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत बैंकिंग कंपनियों के लिए यथापेक्षित स्वरूप में 31 मार्च, 2013 को बैंक के मामलों की स्थिति, और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसकी हानि तथा उसके नकदी प्रवाह को लेकर अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और ये कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 7 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

अभिमत का आधार

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरण खंड में लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णन किया गया है। हम इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम और इसके तहत नियम के प्रावधानों के तहत एकल वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन अपेक्षाओं तथा नैतिक आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे मंतव्य के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

3. प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

(क) हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और राजस्व तथा अन्य संबंधित शेष राशि की पहचान, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण की सटीकता निर्धारित करने हेतु निम्नानुसार वास्तविक परीक्षण शामिल हैं:

(i) राजस्व मदों का एक नमूना चुना गया और राजस्व मदों की पहचान से संबंधित आंतरिक नियंत्रण और अंतर्निहित प्रणाली नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता तथा खाता बहियों में उनके उपचार की जांच की। हमने इन नियंत्रणों के प्रचालन के संबंध में पूछताछ और अवलोकन, प्रदर्शन और साक्ष्य के निरीक्षण से जुड़ी प्रक्रियाओं का एक संयोजन किया।

(ii) राजस्व से संबंधित प्रासंगिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की पहुंच और परिवर्तन प्रबंधन नियंत्रणों की जांच की गई और राजस्व को रिकॉर्ड करने और प्रकट करने में उपयोग की जाने वाली संबंधित जानकारी का परीक्षण किया गया।

(iii) जहां हमने अतिरिक्त स्वतंत्र प्रक्रियाओं को निष्पादित करने की आवश्यकता की पहचान की, हमने मैन्युअल क्षतिपूर्ति नियंत्रणों; जैसे कि सिस्टम और अन्य सूचना स्रोतों के बीच सामंजस्य या अतिरिक्त परीक्षण करने पर निर्भरता रखी; पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए, हमारे नमूना आकार को बढ़ाया।

(ख) हमारे मूल्यांकन में 31.3.2023 तक निष्क्रिय और शिथिल खातों के कारण संभावित व्यावसायिक जोखिम की संभावना है।

(ग) निवेश पर काम करने वाले ट्रेजरी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण और सूचना के अनुसार, लेखांकन की उत्पाद फिनेकल प्रणाली प्रचालन में है और फिनेकल की विशेषताएं निवेश पोर्टफोलियो की घटनाओं को कैप्चर करती हैं और ऑडिट ट्रायल को बनाए रखा जा रहा है। हमारे विचार में, आईपीपीबी को कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की दिनांक 24 मार्च 2021 की अधिसूचना, जहां भी लागू हो, अन्य विभागों में प्रचालन में लेखांकन सॉफ्टवेयर में ऑडिट परीक्षण सुविधा की आवश्यकता को सुनिश्चित करना और पूरा करना है और बाद में दिनांक 1 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल, 2023 से प्रत्येक कंपनी के लिए अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रायल सुविधा की आवश्यकता को पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया।

(घ) आंतरिक नियंत्रण आम तौर पर कंपनी के आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप होते हैं। हालाँकि, ग्राहकों से संग्रहण और उसे डाक विभाग के पास जमा करने के संबंध में शाखाओं के साथ लेनदेन के कुछ क्षेत्रों में एक सतत प्रक्रिया के रूप में निगरानी और समय पर मिलान को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण मामला

हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं

4. अनुसूची 18 की टिप्पणी संख्या 13 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण डाक विभाग और आईपीपीबी के बीच समझौता ज्ञापन के माध्यम से सरकार द्वारा अनुमोदित व्यवस्था से ली गई है। आईपीपीबी एएस 18 के पैरा 9 और पैरा 10.13 के अनुसार राज्य नियंत्रित उद्यमों के हित में प्रदान की गई छूट के अनुसार डाक विभाग के साथ अपने लेनदेन को संबंधित पार्टी लेनदेन के रूप में रिपोर्ट नहीं कर रहा था। आईपीपीबी अपने निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेनदेन को वित्तीय विवरणों में संबंधित पार्टी लेनदेन के रूप में दर्ज कर रहा था।

5. अपने समर्पित और अनुकूलित प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के कार्यान्वयन के व्यवहार के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची संख्या 18 ''एसआई लागत'' में टिप्पण संख्या 36

इन मामलों के संबंध में हमारा मंतव्य संशोधित नहीं है।

अन्य सूचना

अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी सम्मिलित है, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर कोई भी स्वरूप अथवा आश्वासन का निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों अथवा लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ तथ्यात्मक रूप से असंगत है अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि तथ्यात्मक रूप से ग़लत जानकारी दी गई है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें शासन के प्रभारी लोगों को इस मामले के बारे में सूचित करना आवश्यक है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी लोगों की जिम्मेदारियां

(क) बैंक का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, जिसमें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 7 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानक तथा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी किए गए परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं तथा तथ्यात्मक गलतबयानी से, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, से मुक्त हैं।

(ख) एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का खुलासा करने और चालू संस्था से संबंधित लेखांकन के आधार का उपयोग करने, जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक को समाप्त करने अथवा प्रचालन बंद करने का इरादा रखता हो अथवा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

(ग) वह निदेशक मंडल बैंकों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

(क) हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षण पर मानकों के अनुसार संचालित लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगी। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की न्यायोचित आशा की जा सकती है।

(ख) लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हमारा यह भी कहना है कि:

- एकल वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी सामग्री की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय समझाने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

- चालू संस्था के प्रबंधन के लेखांकन के उपयोग के आधार की उपयुक्तता और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें, कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक की चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण बैंक एक चालू संस्था के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।

- प्रकटीकरण सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

(ग) हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं, शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

(घ) हम उन लोगों को एक विवरण भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले हो सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों को सूचित किया है।

(ड़) शासन के प्रभारी लोगों के साथ संचारित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यांत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के जनहित लाभ कहीं अधिक हैं, उचित रूप से अपेक्षित होंगे।

अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

(च) तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और कंपनी (नियम), 2014 (यथा संशोधित) के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है।

(छ) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं किः

क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्म ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारे ऑडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख) बैंक के जो लेन-देन हमारे संज्ञान में आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं;

ग) चूँकि बैंक के प्रमुख परिचालन कोर बैंकिंग प्रणाली में एकीकृत प्रमुख अनुप्रयोगों के साथ स्वचालित होते हैं, लेखा परीक्षा केंद्रीय स्तर पर की जाती है क्योंकि हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी जरूरी रिकॉर्ड और डेटा उसमें उपलब्ध होते हैं।

ज) अधिनियम की धारा 197(16) के तहत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामले के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि चूंकि बैंक एक बैंकिंग कंपनी है, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत परिभाषित किया गया है; क्या बैंक द्वारा भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है और क्या उपरोक्त धारा के अनुसार कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है, इस संबंध में धारा 197(16) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

झ) अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, हमने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर विचार किया है। हम अपनी रिपोर्ट संलग्न ''अनुलग्नक क'' में प्रदान करते हैं।

ट) इसके अलावा, अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्म जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे;

ख) हमारी राय में, जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, बैंक द्वारा कानून में अपेक्षित उचित बही खाता पुस्तकें रखी गई हैं;

ग) इस रिपोर्ट में बताए गए एकल वित्तीय विवरण बही खाते के अनुरूप हैं;

घ) हमारी राय में, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (खाता) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस हद तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं;

ङ) निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए आधार पर, कोई भी निदेशक 31 मार्च 2023 को अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है;

च) हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणों के ऑडिट और 23 जून, 2023 की हमारी रिपोर्ट ''अनुलग्नक ख'' के अनुसार व्यक्त असंशोधित राय के संयोजन के साथ 31 मार्च 2023 तक बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग (आईएफसीओएफआर) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का भी ऑडिट किया है; और

छ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हम लोगो को दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. बैंक ने 31 मार्च 2023 तक अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों (शून्य) के प्रभाव का खुलासा किया है;

ii. बैंक ने 31 मार्च 2023 तक, लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत आवश्यक, व्युत्पन्न अनुबंधों (शून्य) सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हो, भौतिक पूर्वानुमानित हानि के लिए प्रावधान किया है; और

iii. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित की जाने वाली आवश्यक राशि (शून्य) हस्तांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।

iv.(क) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्म ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखा टिप्पणियों में बताए गए अनुसार के अलावा, कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकृति से) बैंक द्वारा विदेशी संस्थाओं (''मध्यस्थों'') सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) को इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे, प्रत्याक्ष या अप्रत्या रूप से कंपनी (''अंतिम लाभार्थी'') द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देना या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई अन्य व्यवस्था प्रदान नहीं की है।

(ख) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्म ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखा टिप्पणियों में बताए गए अनुसार के अलावा, बैंक को विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। (''फंडिंग पार्टियां''), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज की गई हो, कि बैंक, प्रत्याक्ष या अप्रत्याक्ष रूप से, वित्तपोषण करने वाले पक्ष (''अंतिम लाभार्थी'') द्वारा या उसकी ओर से मान्यता प्राप्त अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा और ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में हमने न्यायोचित और सही माना गया, हमारे विचार में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिसके कारण हमें ऐसा विश्वास होता है कि उप खंड (क) और (ख) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी है।

(v) बैंक ने वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है, तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 का अनुपालन लेखा परीक्षा अधीन वर्ष के लिए बैंक पर लागू नहीं है।

(vi) बैंक ने अपने लेखाजोखे के अनुरक्षण के लिए ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की व्यवस्था है और इसे सॉफ्टवेयर और ऑडिट ट्रेल सुविधा में दर्ज सभी लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित किया गया है। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

कृते **पी के चोपड़ा एंड कं.**
चार्टर्ड एकाऊण्टेंट्स
फर्म की पंजीकरण सं.: 06747N

के. एस. पोन्नुस्वामी
पार्टनर
सदस्यता सं. 070276
यूडीआईएन सं.: 23070276BHAMZJ5285

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 जून, 2023

अनुलग्नक - 'क'

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरण पर बैंक के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध

अनुपालना प्रमाण-पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खातों की लेखा परीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते **पी के चोपड़ा एंड कं.**
चार्टर्ड एकाऊण्टेंट्स
फर्म की पंजीकरण सं.: 06747N

के. एस. पोन्नुस्वामी
पार्टनर
सदस्यता सं. 070276
यूडीआईएन सं.: 23070276BHAMZJ5285

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 जून, 2023

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की कंपनी अधिनियम,
2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों के अनुसार वर्ष 2022-2023 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट

वर्ष 2022-23 के लिए निर्देश

1) **क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के संसाधन के वित्तीय निहितार्थों, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की सत्यनिष्ठा पर प्रभाव का उल्लेख किया जा सकता है।**

   जी हां, बैंक के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली मौजूद है।

2) **क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या उधारी/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब-किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।**

   चूंकि यह एक भुगतान बैंक है, इसलिए इसे कोई भी अग्रिम देने की अनुमति नहीं है और इसलिए कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन या कंपनी के ऋणदाता द्वारा उधारी/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डाले जाने के संबंध में कोई मामला नहीं है।

3) **क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित लेखाजोखा/उपयोग किया गया था? कृपया विचलन के मामलों की सूची बनाएं।**

   केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि का इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित लेखाजोखा/उपयोग किया गया था।

कृते **पी के चोपड़ा एंड कं.**
चार्टर्ड एकाऊण्टेंट्स
फर्म की पंजीकरण सं.: 06747N

के. एस. पोन्नुस्वामी
पार्टनर
सदस्यता सं. 070276
यूडीआईएन सं.: 23070276BHAMZJ5285

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 जून, 2023

अनुलग्नक - 'ख'

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के सदस्यों को दी गई सम तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

1. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (बैंक) के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संयोजन में, हमने सम तिथि को बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग (आईएफसीओएफआर) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी लोगों की जिम्मेदारियाँ

2. बैंक का निदेशक मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर जारी मार्गदर्शन टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और अनुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें बैंक की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी त्रुटियों का पता लगाना और रोकथाम करना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत यथापेक्षित, विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर बैंक के आईएफसीओएफआर पर एक मंतव्य व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा मानकों, आईएफसीओएफआर की लेखा परीक्षा पर लागू सीमा तक, और आईसीएआई द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी (मार्गदर्शक टिप्पणी) के अनुरूप संचालित की है। उन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या पर्याप्त आईएफसीओएफआर स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

4. हमारी लेखा परीक्षा में आईएफसीओएफआर की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। आईएफसीओएफआर के हमारे ऑडिट में आईएफसीओएफआर की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, भले ही वह धोखाधड़ी अथवा किसी त्रुटि के कारण हुआ हो।

5. हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किया है वह बैंक के आईएफसीओएफआर पर हमारे लेखा परीक्षा मंतव्य के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

6. किसी बैंक की आईएफसीओएफआर आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रक्रिया है। किसी बैंक के आईएफसीओएफआर में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित होती हैं, जो उचित विवरण में, बैंक की परिसंपत्तियों के लेनदेन और प्रकृति को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) न्यायोचित आश्वासन प्रदान करे कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) बैंक की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करे, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

7. आईएफसीओएफआर की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन से नियत्रणों की अवहेलना करने की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए आईएफसीओएफआर के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्थितियों में बदलाव के कारण आईएफसीओएफआर अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर कमज़ोर हो सकता है।

मत

8. हमारी राय में, बैंक के पास, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और ऐसे नियंत्रण, इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में मार्गदर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

कृते **पी के चोपड़ा एंड कं.**
चार्टर्ड एकाऊण्टेंट्स
फर्म की पंजीकरण सं.: 06747N

के. एस. पोन्नुस्वामी
पार्टनर
सदस्यता सं. 070276
यूडीआईएन सं.: 23070276BHAMZJ5285

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 जून, 2023

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड
31 मार्च 2023 तक तुलनपत्र

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
पूंजी और देयताएं			
पूंजी	1	16550000	14550000
शेयर आवेदन राशि		2000000	-
आरक्षित एवं अधिशेष	2	-9620234	-9819377
जमा	3	62923585	36917218
उधार	4	-	-
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	4345365	3363240
कुल		**76198716**	**45011081**
संपत्ति			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष	6	6262034	2672807
कॉल और अल्प सूचना पर बैंकों और धन के साथ शेष राशि	7	19009366	9730653
निवेश	8	45991846	29008863
अग्रिम	9	98	15620
अचल संपत्तियां	10	596447	788712
अन्य परिसंपत्तियां	11	4338925	2794426
कुल		**76198716**	**45011081**
आकस्मिक देयताएं	12	2500	2500
संग्रहण के लिए बिल		-	-

Sd/-
(प्रियंका भटनागर)
कंपनी सचिव

Sd/-
(अनूप ई एस)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

Sd/-
(जे वेंकटरामू)
एमडी एवं सीईओ
(DIN - 08918442)

Sd/-
(पवन कुमार सिंह)
निदेशक
(DIN - 09434830)

Sd/-
(विनीत पांडे)
अध्यक्ष
(DIN - 09199133)

हमारे सम दिनांक के नोट के अनुसार
पीके चोपड़ा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट - FRN No. - 006747N
Sd/-
(पोन्नुस्वामी केएस)
पार्टनर
सदस्यता संख्या - 070276

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23.06.2023

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	अनुसूची	वर्ष समाप्त 31.03.2023	वर्ष समाप्त 31.03.2022
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	2790522	1284559
अन्य आय	14	4870980	3327482
कुल		**7661502**	**4612041**
II. व्यय			
व्ययित ब्याज	15	940216	711243
परिचालन व्यय	16	6461410	5595450
प्रावधान और आकस्मिकताएँ		58267	-98479
कुल		**7459893**	**6208214**
असाधारण आईटम्स		**-**	**-**
पूर्व अवधि व्यय			
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/शुद्ध हानि		**201609**	**-1596173**
लाभ एवं हानि खाते में शेष (आगे लाया गया)		**-9827397**	**-8228758**
विनियोजन के लिए लाभ उपलब्ध है		**-9625788**	**-9824931**
विनियोग			
आरक्षित में स्थानांतरण (नेट):			
वैधानिक रिज़र्व		50402	-
अनुदान खाता - पूंजी आरक्षित		-	2466
निवेश अस्थिरता आरक्षित		23483	-
अन्य आरक्षित		-	-
विशेष आरक्षित		-	-
शेष राशि को तुलनपत्र में स्थानांतरित कर दिया गया		-9699673	-9827397
कुल		**-9625788**	**-9824931**

Sd/-
(प्रियंका भटनागर)
कंपनी सचिव

Sd/-
(अनूप ई एस)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

Sd/-
(जे वेंकटराम्)
एमडी एवं सीईओ
(DIN - 08918442)

Sd/-
(पवन कुमार सिंह)
निदेशक
(DIN - 09434830)

Sd/-
(विनीत पांडे)
अध्यक्ष
(DIN - 09199133)

हमारे सम दिनांक के नोट के अनुसार
पीके चोपड़ा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट - FRN No. - 006747N
Sd/-
(पोन्नुस्वामी केएस)
पार्टनर
सदस्यता संख्या - 070276

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23.06.2023

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड
31 मार्च 2023 तक तुलनपत्र

(राशि 000 रुपये में)

विवरण		(2022-23)	(2021-22)
क. परिचालन से नकदी प्रवाह			
i) **कर के बाद शुद्ध लाभ**		201609	-1596173
जोड़ः कर के लिए प्रावधान (स्थगित कर सहित)		58267	-98479
कर देने से पूर्व लाभ	(i)	**259876**	**-1694652**
ii) **समायोजनः**			
अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास		274665	806129
निगमन व्यय बट्टे खाते में डाला गया		-	-
पूर्व अवधि की वस्तु को बट्टे खाते में डाला गया		-	-
घटाएंः अनुदान से उपयोग की गई शुद्ध राशि		2466	119348
कुल समायोजन	(ii)	**272199**	**686781**
परिचालन परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	(i)+(ii)	**532075**	**-1007871**
iii) **परिचालन परिसंपत्तियों और देनदारियों में शुद्ध परिवर्तन के लिए समायोजन**			
निवेश में (शुद्ध) गिरावट/वृद्धि		-16982983	-9917965
अन्य आस्तियों में गिरावट/वृद्धि		-1602766	104446
अग्रिम में गिरावट/वृद्धि		15522	-15620
जमा में (शुद्ध) गिरावट/वृद्धि		26006367	13920367
उधार में (शुद्ध) गिरावट/वृद्धि		-	-169964
अन्य देनदारियों में (शुद्ध) गिरावट/वृद्धि		982125	358803
परिचालन परिसंपत्तियों और देनदारियों में शुद्ध परिवर्तन के लिए कुल समायोजन	(iii)	**8418265**	**4280068**
संचालन से प्रयुक्त नकदी प्रवाह (i)+(ii)+(iii)		**8950340**	**3272197**
कर भुगतान		-	-
परिचालन से उपयोग किया गया शुद्ध नकदी प्रवाह	क	8950340	3272197
ख. निवेश गतिविधियों में उपयोग किया जाने वाला नकदी प्रवाह			
अचल परिसंपत्तियों की खरीद		-82400	-17408
निवेश गतिविधियों में उपयोग किया जाने वाला नेट कैश फ्लो	ख	-82400	-17408
ग. वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह			
शेयर पूंजी जारी करना		2000000	2000000
शेयर आवेदन राशि की प्राप्ति		2000000	-
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी	ग	4000000	2000000
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध परिवर्तन (क)+(ख)+(ग)	घ	**12867940**	**5254788**

वर्ष की प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य				
आरबीआई के पास नकदी और शेष	2672807		854128	
कॉल और अल्प सूचना पर बैंकों और धन के साथ शेष	9730653		6294544	
		12403460		7148672
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य				
आरबीआई के पास नकदी और शेष	6262034		2672807	
बैंक के पास बैलेंस और कॉल व अल्पसूचना पर धनराशि	19009366		9730653	
		25271400		**12403460**
		12867940		**5254788**

Sd/-
(प्रियंका भटनागर)
कंपनी सचिव

Sd/-
(अनूप ई एस)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

Sd/-
(जे वेंकटरामू)
एमडी एवं सीईओ
(DIN - 08918442)

Sd/-
(पवन कुमार सिंह)
निदेशक
(DIN - 09434830)

Sd/-
(विनीत पांडे)
अध्यक्ष
(DIN - 09199133)

हमारे सम दिनांक के नोट के अनुसार
पीके चोपड़ा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट - FRN No. - 006747N
Sd/-
(पोन्नुस्वामी केएस)
पार्टनर
सदस्यता संख्या - 070276

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23.06.2023

खातों की अनुसूचियाँ
(इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड)

अनुसूची 1 - पूंजी

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
अधिकृत पूंजी		
10 रुपये प्रत्येक के 185,50,00,000 इक्विटी शेयर	18550000	18550000
जारी एवं सब्सक्राइब किया गया		
10 रुपये प्रति मूल्य के 165,50,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10 रुपये प्रति मूल्य वाले 145,50,00,000 इक्विटी शेयर)	16550000	14550000
प्रदत्त पूंजी		
10 रुपये प्रति मूल्य के 165,50,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10 रुपये प्रति मूल्य वाले 145,50,00,000 इक्विटी शेयर)	16550000	14550000
कुल	**16550000**	**14550000**

अनुसूची 2 - रिजर्व एवं अधिशेष

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
I. सांविधिक रिजर्व				
अथशेष	5554		5554	
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	50402		-	
वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
		55956		**5554**
II. पूंजी आरक्षित				
क. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व				
अथशेष	-		-	
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-		-	
वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
ख. अन्य (अनुदान खाता)				
अथशेष	2466		119348	
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-		2466	
वर्ष के दौरान कटौती (उपयोग)	2466		119348	
		-		**2466**

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
III. राजस्व और अन्य रिजर्व				
क. निवेश अस्थिता रिजर्व				
अथशेष	-		-	
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	23483		-	
घटाएं: लाभ और हानि खाते में स्थानांतरण	-		-	
		23483		**-**
ख. अन्य रिजर्व				
अथशेष	-		-	
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-		-	
		-		-
ग. विनिमय अस्थिता रिजर्व				
अथशेष	-		-	
जमा: वर्ष के दौरान अतिरिक्त (शुद्ध)	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान निकाला गया (शुद्ध)	-		-	
		-		-
IV. शेयर प्रीमियम				
अथशेष	-		-	
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-		-	
		-		-
V. विशेष रिजर्व				
अथशेष	-		-	
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-		-	
वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
		-		-
VI. लाभ एवं हानि खाते में शेष		**-9699673**		**-9827397**
कुल I, II, III, IV, V और VI		**-9620234**		**-9819377**

अनुसूची 3 - जमा

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
I क. मांग जमा				
(i) बैंकों से	-		-	
(ii) अन्य से	209974		218331	
		209974		218331
II बचत बैंक जमा		62713611		36698887
III सावधि जमा				
(i) बैंकों से	-		-	
(ii) अन्यों से	-		-	
		-		-
I, II, III का कुल		**62923585**		**36917218**
ख. (i) भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ		62923585		36917218
(ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियाँ		-		-
i, ii का कुल		**62923585**		**36917218**

अनुसूची 4 - उधार

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. भारत में उधार		
(i) भारतीय रिजर्व बैंक	-	-
(ii) अन्य बैंक	-	-
(iii) अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
II. भारत के बाहर उधार	-	-
I, II का योग	-	-
ऊपर I और II में शामिल सुरक्षित उधार	-	-

अनुसूची 5 - अन्य देनदारियाँ और प्रावधान

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. देय बिल	-	-
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	-	-
III. अर्जित ब्याज	-	-
IV. अन्य (प्रावधानों सहित)	4345365	3363240
I, II, III और IV कुल योग	**4345365**	**3363240**

अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)		-		-
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष				
(i) चालू खाते में	2972034		1742807	
(ii) अन्य खातों में	3290000		930000	
		6262034		**2672807**
I, II का कुल		**6262034**		**2672807**

अनुसूची 7- कॉल और अल्प सूचना पर बैंकों और धनराशि के साथ संतुलन

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
I. भारत में				
(i) बैंकों के साथ शेष:				
(क) चालू खातों में	18047		15653	
(ख) अन्य जमा खातों में	16393500		9715000	
		16411547		**9730653**
(ii) कॉल और अल्प सूचना पर धनराशि:				
(क) बैंकों के साथ	-		-	
(ख) अन्य संस्थानों के साथ	2597819		-	
		2597819		-
कुल (i और ii)		**19009366**		**9730653**
II. भारत के बाहर				
(i) चालू खातों में	-		-	
(ii) अन्य जमा खातों में	-		-	
(iii) कॉल और अल्प सूचना पर धनराशि	-		-	
कुल (i, ii और ii)		**-**		**-**
कुल योग (I और II)		**19009366**		**9730653**

अनुसूची 8 - निवेश

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. भारत में निवेश		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	45991846	29001161
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
(iii) शेयर	-	7702
(iv) डिबेंचर और बांड	-	-
(v) सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में नवेश	-	-
(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड और वाणिज्यिक पत्र आदि)	-	-
I का कुल	**45991846**	**29008863**
II. भारत के बाहर निवेश		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	-	-
(ii) विदेश में सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश	-	-
(iii) अन्य निवेश	-	-
II का कुल	**-**	**-**
(I), (II) का कुल योग	**45991846**	**29008863**

अनुसूची 9 - अग्रिम

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
क. i) खरीदे गए और भुनाए गए बिल	-	-
ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण	-	-
iii) सावधि ऋण (कर्मचारी)	98	15620
कुल	**98**	**15,620**
ख. i) मूर्त आस्तियों द्वारा सुरक्षित (बही ऋणों के विरुद्ध अग्रिम सहित)	-	-
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा कवर किया गया	-	-
iii) असुरक्षित	98	15620
कुल	**98**	**15620**
ग. (I) भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	-	-
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	-	-
iii) बैंक	-	-
iv) अन्य	98	15620
कुल	**98**	**15620**
ग. (II) भारत के बाहर अग्रिम		
i) बैंकों से प्राप्य	-	-
ii) दूसरों से प्राप्य		
(क) खरीदे गए और भुनाए गए बिल	-	-
(ख) सावधि ऋण	-	-
(ग) अन्य	-	-
कुल	**-**	**-**
ग (I) और ग (II) का कुल योग	**98**	**15620**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां (राशि 000 रुपये में)

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
I. परिसर (भूमि सहित)				
- पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	-		-	
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
घटाएं: तिथि तक मूल्यह्रास	-		-	
		-		-
II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर और जूड़नार सहित)				
- पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	1440292		1424242	
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	76107		17463	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	35017		1413	
घटाएं: आज तक मूल्यह्रास	921780		735566	
		559602		**704726**
III. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर				
- पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	1778781		1778733	
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	6318		48	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
घटाएं: आज तक मूल्यह्रास	1748254		1694795	
		36845		**83986**
I, II और III का कुल योग		**596447**		**788712**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां (राशि 000 रुपये में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	-	-
II. अर्जित ब्याज	341840	219951
III. अग्रिम भुगतान किया गया कर/कर कटौती स्रोत पर (प्रावधानों का शुद्ध)	41180	11109
IV. स्टेशनरी और टिकटें	-	-
V. गैर बैंकिंग आस्तियों का दावों की संतुष्टि के लिए अधिग्रहण किया गया	-	-
VI. आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	1808332	1866599
VII. प्रतिभूति जमाराशियां	52466	41079
VIII. डाक विभाग की पूंजी प्रतिबद्धता	39133	5777
IX. आईटी 2.0 के तहत डाक विभाग से प्राप्य	1081290	-
X. विक्रेताओं और एनपीसीआई से प्राप्य	6001	2230
XI. अन्य	968683	647681
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X और XI का कुल योग	**4338925**	**2794426**

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें देनदारी के रूप में नहीं माना गया	-	-
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	-	-
III. बकाया फॉरवर्ड एक्सचेंज अनुबंधों के कारण देयता	-	-
IV. घटकों की ओर से दी गई गारंटी		
(क) भारत में	-	-
(ख) भारत के बाहर	-	-
V. स्वीकृतियां, परांकन और अन्य दायित्व	-	-
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक देयता है	2500	2500
I, II, III, IV, V, VI का योग	**2500**	**2500**

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज और लाभांश

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. अग्रिम/बिलों पर ब्याज/बट्टा	454	335
II. निवेश पर आय	2063269	876000
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर ब्याज	726356	405902
IV. अन्य	443	2322
I, II, III, IV का कुल योग	**2790522**	**1284559**

अनुसूची 14 - अन्य आय (राशि 000 रुपये में)

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
I. कमीशन, एक्सचेंज और ब्रोकरेज		4788673		3304665
II. निवेश की बिक्री पर लाभ	23525		10253	
घटाएंः निवेश की बिक्री पर हानि	42		1294	
		23483		8959
III. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	-		1968	
घटाएंः निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	-		-	
		-		1968
IV. भूमि की बिक्री पर लाभ, भवन और अन्य आस्तियां	8399		-	
घटाएंः भूमि की बिक्री पर हानि, भवन और अन्य आस्तियां	3		-	
		8396		-
V. विनिमय लेनदेन पर लाभ	-		-	
घटाएंः एक्सचेंज लेनदेन पर हानि	-		-	
		-		-
VI. विदेश में/भारत में सहायक कंपनियों/ कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय		-		-
VII. भर्ती संबंधित आय		3944		567
VIII. पृथक्करण पर कर्मचारियों से वसूली		6842		10373
IX. विविध आय		39642		950
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII और IX कुल योग		**4870980**		**3327482**

अनुसूची 15 - ब्याज व्यय (राशि 000 रुपये में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. जमाराशियों पर ब्याज	934406	710192
II. भारतीय रिज़र्व बैंक पर ब्याज/ अंतर-बैंक उधार	5810	1051
III. अन्य	-	-
I, II, III का योग	**940216**	**711243**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	2728429	2963483
II. किराया, कर और बिजली	6588	4370
III. मुद्रण और स्टेशनरी	31761	9412
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	32183	3572
V. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	274665	806129
VI. निदेशक शुल्क, भत्ते और व्यय	3842	320
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय	1266	1424
VIII. विधि प्रभार	115	309
IX. डाक, टेलीग्राम, टेलीफोन, इत्यादि	520660	329310
X. मरम्मत एवं रखरखाव	26516	6705
XI. बीमा	90538	63309
XII. व्यवसायिक शुल्क	34021	14030
XIII. जीएसटी व्यय	130303	119095
XIV. एसआई लागत	363740	226275
XV. भर्ती व्यय	4257	1617
XVI. प्रशिक्षण व्यय	9313	24388
XVII. आउटसोर्सिंग व्यय	116167	96551
XVIII. यात्रा और वाहन	75516	19712
XIX. डाक विभाग का प्रदत्त एवं डाक विभाग के स्टाफ को प्रात्याहन राशि	1157394	514336
XX. लेन-देन संबंधी शुल्क का भुगतान किया गया	804226	361911
XXI. अन्य व्यय	49910	29192
I से XXI तक का कुल	**6461410**	**5595450**

अनुसूची - 17

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. पृष्ठभूमि एवं प्रचालनों की प्रकृति

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना भारत सरकार के स्वामित्व में 100 प्रतिशत की इक्विटी के साथ डाक विभाग, संचार मंत्रालय के तहत की गई थी। आईपीपीबी का मौलिक अधिदेश भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनना है जो बिना बैंक की सुविधा वाले लोगों की बाधाओं को दूर करता है तथा कम बैंकिंग सुविधा वाले लोगों के लिए अवसर लागत को कम करता है और ऐसा करते हुए मुख्य रूप से नकद अर्थव्यवस्था में कैशलेस लेनदेन के अभिग्रहण को बढ़ावा देता है।

बैंक का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 17 अगस्त 2016 को किया गया था। बैंक ने 20 जनवरी, 2017 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत यथापेक्षित भुगतान बैंक लाइसेंस प्राप्त किया। आईपीपीबी का शुभारंभ 30 जनवरी 2017 को रांची (झारखंड) और रायपुर (छत्तीसगढ़) में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में किया गया था। आईपीपीबी ने 650 आईपीपीबी शाखाओं/नियत्रण कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से डाकघरों को कवर करते हुए पूरे भारत में अपनी संख्या का विस्तार किया है।

बैंक ग्रामीण, निर्धन और वंचित तथा असेवित वर्ग को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने में सहायता करने के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने में जुटा हुआ है। बैंक चालू और बचत खाते, प्रेषण, बिज़नेस कॉरेसपोंडेंट, द्वार तक बैंकिंग, नागरिक केंद्रित सेवाएं, मोबाइल बैंकिंग, एईपीएस, बिल भुगतान और त्रृतीय पक्ष उत्पाद वितरण जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

चूंकि पेमेंट्स बैंक अपने कर्मचारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं दे सकता है, तदनुसार अग्रिमों से संबंधित सभी प्रकटीकरण नहीं किए गए हैं।

बैंक को दिनांक 27 मई, 2019 की अधिसूचना डीबीआर एनबीडी (पीबी-आईपीपीबी) संख्या 9980/16.13.215/2018-19 और भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में दिनांक 22-28 जून, 2019 को प्रकाशित, के तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में हजार में ('000 रुपये में') में प्रस्तुत किया जाता है।

2. तैयारी का आधारः

वित्तीय विवरण कार्यशील संस्थाओं की अवधारणा का अनुसरण करते हुए ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिनमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अधीन लागू वैधानिक प्रावधानों, वैधानिक अपेक्षा, समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अनुशंसित नियामकीय दिशानिर्देशों, कंपनी (लेखांकन) नियमावली, 2014 के पैराग्राफ 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत जारी अधिसूचित लेखा मानकों (एएस) और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित यथा लागू और वर्तमान प्रथाओं को शामिल किया गया है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं, जब तक कि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो।

3. प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार आस्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई मात्रा और रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट की गई आय और व्यय में आकलन और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन मानता है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधियों में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

4. राजस्व मान्यता

4.1 ब्याज आय को उपचय आधार पर मान्यता दी जाती है। रियायती इंस्ट्रूमेंट यानी लिखत पर ब्याज आय को लिखत की अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है।

4.2 कमीशन आय और सेवा शुल्क सेवाओं के प्रावधान पूरे होने पर मान्यता प्राप्त है। राजस्व की पहचान तब की जाती है जब वसूली का उचित अधिकार स्थापित हो जाता है और जब विचार की प्राप्ति के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं है।

4.3 अन्य सभी आय का लेखांकन प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

4.4 ब्याज और प्रचालनगत व्यय का लेखांकन प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

5. निवेश

5.1 वर्गीकरण

निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी निवेशों को इसकी खरीद के समय ''व्यापार के लिए धारित'' (एचटीएफ), ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' (एएफएस) तथा ''परिपक्वता तक धारित'' (एचटीएम) में वर्गीकृत किया गया है। निवेशों को आगे छह समूहों (क) सरकारी प्रतिभूतियां (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (ग) शेयरों (घ) डिबेंचर एवं बॉण्डों (च) सहायक कंपनी संयुक्त उद्यम निवेशों (छ) तुलन पत्र प्रकटीकरण के उद्देश्य से अन्य निवेशों में वर्गीकृत किया गया है।

5.2 वर्गीकरण का आधार

जो प्रतिभूतियां मुख्य रूप से खरीद की तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय के लिए होती हैं, उन्हें एचटीएफ श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है, बैंक जिस निवेश को परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है, उन्हें एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है, जिन निवेशों को उपरोक्त श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें एएफएस श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

बैंक इक्विटी शेयरों के मामले को छोड़कर जहां व्यापार तिथि लेखांकन का अनुपालन किया जाता है, प्रतिभूतियों की खरीद तथा बिक्री लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए 'निपटान दिवस' लेखांकन का अनुसरण करता है।

5.3 अधिग्रहण लागत

क. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के संबंध में भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) आदि को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है तथा लागत से बाहर रखा जाता है।

ख. विक्रेता को भुगतान की गई खंडित अवधि के ब्याज को लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत नहीं किया गया और सरकारी प्रतिभूतियों तथा अनुमोदित प्रतिभूतियों के संबंध में लाभ हानि खाता के तहत व्यय के एक मद के रूप में माना गया।

ग. निवेश की सभी श्रेणियों के लिए भारित औसत लागत पद्धति पर लागत का निर्धारण किया जाता है।

5.4 मूल्यांकन

एएफएस तथा एचएफटी श्रेणियों के तहत वर्गीकृत निवेश आरबीआई/ एफबीआईएल दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के हिसाब से हैं

ट्रेजरी बिल रियायती लिखत होने के कारण वहन लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत निवेश उनकी अधिग्रहण लागत पर किए जाते हैं और बाजार के लिए चिन्हित नहीं होते हैं।

इक्विटी शेयर बाजार मूल्य पर, यदि उद्धृत किया जाता है, अन्यथा उपलब्ध नवीनतम तुलन पत्र के अनुसार शेयरों के ब्रेक अप मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

बुक वैल्यू की तुलना में मूल्य में शुद्ध ह्रास, यदि तुलन पत्र वर्गीकरण के अनुसार छह समूहों में कोई है, तो लाभ हानि खाते में लगाया जाता है। शुद्ध मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो उसे अनदेखा कर दिया जाता है।

रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेन

आरबीआईके दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी प्रतिभूतियों में रेपो तथा रिवर्स रेपो लेनदेन क्रमशः ऋण तथा उधारी लेनदेन के रूप में परिलक्षित होते हैं। रेपो लेनदेन पर ऋण लेने की लागत को ब्याज व्यय के रूप में लेखांकन किया जाता है तथा रिवर्स रेपो लेनदेन पर राजस्व को ब्याज आय क रूप में लेखांकन किया जाता है।

5.5 निवेश का निपटान

किसी भी श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है, लेकिन ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ के मामले में, एक समान राशि (करों और वैधानिक आरक्षित को हस्तांतरित किए जाने के लिए आवश्यक राशि का निवल) ''पूंजी आरक्षित खाते'' के लिए विनियोजित किया जाता है।

6. अचल परिसंपत्तियां

6.1 अचल संपत्तियों का उल्लेख ऐतिहासिक लागत घटाकर संचित मूल्यह्रास/परिशोधन, जहां कहीं लागू हो, पर किया गया है।

6.2 सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत किया जाता है और अचल संपत्ति अनुसूची में अमूर्त संपत्ति (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) के तहत जोड़ा जाता है।

6.3 लागत में खरीद की लागत और साइट की तैयारी, संस्थापना लागत और पूंजीकरण के समय तक परिसंपत्ति पर किए गए पेशेवर शुल्क जैसे सभी व्यय शामिल हैं। परिसंपत्तियों पर किए गए बाद के व्यय/व्यय को पूंजीकृत किया जाता है, जब यह ऐसी परिसंपत्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य के लाभों में वृद्धि करता है।

6.4 मूल्यह्रास

क. चूंकि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास की कोई दर निर्धारित नहीं की गई है, आईपीपीबी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IPPB के प्रावधानों का पालन किया जाता है।

संपत्ति	कंपनी अधिनियम 2013 अनुसूची 11 के तहत निर्दिष्ट अनुमानित उपयोगी जीवन
स्वामित्व परिसर	60 वर्ष
कंप्युटर (मोबाईल फोन, बीओमेट्रिक डिवाइसेस व सॉफ्टवेयर)	3 वर्ष
सर्वर, राउटर, नेटवर्क और संबंधित आईटी उपकरण	6 वर्ष
स्वचालित टेलर मशीनें ('एटीएम')	15 वर्ष
विद्युत उपकरण	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
फर्निचर फिटिंग	10 वर्ष
मोटर वाहन	8 वर्ष

ख. संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर एक सीधी रेखा के आधार पर मूल्यह्रास लगाया जा रहा है।

ग. संपत्ति के अधिग्रहण या निपटान के मामले में, वर्ष के दौरान संपत्ति के उपयोग किए गए दिनों की संख्या के आधार पर मूल्यह्रास आनुपातिक रूप से लगाया जाता है।

घ. 5,000/- रुपये तक की लागत वाली परिसंपत्ति की खरीद को वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया गया है।

ड़. सहायता अनुदान से खरीदी गई अचल परिसंपत्तियों का रखरखाव पहचान के लिए 1 रुपये का नाममात्र मूल्य रखते हुए अचल परिसंपत्ति रजिस्टर में किया जाता है।

च. पुनर्मूल्यांकन/ क्षतिग्रस्त संपत्ति के मामले में, संशोधित परिसंपत्ति मूल्यों के संदर्भ के साथ परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यहास का प्रावधान किया जाएगा।

7. कर्मचारी लाभ

नियमित कर्मचारियों को समूह चिकित्सा बीमा, समूह सावधि बीमा तथा समूह दुर्घटना बीमा योजनाओं में शामिल किया जाता है।

टर्मिनल लाभ

i) **भविष्य निधि:** 30.09.2018 तक कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी पात्र कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत आते हैं।

ii) **नई पेंशन योजना (एनपीएस):** सभी पात्र कर्मचारी जो 01.10.2018 को शामिल हुए हैं, परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कर्मचारियों के संबंध में, बैंक मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 10 प्रतिशत, जिसे 11.11.2020 से बढ़ा कर 14 प्रतिशत कर दिया गया है, का योगदान देता है। उसके व्यय को लाभ और हानि के खाते में प्रभारित किया जाता है और उसके बाद बैंक की इस संबंध में निधि में अंशदान से अधिक देयता नहीं रहती।

iii) **ग्रेच्युटी:** बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के बराबर राशि के लिए लाभ सेवानिवृत्ति पर, रोजगार के दौरान मृत्यु पर, या त्याग पत्र पर या रोजगार की समाप्ति पर निहित कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान के रूप में है जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार अधिकतम निर्धारित के अध्यधीन है। पांच साल की सेवा पूरी होने पर निहितीकरण होता है।

8. आय पर कर

आयकर व्यय बैंक द्वारा किए गए वर्तमान कर और आस्थगित कर व्यय की कुल राशि है। वर्तमान कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और लेखांकन मानक 22 - आय पर करों के लिए लेखांकन के अनुसार किया जाता है।

आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देनदारियों में परिवर्तन शामिल हैं। आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों को चालू वर्ष के लिए कर योग्य आय और लेखा आय के बीच समय के अंतर के प्रभाव पर विचार करके और हानियों को आगे बढ़ाने के जरिए पहचाना जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें तुलन पत्र की तारीख में अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है। आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मान्यता दी जाती है और उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जो प्रबंधन के निर्णय के आधार पर होता है कि क्या उनकी वसूली को यथोचित/वस्तुतः निश्चित माना जाता है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस 29, ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां'' के अनुरूप, बैंक केवल प्रावधानों को मान्यता देता है, जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है, और इसके परिणामस्वरूप दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, और जब दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है।

10. सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन

अधिदेश के अनुसार, एटीएम/माइक्रो-एटीएम/पीओएस के प्रावधान के जरिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने और कैश आउट सुविधाएं उपलब्ध कराने, गांव के डाकघरों के क्षमता निर्माण, गांव के डाकघरों में नकदी प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने तथा वित्तीय साक्षरता शिविरों का संचालन करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के समाधान के लिए सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया है। बोर्ड ने 17 जुलाई, 2017 के प्रस्ताव के संदर्भ में अनुदान के उपयोग के लिए व्यापक दिशानिर्देशों और पद्धतियों को मंजूरी दी। तदनुसार, प्राप्त अनुदान को शेयरधारकों की निधि तथा पूंजी भंडार में जमा के रूप में माना गया है। इस प्रकार, बैंक सरकारी अनुदानों पर एएस-12 के अनुसार, पूंजी दृष्टिकोण पद्धति अपना रहा है। अनुदान का उपयोग बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाता है।

11. परिसंपत्तियों की हानि

जब भी घटनाओं और परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है तो परिसंपत्तियों की अग्रणीत मात्रा की समीक्षा की जाती है। जब भी किसी आस्ति की अग्रणीत राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है तो हानि की क्षति को स्वीकार किया जाता है।

हानि के बाद, इसके शेष उपयोगी जीवन पर परिसंपत्ति की संशोधित वहन राशि पर मूल्य ह्रास प्रदान किया जाता है। हानि की क्षति को केवल उस सीमा तक उलट दिया जाता है कि परिसंपत्ति की वहन राशि से अधिक न हो, जो कि उस वक्त निर्धारित की गई होती जब कोई हानि क्षति की पहले से पहचान नहीं की गई होती।

अनुसूची - 18

लेखों पर टिप्पणियां

1. **नियामकीय पूंजी**

क. नियामकीय पूंजी की संरचना

(राशि 000 रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023	31.03.2022
i.	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी*	5061106	2777572
ii.	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी/अन्य टियर 1 पूंजी	-	-
iii.	टीयर 1 पूंजी (i + ii)	5061106	2777572
iv.	टियर 2 पूंजी	23483	-
v.	कुल पूंजी (टीयर 1 + टीयर 2)	5084589	2777572
vi.	कुल जोखिम भारित संपत्तियाँ (आरडब्ल्यूए)	16530195	6802951
vii.	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1/ आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में प्रदत्त शेयर पूंजी एवं रिजर्व	30.62	40.83
viii.	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)	30.62	40.83
ix.	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)	0.14	-
x.	कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ के प्रति पूंजी (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत में कुल पूंजी)	30.76	40.83
xi.	लेवेरेज अनुपात	13.29	14.50
xii.	बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	100.00%	100.00%
xiii.	वर्ष के दौरान जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि	2000000	2000000
xiv.	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि जिसमें से स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस) स्थायी ऋण लिखतें (पीडीआई)	- -	- -
xv.	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 2 पूंजी की राशि जिसमें सेः ऋण पूंजी इंस्ट्रूमेंटः अधिमान शेयर पूंजी इंस्ट्रूमेंटः (स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)/प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)/ प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)	- -	- -

*अनुदान की कटौती के बाद, आस्थगित कर आस्तियां तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर.

ख. आरक्षित से ड्राडाउन

वित्तत वर्ष 2016-17 और वित्तत वर्ष 2017-18 में प्राप्त अनुदान को शेयरधारकों की निधि के रूप में माना गया है और इसे पूंजी भंडार में जमा किया गया है। बैंक वित्त वर्ष 2021-22 तक अनुदान की संपूर्ण राशि का उपयोग कर चुका है। अनुदान का उपयोग निम्नानुसार किया गया है:

(राशि 000 रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान का शुद्ध उपयोग	वर्ष 2022-23	वर्ष 2021-22
1.	एटीएम/ माइक्रो एटीमए/ पीओएस का प्रावधान	-	-
2.	नकदी उपलब्ध कराने की सुविधाओं, गांव के डाकघरों के क्षमता निर्माण को पूरा करने, गांव के डाकघरों में नकदी प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत बनाने और वित्तीय साक्षरता उपलब्ध कराने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियां	-	104984
3.	प्रौद्योगिकी लागत	-	-
	कुल	**-**	**104984**

ग. आरक्षित निधियों का उपयोग

- वैधानिक आरक्षित दृ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत यथा अनिवार्य, भारत में निगमित सभी बैंकिंग कंपनियां लाभ और हानि खाते में किए गए प्रकटन के अनुरूप और कोई लाभांश घोषित करने से पहले शेष लाभ में से एक आरक्षित कोष का निर्माण करेंगी और ऐ लाभ के कम से कम पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि अंतरित करेंगी। तदनुसार बैंक ने चालू वर्ष के निवल लाभ से (पिछला वर्षः लागू नहीं) 5.04 करोड़ रू की राशि अंतरित की है।

- निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित (आईएफआर) - भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-17 दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के तहत बैंकों को वित्त वर्ष 2018-19 से निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित (आईएफआर) के निर्माण का परामर्श दिया। तदनुसार, जब तक आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलिया की कम से कम 2 प्रतिशत नहीं हो जाती, वर्ष के दौरान निवेशों की कम से कम बिक्री पर निवल लाभ की राशि के बराबर अथवा अनिवार्य विनियोजन घटाकर वर्ष के लिए निवल लाभ के बराबर राशि आईएफआर में अंतरित की जाएगी। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने आईएफआर में रू 2.35 करोड़ की राशि (पिछले वर्षः लागू नहीं) अंतरित की है। 31 मार्च, 2023 को आईएफआर एफएफएस और एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत निवेशों के जमा शेष का 0.05 (पिछला वर्षः शून्य) बनता है।

2. निवेश

क) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

31 मार्च 2023 तक

(000 रुपए में)

विवरण	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य मंजर प्रतिभूतिया	शेयर	डिबेन्चर और बॉन्ड	सहायक/ और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	सहायक और/व संयुक्त उद्दयम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	
परिपक्वता के लिए धारित												
सकल	101950	0	0	0	0	0	101950	0	0	0	0	101950
गैर निष्पादन निवेशों हेतु कम प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निबल	**101950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101950**
विक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	45889896	0	0	0	0	0	45889896	0	0	0	0	45889896
अवमूल्यन व एनपीआई हेतु कम प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निवल	**45889896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45889896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45889896**
व्यापार के लिए धारित												
सकल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अवमूल्यन व एनपीआई हेतु कम प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निबल	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल निवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गैर-निष्पादन निवेशों हेतु कम प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अवमूल्यन व एनपीआई हेतु कम प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निबल	**45991846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45991846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45991846**

31 मार्च 2022 तक

(000 रुपए में)

विवरण	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य मंजर प्रतिभूतिया	शेयर	डिबेन्चर और बॉन्ड	सहायक/ और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	सहायक और/व संयुक्त उद्दयम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	
परिपक्वता के लिए धारित												
सकल	102914	0	0	0	0	0	102914	0	0	0	0	102914
गैर निष्पादन निवेशों हेतु कम प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निबल	**102914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102914**
विक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	28898247	0	7702	0	0	0	28905949	0	0	0	0	28905949
अवमूल्यन व एनपीआई हेतु कम प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निबल	**28898247**	**0**	**7702**	**0**	**0**	**0**	**28905949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28905949**
व्यापार के लिए धारित												
सकल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अवमूल्यन व एनपीआई हेतु कम प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निबल	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल निवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गैर-निष्पादन निवेशों हेतु कम प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अवमूल्यन व एनपीआई हेतु कम प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निबल	**29001161**	**0**	**7702**	**0**	**0**	**0**	**29008863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29008863**

ख) निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए किए गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

(राशि 000 रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i)	**निवेशों पर मूल्य ह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन**		
क)	प्रारम्भिक शेष	-	1968
ख)	जोड़ेः चालू वर्ष में अतिरिक्त प्रावधान	-	-
ग)	घटाएः वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/ राइट बैक करना	-	1968
घ)	इतिशेष	-	-
ii)	**निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व का संचालन**		
क)	प्रारम्भिक शेष	-	-
ख)	वर्ष के दौरान वृद्धि	23483	-
ग)	वर्ष के दौरान कमी	-	-
घ)	इतिशेष	23483	-
iii)	**एएफएस और एचएफटी/वर्तमान केटेगरी में इतिशेष के प्रतिशत का आईएफआर में इतिशेष**	0.05%	-

ग) एचटीएम वर्ग को/से बिक्री और हस्तांतरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, एचटीएम वर्ग को/से निवेश का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ और एचटीएम वर्ग से निवेश की कोई बिक्री नहीं हुई। (31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, एचटीएम वर्ग को/से निवेश का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ और एचटीएम वर्ग से निवेश की कोई बिक्री नहीं हुई)।

घ) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i) अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

31 मार्च, 2023 तक बैंक के पास कोई गैर-निष्पादनकारी गैर-एसएलआर निवेश नहीं है और इस तरह, इस खंड के तहत कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया जाना है। (बैंक के पास 31 मार्च, 2022 तक कोई गैर-निष्पादनकारी गैर-एसएलआर निवेश नहीं था)।

ii) **गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना**

(राशि 000 रुपये में)

क्र. सं.	निर्गमकर्ता	राशि	निजी क्षेत्रों में विस्तार	निवेश श्रेणी से नीचे की प्रतिभूतियों की राशि	विनय रेटिंग की प्रतिभूतियों की राशि	गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की राशि
1	2	3	4	5	6	7
(i)	पीएसयू	-	-	-	-	-
(ii)	एफआईएस	-	-	-	-	-
(iii)	बैंक	-	-	-	-	-
(iv)	निजी कॉर्पोरेट	-	-	-	-	-
		7702	7702			7702
(v)	आनुषंगिक/संयुक्त उद्यम	-	-	-	-	-
(vi)	अन्य	-	-	-	-	-
(vii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-
	जोड़	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		7702	**7702**			**7702**

नीचे दिए गए आँकड़े पिछले वित्तीय वर्ष के हैं -

घ) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के संदर्भ में)

वित्त वर्ष 2022-23

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	4256217	491544	-
ii. निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
iii. अन्य प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	2620845	109421	2651550
ii. निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
iii. अन्य प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-

वित्त वर्ष 2021-22

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	592827	32944	-
ii. निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
iii. अन्य प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	3587820	639871	845270
ii. निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
iii. अन्य प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-

3. डेरिवेटिव्ज

क) वायदा दर करार/ब्याज दर अदला-बदली (स्वेप)

ख) एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव

ग) डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

घ) ऋण डीफाल्ट स्वैप

बैंक ने डेरिवेटिव में कोई लेनदेन नहीं किया है और इस प्रकार इस खंड में कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया जाना है। बैंक ने इस खंड में पिछले वर्ष भी कोई लेनदेन नहीं किया था।

4. परिसंपत्ति गुणवत्ता:

क) अग्रिमों और धारित प्रावधानों का वर्गीकरण

ख) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

ग) विदेशी संपत्ति, एनपीए और राजस्व

घ) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

च) परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में अंतर

छ) ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण का प्रकटीकरण

ज) धोखाधड़ी खाते

ट) कोविड-19 संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण

बैंक ''पेमेंट्स बैक'' की श्रेणी में आता है और उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, ऐसे प्रकटीकरण जिनमें अनर्जक अग्रिम, पुनर्गठन, विचलन और धोखाधड़ी खाते सहित आस्तियों की गुणवत्ता की आवश्यकता होती है, शामिल हैं, बैंक पर लागू नहीं होते।

5. एक्सपोजर

एक्सपोजर प्रकटीकरण के तहत निम्नलिखित विवरण की आवश्यकता होती है।

क) रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक्सपोजर

ख) पूंजी बाजार के लिए एक्सपोजर

ग) जोखिम श्रेणी-वार देश एक्सपोजर

घ) असुरक्षित अग्रिम

च) फैक्टरिंग एक्सपोजर

छ) इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर

ज) अनहेज्ड फारन करेंसी एक्सपोजर

बैंक 'पेमेंट बैंक श्रेणी' के तहत आता है और उसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, एक्सपोजर से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है।

6. आरबीआई द्वारा लगाए गए अर्थदंडों का प्रकटीकरण:

आरबीआई ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान बैंक पर कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया है। (आरबीआई ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भी बैंक पर कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया था।)

7. स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास:

परिसंपत्ति के प्रत्येक श्रेणी के लिए कुल मूल्यह्रास का विवरण

(राशि 000 रुपये में)

परिसंपत्तिया की श्रेणी	31.03.2023	31.03.2022
कंप्युटर सॉफ्टवेयर	53459	582181
अचल परिसंपत्ति	221206	223948
कुल	**274665**	**806129**

8. परिसंपत्ति देनदारी प्रबंधन

क. परिसंपत्ति और देनदारियों की कुछ मदों का परिपक्वता पद्धति में

(राशि 000 रुपये में)

परिपक्वता पद्धति	जमा	अग्रिम	निवेश	ऋण	विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ	विदेशी मुद्रा देनदारियां
अगले दिन	913757	-	-	-	4110	4110
	493895				3791	3791
2-7 दिन	2558134	-	-	-	-	-
	1188540					
8-14 दिन	2840073	-	1547079	-	-	-
	1199436		-			
15-30 दिन	3154732	80	1095596	-	-	-
	1115002	2757	598874			
31 दिन से 2 महीने	603065	18	3822346	-	-	-
	-	2757	-			
2 माह से ज्यादा और 3 महीने तक	709763	शून्य	8695600	-	-	-
	-	2757	4681253			
3 माह से ऊपर और 6 माह तक	4115	-	13098223	-	-	-
	-	6671	8722392			
6 माह से ऊपर और 1 वर्ष तक	-	-	17631052	-	-	-
		678	14895727			
1 वर्ष से ऊपर और 3 वर्ष तक	52139945	-	101950	-	-	-
	32920345		-			
3 वर्ष से ऊपर और 5 वर्ष तक	-	-	-	-	-	-
			102914			
5 वर्ष से ऊपर	-	-	-	-	-	-
			7702			
कुल	**62923585**	**98**	**45991846**	**-**	**4110**	**4110**
	36917218	**15620**	**29008862**		**3791**	**3791**

नीचे सेल में दिए गए आंकड़े पिछले वित्तीय वर्ष के हैं

टिप्पणी:

- **जमाएं:** ऐसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरुप, 31 मार्च 2023 को चालू/बचत खाते का आहरण पैटर्न बैंक के बार्ड द्वारा अनुमोदित व्यवहारगत अध्ययन के आधार पर उपयुक्त बकेट में वर्गीकृत किया गया है।
- **निवेश/ अग्रिम /ऋण:** इन्हें संबंधित अवशिष्ट परिपक्वता पद्धति के अनुसार ब्रैकेट किया गया है।

ख. लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (एलसीआर)

लिक्विडिटी कवरेज अनुपात के लिए प्रकटीकरण दिनांक 17 अप्रैल 2020 के आरबीआई/2019-20/217/डीओआर.बीपी.बीसी. संख्या 65/21.04.098/2019-20 के तहत जारी तरलता मानदंड-तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर बैसेल III संरचना पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार पेमेंट्स बैंक के लिए लागू नहीं हैं।

ग. नेट स्टेबल फंडिंग अनुपात (एनएसएफआर)

नेट स्टेबल फंडिंग अनुपात के लिए प्रकटीकरण दिनांक 5 फरवरी 2021 के आरबीआई/2020-21/95/डीओआर. संख्या एलआरजी.बीसी. 40/21.04.098/2020-21 के द्वारा जारी नेट स्टेबल फंडिंग अनुपात (एनएसएफआर) पर बैसेल III संरचना पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार पेमेंट्स बैंक के लिए लागू नहीं हैं।

9. राजस्व मान्यता-लेखा मानक

क. ब्याज आय को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता दी जाती है। डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट पर ब्याज आय की मान्यता इंस्ट्रूमेंट की अवधि के दौन दी जाती है।

ख. कमीशन आय और सेवा शुल्क को सेवा के प्रावधान की समाप्ति पर मान्यता दी जाती है। वसूली का उचित अधिकार स्थापित होने तथा विचार की प्राप्ति के संबंध में कोई उल्लेखनीय अनिश्चितता न होने पर राजस्व को मान्यता दी जाती है।

ग. अन्य सभी आय का हिसाब प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।

घ. ब्याज और प्रचालन व्यय का हिसाब प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है।

10. विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव - लेखांकन मानक 11

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम (एमटीएसएस) के तहत मेसर्स रिया फाइनेंशियल सर्विसेज अमेरिका के साथ समझौता किया है। इस संबंध में, बैंक ने 50,018.91 अमेरिकी डॉलर की एक संपाश्विक जमाराशि प्राप्त की थी। यह राशि भारतीय स्टेट बैंक के पास रखी गई है और इसे 'बैंकों के साथ चालू जमाओं' के तहत दर्शाया गया है। मैसर्स रिया फाइनेंशियल सर्विसेज की संबंधित देयता 'अन्य देयताएं - अन्य' के तहत दर्शाई गई है। भारतीय रूपये में परिवर्तन एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

तस्थानी भारतीय रूपये में मूल्य निम्नानुसार हैः

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
मैसर्स रिया फाइनेंशियल सर्विसिज से संपाश्विक जमा	4110	3791

11. सरकारी अनुदान उपयोग - लेखा मानक 12

अनुदान के उपयोग का विवरण निम्नलिखित है

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
अनुदान सहायता का प्रारंभिक शेष	-	104984
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-
घटायें: वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	104984
अनुदान सहायता का इतिशेष	**-**	**-**

अनुदान सहायता पर उपार्जित ब्याज का प्रारंभिक शेष	2466	14364
जोड़ें: वर्ष के दौरान उपार्जित ब्याज	-	2466
घटायें: डाक विभाग के माध्यम से पिछले वर्ष का व्याज भारत सरकार को प्रेषित	2466	14364
सहायता अनुदान उपार्जित ब्याज (ख)	**-**	**2466**

तुलन पत्र (क)+(ख) की अनुसूची 2 के अनुरुप अंतिम शेष	**-**	**2466**

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अर्जित 0.25 करोड़ की राशि का ब्याज चालू वित्तीय वर्ष के दौरान डाक विभाग को आगे भारत की संचित निधि में जमा कराने के लिए अंतरित किया गया है।

12. कर्मचारी लाभ - लेखा मानक 15 के अनुसार

क) गेच्युटी

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित 4.60 करोड़ रुपये के बराबर की वार्षिक्यां (एन्यूटी) खरीदी हैं। यह राशि 31.03.2023 को समाप्त वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 11.30 करोड़) के लिए लाभ और हानि खाता से डेबिट की जाती है।

ख) अवकाश नकदीकरण

वर्ष के दौरान, बैंक ने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों द्वारा विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए 18.94 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि 31.03.2023 को समाप्त वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 21.36 करोड़ रू) के लिए लाभ और हानि खाता से डेबिट की जाती है।

13. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण-लेखांकन मानक 18

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	1070	320
एमडी एवं सीईओ को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	7083	6270
सीएफओ को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	3258	4716
कंपनी सचिव को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	1928	1470

14. खंड रिपोर्टिंग-लेखा मानक 17

भाग क: व्यवसाय खंड (राशि 000 रुपये में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2023 को समाप्ति वर्ष	31.03.2022 को समाप्ति वर्ष
i.	**खंड राजस्व**		
	क) ट्रेजरी	897750	1189892
	ख) कॉर्पोरेट/थोक बिक्री बैंकिंग	-	-
	ग) खुदरा बैंकिंग	6752069	3408552
	घ) अन्य बैंकिंग प्रचालन	11683	13597
	कुल	**7661502**	**4612041**
ii.	**खंड परिणाम**		
	क) ट्रेजरी	30849	-33678
	ख) कॉर्पोरेट/समग्र बैंकिंग	-	-
	ग) खुदरा बैंकिंग	221601	-1674571
	घ) अन्य बैंकिंग प्रचालन	7426	13597
	कुल	**259876**	**-1694652**
iii.	अनावंटित व्यय	-	-
iv.	प्रचालन लाभ	259876	-1694652
v.	प्रावधान	58267	-98479
vi.	असाधारण मद (पूर्व अवधि व्यय)	-	-
vii.	निवल लाभ	**201609**	**-1596173**
	अन्य सूचना		
viii.	खंड परिसंपत्ति		
	क) ट्रेजरी	14249261	41396670
	ख) कॉर्पोरेट/ थोक बिक्री बैंकिंग	-	-
	ग) खुदरा बैंकिंग	61949455	3614411
	घ) अन्य बैंकिंग प्रचालन	-	-
	उप कुल	76198716	45011081
	ङ आवंटित परिसंपत्तियाँ	-	-
	कुल परिसंपत्तियाँ	**76198716**	**45011081**
ix.	**खंड देयताएँ**		
	क) ट्रेजरी	8929766	38303500
	ख) कॉर्पोरेट/ थोक बिक्री बैंकिंग	-	-
	ग) खुदरा बैंकिंग	67268950	6707581
	घ) अन्य बैंकिंग प्रचालन	-	-
	उप कुल	**76198716**	**45011081**
	ङ आवंटित देयताएँ	-	-
	कुल देयताएँ	**76198716**	**45011081**

भाग ख-भौगोलिक खंड

चूंकि बैंक केवल भारत में ही प्रचालन कर रहा है, भौगोलिक खंड रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

15. पट्टों के लिए लेखांकन-लेखांकन मानक 19

बैंक ने कोई भी परिसर/ परिसंपत्ति पट्ट पर नहीं ली है। इसलिए, पट्टे से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है।

16. प्रति शेयर अर्जन-लेखांकन मानक 20

क्रमाक	विवरण	31.03.2023	31.03.2022
	ईपीएस-बेसिक/डाइल्यूटिड (रू में)	0.13	-1.22
इ	अंश लाभ/(हानि) (कर उपरांत) के तौर पर प्रयुक्त राशि (रुपये 000 में)	201609	(1596173)
उ	शेयर का नाममात्र मूल्य	रुपये10 प्रत्येक	रुपये10 प्रत्येक
ऊ	डिनोमिनेटर के रूप में प्रतिभार औसत प्रयुक्त एक्विटी शेयरों की संख्या	1590890411	1307950685

17. आय पर करों के लिए लेखांकन-लेखांकन मानक 22

बैंक ने लेखांकन नीति के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को मान्यता दी है।

वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 में पहचान की गई संचयी हानि पर आस्थगित कर आस्ति की समीक्षा की गई और वर्ष के लिए लाभ का समायोजन करने के उपरांत इसे बनाए रखने के लिए एक सुविचारित रूढ़िवादी दृष्टि अपनाई गई है। तदनुरुप, 31.03.2023 को नीचे दर्शाई गई आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं की 'कैरी फॉरवर्ड हानि' कंपोनेंट वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ में से घटाकर दशाई गई वित्त वर्ष 2018-19 तथा वित्त वर्ष 2019-20 में मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्तियों का प्रतिनिधित्व करता है।

आस्थगित कर आस्तियों के प्रमुख कंपोनेंट नीचे दिये गए हैं:

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
अग्रसारित हानी	1568877	1688009
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	136149	85107
अचल संपत्तियों का अवमूल्यन	103306	93482
कुल	**1808332**	**1866599**
विलंबित कर उत्तरदायित्व		
अचल संपत्तियों का अवमूल्यन	-	-
	-	**-**
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	**1808332**	**1866599**

18. समेकित वित्तीय परिणामों में एसोसिएट्स में निवेशों के लिए लेखांकन-लेखांकन मानक 23

बैंक के पास कोई सबसिडियरी/एसोसिएट्स नहीं है और इसलिए इस खंड के तहत किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

19. परिसंपत्तियों की हानि-लेखांकन मानक 28

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की कोई हानि नहीं हुई।

20. शिकायतों की स्थिति का प्रकटीकरण और बैंकिंग लोकपाल के लागू नहीं किए गए निर्णय

क्रमांक		विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें				
1		वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	271	259
2		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	16780	20170
3		वर्ष के आरंभ में निपटाई गई शिकायतों की संख्या	16229	20158
	3.1	इसमें से, बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या	422	219
4		वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	822	271
ओबीओ से बैंक द्वारा प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें				
5		ओबीओ से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या	205	115
	5.1	5 में से, बीओ द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	200	115
	5.2	5 में से, बीओ द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या	5	-
	5.3	5 में से, बीओ द्वारा बैंक के विरुद्ध निर्णयों को पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या	-	-
6		निर्धारित समय के भीतर (अपील की गई है, उसके अतिरिक्त) गैर-कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	-	-

वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या

शिकायतों के आधार, (अर्थात संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
वर्तमान वर्ष (2022-23)					
इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	200	10294	-33.41%	224	0
टैरिफ अनुसूची और सेवा शुल्क	9	875	-18.22%	7	0
अन्य	62	5611	54.11%	591	0
कुल -	**271**	**16780**	**-16.81%**	**822**	**0**
इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	218	15459	41.16%	200	5
टैरिफ अनुसूची और सेवा शुल्क	0	1070	2509.75%	9	0
अन्य	41	3641	21.36%	62	1
कुल -	**259**	**20170**	**44.15%**	**271**	**6**

21. ''प्रावधानों और आकस्मिकताओं'' का विवरण

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
एनपीए के लिए प्रावधान (शुद्ध)	-	-
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	-	-
इनकम टैक्स के लिए किया गया प्रावधान	-	-
आस्थगित कर के लिए प्रावधान किया गया	58267	-98479
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ	-	-
कुल -	**58267**	**-98479**

22. जमा, अग्रिम, एक्सपोज़र और एनपीए का कॉंसट्रेशन

क) जमाराशियों का कॉंसट्रेशनः

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा	4000	4000
बैंक की कुल जमा राशि में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशि का प्रतिशत	0.0064%	0.0108%

ख) अग्रिमों का कॉंसट्रेशन ग) एक्सपोज़र की एकाग्रता घ) एनपीए का कॉंसट्रेशन	बैंक ''भुगतान बैंक'' की श्रेणी में आता है और उसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, अग्रिम/एक्सपोजर/एनपीए और प्रावधान कवरेज अनुपात की एकाग्रता से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है।

23. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ) में स्थानांतरण

ऐसी कोई लावारिस जमा राशि नहीं है, जो 10 वर्ष से अधिक समय से परिपक्व और बकाया हो। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी राशि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ) में स्थानांतरित करने के योग्य नहीं थी।

24. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

बैंक को पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/जोखिम लेने वालों और नियंत्रण कार्य कर्मचारियों के मुआवजे का खुलासा करने की आवश्यकता है। यह खुलासा निजी क्षत्र के बैंकों पर लागू है।

प्रकटीकरण का प्रकार		जानकारी वित्त	वर्ष 2022-23
मात्रात्मक प्रकटीकरण (कवर करना पूरा समय निदेशक/प्रमुख कार्यकारी अधिकारी/ भौतिक जोखिम लेने वाले)	छ	वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या और इसके सदस्यों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक।	1 बैठने का शुल्क 0.30 लाख रु.
	ज	(i) वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तनीय पारिश्रमिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या।	-
		(ii) वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए साइन-ऑन/ज्वाइनिंग बोनस की संख्या और कुल राशि।	-
		(iii) उपार्जित लाभों के अलावा, यदि कोई हो, विच्छेद वेतन का विवरण।	-
	झ	(i) बकाया आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि और पूर्व-पश्चात स्पष्ट और/या अंतर्निहित समायोजन के अधीन रखा गया पारिश्रमिक।	-
		(ii) वित्तीय वर्ष में भुगतान की गई आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि।	-
	ट	के लिए पारिश्रमिक पुरस्कारों की राशि का विवरण वित्तीय वर्ष को निश्चित और परिवर्तनशील, आस्थगित और अविलंबित दिखाया जाए।	73.48 लाख (हल किया गया)
	ठ	(i) बकाया आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि और पूर्व-पश्चात स्पष्ट और/या अंतर्निहित समायोजन के अधीन रखा गया पारिश्रमिक।	-
		(ii) वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्व-पश्चात स्पष्ट समायोजनों के कारण कटौती की कुल राशि।	-
		(iii) वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्व-अंतर्निहित समायोजनों के कारण कटौती की कुल राशि।	-
	ड	पहचाने गए एमआरटी की संख्या।	एक (एमडी एवं सीईओ)
	ढ	(i) उन मामलों की संख्या जहां मालुस का प्रयोग किया गया है।	-
		(ii) उन मामलों की संख्या जहां क्लॉबैक का प्रयोग किया गया है।	-
		(iii) ऐसे मामलों की संख्या जहां मैलस और क्लॉबैक दोनों का प्रयोग किया गया है।	-
सामान्य मात्रात्मक प्रकटीकरण	न	औसत वेतन (उप-कर्मचारी को छोड़कर) और उसके प्रत्येक WTDs के वेतन का औसत वेतन से विचलन।	1.24 लाख रु.

25. प्रतिभूतिकरण से संबंधित खुलासे

बैंक ''भुगतान बैंक'' की श्रेणी में आता है और उसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, बैंक ने प्रतिभूतिकरण से संबंधित कोई लेनदेन नहीं किया है।

26. अन्य खुलासे

क. व्यवसाय अनुपात

विवरण		31.03.2023	31.03.2022
i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	4.11%	2.84%
ii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	7.17%	7.36%
iii)	जमा की लागत	2.02%	2.47%
iv)	शुद्ध ब्याज हाशिया	3.59%	1.82%
v)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	0.38%	-3.75%
vi)	संपत्ति पर वापसी	0.30%	-3.53%
vii)	व्यवसाय (जमा और अग्रिम) प्रति कर्मचारी (लाख रुपये में)	356.71	234.40
viii)	प्रति कर्मचारी लाभ/(हानि) (लाख रूपये में)	1.14	(10.13)

i. अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, कार्यशील निधि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के तहत आरबीआई को प्रस्तुत फॉर्म एक्स की रिपोर्टिंग तिथियों की गणना करते हुए कुल संपत्ति (संचित हानि को छोड़कर, यदि कोई हो) के मासिक औसत का प्रतिनिधित्व करती है।

ii. परिचालन हानि प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले वर्ष के लिए होने वाली हानि है।

iii. उत्पादकता अनुपात वित्तीय वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या पर आधारित होते हैं।

ख. बैंक एश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में प्रकटीकरण

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
जीवन बीमा उत्पादों के वितरण से अर्जित कमीशन	141044	57131
गैर-जीवन बीमा उत्पादों के वितरण से अर्जित कमीशन	134839	5973
PMJJBY के वितरण से अर्जित कमीशन	810	3871

ग. विपणन एवं वितरण

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण से अर्जित कमीशन	83	417
लोन रेफरल से कमाया गया कमीशन	2163	842

घ. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

बैंक ''भुगतान बैंक'' की श्रेणी में आता है और उसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, एक्सपोज़र से संबंधित खुलासे लागू नहीं होते हैं।

च. आईएफआरएस अभिसरणित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) का कार्यान्वयन

RBI ने अधिसूचना संख्या DBR. BP. BC. No. 29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22/03/2019 के माध्यम से खपव अड के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया। दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक तिमाही आधार पर आरबीआई को इंड एएस प्रोफार्मा जमा कर रहा है। एक भुगतान बैंक होने और वर्तमान व्यवसाय मॉडल के आधार पर, आईपीपीबी को इंड एएस के कार्यान्वयन में किसी बड़ी चुनौती की उम्मीद नहीं है।

छ. क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट

बैंक ने कोई क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किया है और इसके वर्चुअल डेबिट कार्ड पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट संरचना नहीं है। इस प्रकार, डेबिट/क्रेडिट कार्ड के संबंध में खुलासा लागू नहीं होता है।

(राशि 000 रुपये में)

क्रमांक	विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
क.	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	50499	31577
ख.	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	-	-

ज. बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर खुलासा।

अपनाई गई वेतन संरचना के अनुसार, बैंक का पारिवारिक पेंशन के प्रति कोई दायित्व नहीं है। ऐसे में यह खुलासा लागू नहीं होता.

27. वित्तीय विवरण में प्रमुख शीर्षों का विवरण

आरबीआई के ''वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण दिशानिर्देश 2021 - भौतिक वस्तुओं का प्रकटीकरण'' दिनांक 13 दिसंबर 2022 के आधार पर वस्तुओं के प्रमुख प्रमुखों का विवरण नीचे दिया गया है

क. कमीशन, एक्सचेंज और ब्रोकरेज (अनुसूची 14)

कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक होने पर ''अनुसूची 14 - अन्य आय'' में उपशीर्ष ''कमीशन, एक्सचेंज और ब्रोकरेज'' के अंतर्गत शामिल प्रमुख वस्तुएं इस प्रकार हैं:

(राशि 000 रुपये में)

से आय	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
खाता प्रबंधन सेवाएँ	2422592	1329517
नागरिक सेवा	1184088	1325992
अशझड से आय	344205	263358
तृतीय पक्ष वितरण	278939	68234
प्रेषण आय	267915	144908
प्रत्याक्ष लाभ अंतरण	189861	103369

ख. विविध आय (अनुसूची 14)

यहाँ नहीं हैं उपशीर्षक ''विविध आय'' के अंतर्गत आइटम ''अनुसूची 14 - अन्य आय'' के अंतर्गत जो कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है। अतः यह प्रकटीकरण लागू नहीं होता।

ग. अन्य व्यय (अनुसूची 16)

बैंक पहले से ही प्रमुख खर्चों को अनुसूची 16 के तहत अलग लाइन आइटम के रूप में प्रकट कर रहा है। इस प्रकार, ''अनुसूची 16 - परिचालन व्यय'' के तहत उपशीर्ष ''अन्य व्यय'' के तहत कोई आइटम नहीं है जो कुल व्यय के एक प्रतिशत से अधिक है। अतः यह प्रकटीकरण लागू नहीं होता।

घ. अन्य देनदारियाँ और प्रावधान - ''अन्य (प्रावधानों सहित)''

''अनुसूची 5 - अन्य देनदारियां और प्रावधान'' में उपशीर्ष ''अन्य'' के अंतर्गत शामिल प्रमुख वस्तुएं, कुल संपत्ति के एक प्रतिशत से अधिक इस प्रकार हैं:

(राशि 000 रुपये में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
व्यय के लिए प्रावधान /विक्रेताओं को देय	2311307	2405006
डाक विभाग का संतुलन	975266	59675

छ. अन्य संपत्ति - ''अन्य''

बैंक पहले से ही प्रमुख अन्य संपत्तियों को अनुसूची 11 के तहत अलग लाइन आइटम के रूप में प्रकट कर रहा है। इस प्रकार, ''अनुसूची 11 - अन्य संपत्ति'' के तहत उपशीर्षक ''अन्य'' के तहत कोई आइटम नहीं है जो कुल संपत्ति के एक प्रतिशत से अधिक है। अतः यह प्रकटीकरण लागू नहीं होता।

28. प्रायोजित ऑफ बैलेंस शीट एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना आवश्यक है)।

यह प्रकटीकरण भुगतान बैंकों के लिए लागू नहीं है और इस प्रकार इस खंड के अंतर्गत कुछ भी रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

अन्य नोटः

29. अनुदान पर ब्याज

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अनुदान के अप्रयुक्त हिस्से पर अर्जित ब्याज की राशि 0.25 करोड़ रुपये को भारत की समेकित निधि में आगे भेजने के लिए डाक विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है।

30. आकस्मिक देयताएं

बैलेंस शीट की अनुसूची 12 के तहत दर्शाई गई 0.25 करोड़ रुपये की आकस्मिक देनदारी नवंबर 2027 तक वैध भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पक्ष में आईपीपीबी की ओर से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी की राशि का प्रतिनिधित्व करती है, जो 100% सुरक्षित है। सावधि जमा का।

31. शेयर पूंजी

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने भारत के राष्ट्रपति को इक्विटी शेयरों के राइट्स इश्यू के माध्यम से 200 करोड़ रुपये की इक्विटी शेयर पूंजी जुटाई है (वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 200 करोड़ रुपये)।

बैंक को वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार से 200 करोड़ रुपये का इक्विटी पूंजी निवेश प्राप्त हुआ है, जो शेयरों का लंबित आवंटन है और बैलेंस शीट में ''शेयर एप्लिकेशन मनी लंबित आवंटन'' के तहत दिखाया गया है।

32. द्विपक्षीय समझौते के अनुसार वेतन संशोधन

ने दिसंबर 2021 से 11 वें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार वेतन संरचना लागू की थी। नवंबर 2017 से नवंबर 2021 की अवधि के लिए बकाया के मुकाबले, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आंशिक भुगतान किया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बकाया राशि 38.24 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

33. कर्मचारियों को अल्पकालिक ब्याज वाला अग्रिम

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर अपने कर्मचारियों को बैंक के स्वयं के फंड से अल्पकालिक ब्याज वहन अग्रिम सुविधा प्रदान की थी। यह 6 अक्टूबर 2016 के ''भुगतान बैंकों के लिए परिचालन दिशानिर्देश'' के अनुसार आरबीआई नियमों के अनुरूप है।

34. अनुदान सहायता से खरीदी गई अचल संपत्तियाँ

वित्त वर्ष 2018-19 में अनुदान सहायता से खरीदी गई अचल संपत्तियों को पहचान के लिए 1 रुपये का नाममात्र मूल्य रखते हुए अचल संपत्ति रजिस्टर में बनाए रखा जाता है।

35. आईपीपीबी शाखाओं और पहुंच बिंदुओं की फर्निशिंग/ब्रांडिंग के लिए डीओपी सर्किलों को दी गई राशि

आईपीपीबी/डीओपी (आईपीपीबी फंड में से) ने वित्त वर्ष 2017-18 में 23 डाक विभाग ''डीओपी'' सर्किलों को आईपीपीबी शाखाओं (16.81 करोड़ रुपये) और सभी आईपीपीबी शाखाओं/ डीओपी पहुंच बिंदुओं पर ब्रांडिंग के लिए 66.28 करोड़ रुपये की राशि भेजी थी। यानी एचओ, एसओ और बीओ (49.47 करोड़ रुपये)।

31.03.2023 तक 0.20 करोड़ रुपये के बिल/रिफंड अभी भी डीओपी से प्राप्य हैं और इसे डीओपी (पूंजी प्रतिबद्धता) के तहत प्राप्य के रूप में दिखाया गया है। चूंकि यह राशि 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया है, इसलिए बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में खातों की पुस्तकों में समान राशि का प्रावधान किया है। ऊपर उल्लिखित शेष बिल/रिफंड प्राप्त करने के लिए बैंक नियमित रूप से डीओपी के साथ संपर्क कर रहा है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने आईपीपीबी कार्यालयों की साज-सज्जा/नवीनीकरण गतिविधियों के लिए डीओपी को 3.71 करोड़ रुपये की राशि भेजी है।

36. एसआई लागत

आईपीपीबी ने अपने समर्पित और अनुकूलित प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन के लिए रुपये की राशि का अनुबंध प्रदान किया है। 801 करोड़ (जीएसटी सहित) अनुबंध की अवधि 12 जुलाई 2018 से 5 वर्ष प्रभावी है।

समझौते के अनुसार, राशि 5 वर्षों की अवधि में समझौते में उल्लिखित मील के पत्थर के आधार पर देय हो जाती है। विक्रेता तदनुसार जब भी भुगतान देय होता है तो आईपीपीबी के साथ चालान जारी करता है और चालान की राशि ऐसे उदाहरण पर देय राशि की सीमा तक सीमित होती है।

एक विवेकपूर्ण लेखांकन पद्धति के रूप में, आईपीपीबी ने अपने स्वामित्व वाले हार्डवेयर की पूरी राशि का पूंजीकरण किया था और 31 मार्च 2019 को 106.32 करोड़ रुपये के लाइव होने की तारीख तक उपयोग करने के लिए रखा था। उक्त हार्डवेयर का बैंक के नाम पर बीमा किया गया है। इसी तरह, बैंक ने स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर की पूरी राशि को भी पूंजीकृत कर दिया था और 31 मार्च 2019 तक गो लाइव की तारीख तक 240.46 करोड़ रुपये का उपयोग किया था।

उक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बैंक के अचल संपत्ति रजिस्टर में पर्याप्त रूप से शामिल किया गया है और तदनुसार मूल्यह्रास लगाया गया है। उक्त हार्डवेयर को मेसर्स द्वारा सत्यापित और ऑडिट किया गया है। एसटीक्यूसी आईटी सेवाएँ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने विक्रेता को उपलब्धि के आधार पर करों सहित 66.96 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एएमसी शुल्क, कार्यान्वयन और अनुकूलन आदि के लिए भुगतान शामिल है।

37. डीओपी आईटी 2.0 प्रोजेक्ट

(पीआईबी) और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक ने पीओएसबी सेवाओं को धीरे-धीरे आईपीपीबी और एकल आईपीपीबी में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। बैंकिंग, बीमा और अन्य वित्तीय आवश्यकताओं के लिए संरचना। डीओपी लागत से संबंधित डेटा सेंटर, डेटा रिकवरी सेंटर, नेटवर्क, नेटवर्क (सेवाएं), डाक जीवन बीमा आदि के लिए आईटी 2.0 से वास्तविक आधार पर आईपीपीबी को डीओपी संचालन से संबंधित आईटी लागत की प्रतिपूर्ति करेगा, यह आईटी में दोहराव से बचने के उद्देश्य से था। दोनों संगठनों द्वारा बुनियादी ढांचे की लागत। इसका उद्देश्य ग्राहकों को अधिक एकीकृत, समावेशी वित्तीय और अन्य सेवाएं प्रदान करना भी है। उपरोक्त प्रस्ताव को फरवरी 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

उपरोक्त को सक्षम करने के लिए, आईपीपीबी ने डीओपी आईटी 2.0 के तहत सेवा की निरंतरता के साथ-साथ नए विकास कार्यों के लिए विक्रेताओं के साथ समझौते किए हैं। इसके बाद, विक्रेताओं ने प्रदान की गई सेवाओं के लिए आईपीपीबी पर चालान जारी किए हैं। मामले की तात्कालिकता के कारण और गुणवत्ता में कोई समझौता किए बिना डीओपी को सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, आईपीपीबी ने इन विक्रेताओं को अपने स्वयं के फंड से भुगतान किया है। पीआईबी आदेश के अनुसार, डीओपी वास्तविक आधार पर आईपीपीबी द्वारा भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति कर रहा है।

डीओपी से लंबित प्रतिपूर्ति की राशि इस प्रकार है; (31 मार्च, 2023)

(राशि 000 रुपये में)

भुगतान की गई कुल राशि डीओपी आईटी 2.0 के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान (जीएसटी सहित)	प्रतिपूर्ति की गई राशि डीओपी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान (जीएसटी सहित)	प्राप्य शेष डीओपी से 31.03.2023 तक (जीएसटी सहित)
2541774	1265852	1275922*

* जीएसटी को छोड़कर प्राप्य राशि रु. 108.13 करोड़ को ''अनुसूची 11 - अन्य संपत्ति'' के उपशीर्ष ''आईटी 2.0 के तहत डीओपी से प्राप्य'' के तहत दिखाया गया है। प्राप्त और उपयोग किए जाने वाले संबंधित जीएसटी इनपुट क्रेडिट को ''अनुसूची 11 - अन्य संपत्ति'' के ''अन्य'' के अंतर्गत शामिल किया गया है।

38. वित्त वर्ष 2022-23 से, बैंक ने मासिक टर्नओवर अनुपात के आधार पर प्रोपियोनेट आधार पर इनपुट क्रेडिट का दावा करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(2) के प्रावधान को चुना है। पिछले वर्षों में, बैंक सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(4) के प्रावधान के अनुसार 50% इनपुट क्रेडिट का दावा कर रहा था।

39. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, डाक विभाग (डीओपी) द्वारा गबन के कुछ मामलों की पहचान की गई थी। बैंक और डीओपी के बीच एमओयू के अनुसार, दोनों संगठन ऐसे मामलों की जांच के लिए सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। हेराफेरी की इन सभी घटनाओं में, जब भी पूछा गया डीओपी को जानकारी प्रदान की गई और डीओपी अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं के आधार पर जांच और रिपोर्टिंग करता है। इन सभी मामलों में बैंक के कर्मचारियों की कोई संलिप्तता नहीं थी और बैंक या उसके ग्राहकों को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ था। जहां भी लागू हो, बैंक ने आरबीआई को मामलों की सूचना दी है।

40. बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) में 0.77 करोड़ रुपये की राशि के 6132 इक्विटी शेयरों में निवेश किया था। आरबीआई के निर्देशों के आधार पर, बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निवेश वापस ले

लिया है।

41. बैंक को वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मेसर्स इंफोसिस से 1 रुपये की मामूली कीमत पर 999 एटीएम का स्वामित्व प्राप्त हुआ है, जो पहले मेसर्स इंफोसिस और डाक विभाग के बीच पट्टे पर थे।

42 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत और पुनर्स्थापित किया गया है।

Sd/-
(प्रियंका भटनागर)
कंपनी सचिव

Sd/-
(अनूप ई एस)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

Sd/-
(जे वेंकटरामू)
एमडी एवं सीईओ
(DIN - 08918442)

Sd/-
(पवन कुमार सिंह)
निदेशक
(DIN - 09434830)

Sd/-
(विनीत पांडे)
अध्यक्ष
(DIN - 09199133)

हमारे सम दिनांक के नोट के अनुसार
पीके चोपड़ा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट - FRN No. - 006747N

Sd/-
(पोन्नुस्वामी केएस)
पार्टनर
सदस्यता संख्या - 070276

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23.06.2023

गोपनीय

क्रमांक No. प्रि.वि.ले./एफ-353/IPPBL/2022-23/77

Azadi Ka Amrit Mahotsav

To CFO FY23NA

14/10/23

कार्यालय

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वित्त एवं संचार

शामनाथ मार्ग, (समीप पुराना सचिवालय) दिल्ली–110054

OFFICE OF THE

Principal Director Of Audit, Finance & Communication

SHAMNATH MARG, (NEAR OLD SECRETARIAT), DELHI-110054

दिनांक Date 29/09/2023

सेवा में,

अध्यक्ष,
भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक लि. (IPPBL),
नई दिल्ली-110001

विषय: भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक लि. (IPPBL) के वार्षिक खाते वर्ष 2022-23 पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

महोदय,

भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक लि. (IPPBL) के वार्षिक खाते वर्ष 2022-23 पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ आपकी सूचनार्थ एवं अग्रकार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ प्रेषित है।

भवदीया,

संलग्नक: यथोपरि।

(रोली शुक्ला माल्टो)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

दूरभाष/Telephone 011-23814747 / 4623 / 2666
ई–मेल/E-mail pdafincom@cag.gov.in
फैक्स/Fax +91-011-23813822

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF INDIA POST PAYMENT BANK FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2023

The preparation of Financial Statements of India Post Payment Bank (IPPB) for the year ended on 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (the Act) is the responsibility of the Management of the Company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the Financial Statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the Standards on Auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 23.06.2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of IPPB for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and Company Personnel, and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention, and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

A. Comment on Profitability

Profit & Loss Account

Other Income Rs. 487.10 Cr. (Schedule 14)

1. The above head is understated by an amount of Rs. 4.95 Crore due to non-inclusion of Liquidated Damages charged from vendors.
   This resulted in understatement of profit by the same amount.

B. Comment on Financial Position

Assets

Fixed Assets Rs. 59.64 Cr. (Schedule 10)

2. The above head is understated by an amount of Rs. 57.32 crore due to non-capitalization of the Liquidated Damages charged from vendors.
   This also resulted in understatement of the depreciation on the same.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

Place: Delhi
Date:

(Roli Shukla Malge)
Principal Director of Audit
(Finance & Communication)

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत जो टिप्पणियां की हैं, उन टिप्पणियों पर बैंक के उत्तर निम्नानुसार प्रस्तुत किए गए हैं;

संदर्भ	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	लेखा परीक्षक/बैंक की टिप्पणी
1	अन्य आय 487.10 करोड़ रुपये (अनुसूची 14) उपरोक्त शीर्ष में 4.95 करोड़ रुपये की राशि कम आँकी गई है जोकि वेनडर से अनिर्धारित क्षति की वसूली की धनराशि शामिल नहीं करने का कारण है। इसके परिणामस्वरूप लाभ को उसी धनराशि से कम बताया गया।	वेंडर से वसूल किए गए अनिर्धारित क्षति (जुर्माना) को संबंधित वित्तीय वर्षों में वेंडर को भुगतान करते समय पहले ही समायोजित कर लिया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ और हानि खाते (SI लागत अनुसूची 16 - परिचालन व्यय के तहत) पर लगाए गए खर्चों की राशि पहले से ही कटौती किए गए पैनल्टी को समायोजित करने के बाद दिखाई जाती है। इस प्रकार, आय शीर्ष 4.95 करोड़ रुपये से कम नहीं है क्योंकि यह राशि पहले से ही खर्चों में समायोजित है। इसलिए, इस संबंध में आगे समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
2	अचल संपत्ति 59.64 करोड़ रूपये (अनुसूची 10) उपरोक्त शीर्ष को विक्रेताओं से चार्ज किए गए अनिर्धारित क्षति के गैर-पूंजीकरण के कारण 57.32 करोड़ रुपये की राशि से कम बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप उसी पर मूल्यह्रास का कम विवरण भी हुआ।	विक्रेता से 57.32 करोड़ रुपये की अनिर्धारित क्षति में राजस्व व्यय की प्रकृति की राशि शामिल है (21.78 करोड़ रूपये) और अचल संपत्ति (35.54 करोड़ रूपये)। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण में खातों की टिप्पणियों के तहत दंड के लेखांकन उपचार का खुलासा किया गया था। **क) राजस्व व्यय की प्रकृति में जुर्माना 21.78 करोड़ रुपये।** वेंडर से वसूल किए गए अनिर्धारित क्षति (जुर्माना) को संबंधित वित्तीय वर्षों में वेंडर को भुगतान करते समय पहले ही समायोजित कर लिया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ और हानि खाते (एसआई लागत अनुसूची 16 - परिचालन व्यय के तहत) पर लगाए गए खर्चों की राशि पहले से ही कटौती किए गए पैनल्टी को समायोजित करने के बाद दिखाई जाती है। इस प्रकार, अचल संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि 21.78 करोड़ रुपये की राशि राजस्व की प्रकृति में है और पहले से ही खर्चों में समायोजित है। इसलिए, इस संबंध में आगे समायोजन की आवश्यकता नहीं है। **ख) अचल संपत्तियों/पूंजीगत व्यय की प्रकृति में 35.54 करोड़ रुपये का जुर्माना।** अचल संपत्ति में संपत्ति की दो श्रेणियां शामिल हैं अर्थात सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जिनमें क्रमशः 3 और 6 वर्ष का अपेक्षित जीवन होता है। माइलस्टोन की गैर-उपलब्धि के लिए एसआई वेंडर से जुर्माना लगाने का निर्णय वित्त वर्ष 2021-22 में ही लिया गया था। वित्त वर्ष 2018-19 में पूंजीकृत अधिकांश अचल संपत्ति का उस समय तक पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका था। एसआई के साथ अनुबंध जुलाई 2023 में समाप्त हो गया और बैंक द्वारा लगाया गया अनिर्धारित क्षति (जुर्माना) मुकदमेबाजी के अधीन है। माननीय न्यायालय के निर्देशों के आधार पर, यदि आवश्यक हो, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों के परामर्श से पूंजीकृत राशि के लिए बैंक बही-खातों में उचित उपचार करेगा।

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 9 के अनुरूप)

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

हमने **इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (सीआईएन यू74999डीएल2016जीओआई304561)** (इसके बाद 'कंपनी' कहा जाएगी) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉरपोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार की गई थी जिससे हमें कॉरपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

ए. कंपनी के बही खातों कागजातों, कार्यवृत्त बही खातों, फॉर्म एवं फाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों और कंपनी, उसके अधिकारियों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान उपलब्ध कराई अन्य जानकारियों के सत्यापन के आधार पर हम एततद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 (लेखा परीक्षा अवधि') को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उस सीमा तक, उस तरीके से और उसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अध्यधीन उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र हैं।

बी. हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखरखाव किए गए बही खातों, कागजातों, कार्यवृत्त बही खातों, फॉर्म एवं फाइल किए गए रिटर्न तथा अन्य रिकॉर्डों की निम्न प्रावधानों के अनुसार जांच की है

i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाये गए नियम,

ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाये गए नियम, **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

iii) डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 तथा उसके तहत बनाये गए विनियम तथा उपनियम,

iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधारियों की सीमा तक बनाये गए नियम **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित विनियमन और दिशानिर्देश (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

vi) कंपनी में व्याप्त अनुपालन प्रणाली के संबंध में, कंपनी के अनुपालन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रमाणपत्रों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने आम तौर पर उन अधिनियमों का अनुपालन किया है, प्रबंधन ने बैंकिंग विनियमन 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम, 1961 और वहां बनाये गए नियमों एवं अधिनियमों, जिस सीमा तक कंपनी के प्रति उनकी प्रयोज्यता है, सहित की पहचान की है और पुष्टि की है कि वे कंपनी पर विशेष रूप से लागू हैं। बहरहाल, कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देशों के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, हमें प्रदान की गई जानकारी एवं दस्तावेजों के अनुसार, कंपनी ने भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के पास आवेदन किया है कि 'कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए न कि सीपीएसई के रूप में।'

सी. हमने निम्नलिखित के लागू उपबंधों के अनुपालन की भी जांच की है:

i) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और सामान्य बैठकों (एसएस-2) के संबंध में सचिवीय मानक।

ii) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीबद्ध समझौते। **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

डी. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन ऊपर उल्लेखित अधिनियम, नियमों, विनियमनों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधान का अनुपालन किया है:

i) वर्ष के दौरान, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बहुमत में नहीं थी जैसाकि भुगतान बैंकों को लाईसेंस देने (''लाईसेंसिंग दिशानिर्देशों'') के लिए तथा कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित है और बोर्ड कम्पोजिशन के सेकशन 149 (1) के प्रावधानों का दिनांक 01.04.2022 से 01.11.2022 तक अनुपालन नहीं किया गया था।

ii) कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की लंबित नियुक्ति और बोर्ड तथा उसकी समितियों की अनुचित संरचना के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 की संबंधित आवश्यकताओं को इसके बोर्ड और इसकी समितियों के संबंध में दिनांक 01.04.2022 से 01.11.2022 तक पूरा नहीं करता। स्वतंत्र निदेशकों को समितियों में लेने के लिए परिपत्र संकल्प जारी करने के लिए समितियां पुनर्गठित की गई थी।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

1) कंपनी के निदेशक मंडल का गठन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में उपरोक्त पैरा डी में उल्लिखित को छोड़कर कार्यकारी निदेशकों, गैर.कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुएए वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

2) बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत नोट्स आम तौर पर कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते थे, हालांकि, कुछ मामलों में नोटिस और एजेंडा कागजात बोर्ड की सहमति से कम सूचना के साथ भेजे गए थे और बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

3) बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं जैसा कि निदेशक मंडल या बोर्ड की समिति की बैठकों के कार्यवृतों में दर्ज किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्राप्त जानकारी और बनाए गए रिकॉर्ड के आधार पर और विभिन्न अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुपालन प्रमाणपत्रों के आधार पर कंपनी में निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लागू कानून, नियम, विनियम और दिशानिर्देश के तहत् कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि ऑडिट अवधि के दौरान, कंपनी में निम्नलिखित घटनाएं हुईं, जिनका उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रभाव पड़ा।

एं) लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने इश्यू के आधार पर डाक विभाग के सचिव के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को 10/- रूपये प्रत्येक के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं।

टिप्पणी:

क) इस रिपोर्ट को हमारे सम तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो 'अनुलग्नक ए' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

वीएपी और एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव
एफआरएनः P2023UP098500
सहकर्मी समीक्षा संख्याः 1083/2021

पारुल जैन
प्रबंध भागीदार
एम. नंबरः F8323
सीपी नंबरः 13901
UDIN: F008323E002747257

स्थानः गाजियाबाद
दिनांकः 30.11.2023

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

क्र. सं.	टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
01	ऑडिट अवधि के दौरान बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बहुमत में नहीं थी, जैसा कि भुगतान बैंकों के लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में निर्धारित किया गया था। बोर्ड की संरचना 01.04.2022 से 11.09.2022 तक अधिनियम की धारा 149(1) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।	कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने अपने दिनांक 11/9/2022 के पत्र के माध्यम से आईपीपीबी बोर्ड के बोर्ड में पांच स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने आईपीपीबी के एक और स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
02	कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की लंबित नियुक्ति के कारण, ऑडिट समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना 01.04.2022 से 01.11.2022 तक से स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 की संबंधित आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी। इसके बाद समितियों में स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करने के लिए परिपत्र प्रस्ताव पारित करके समितियों का पुनर्गठन किया गया।	कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने अपने दिनांक 11/9/2022 के पत्र के माध्यम से आईपीपीबी बोर्ड के बोर्ड में पांच स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। एसीसी और बोर्ड की मंजूरी के बाद अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार समितियों का पुनर्गठन किया गया।